



सत्यमेव जयते

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
के क्रियान्वयन पर वर्ष 2010
के लिए रिपोर्ट

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़/शिमला
Website:<http://labourbureau.gov.in>

प्रस्तावना

न्यूनतम मजदूरी पद्धति श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए लागू की गई है। विधि आधार पर न्यूनतम मजदूरी में समय समय पर संशोधन द्वारा जीवनयापन की लागत में सामान्य वृद्धि से कामगारों का संरक्षण भी किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 केन्द्र और राज्य सरकारों को श्रम साध्य और असंगठित उद्योगों में सूचीबद्ध नियोजनों में कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने और उनमें संशोधन का अधिकार देता है। इस प्रकार निर्धारित मजदूरी दरों का श्रम बल के जीवन स्तर और कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। उत्पादकों के संदर्भ में इसका उत्पादन लागत के प्रारंभिक स्तर पर विशेषकर श्रम बाहुल्य क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

न्यूनतम मजदूरी के विशेष रूप से श्रमिक कल्याण के लिए महत्व के दृष्टिगत, श्रम ब्यूरो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। वर्तमान रिपोर्ट वर्ष 2010 से संबंधित है। इस रिपोर्ट में जोड़े गए नियोजन, ऐसे नियोजन जिनके लिए पहली बार न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित किया गया, विविध सूचीबद्ध नियोजनों में वर्ष के दौरान प्रचलित न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी का दायरा, सूचीबद्ध नियोजनों में प्रचलित तुलनात्मक न्यूनतम मजदूरी दरें और निरीक्षण संख्या आदि शामिल हैं।

इस खण्ड में शामिल जानकारी, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों/विवरणियों पर आधारित है। श्रम ब्यूरो, इस बात को सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों की भरपूर प्रशंसा करता है कि रिपोर्टों/विवरणियों में दी गई जानकारी और आंकड़े सही हों और रिपोर्टें और विवरणियाँ समय पर भेजी जाएं। यद्यपि सभी राज्य सरकारों को समयबद्ध रूप में विवरणियाँ भेजने के लिए प्रेरित करने का हर संभव प्रयास किया जाता है तथापि कुछ राज्य सरकारें निर्धारित समय पर ऐसा करने में विफल रहती हैं। रिपोर्ट प्रकाशन में देरी से इसकी उपयोगिता अत्यधिक कम हो जाती है इसलिए सभी राज्यों से विवरणियाँ प्राप्त करने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए रिपोर्ट में केवल उन राज्यों की जानकारी शामिल होती है जो समय पर विवरणियाँ भेजते हैं। सभी राज्यों के श्रम आयुक्तों से मेरा आग्रह है कि वे अपने राज्यों से संबंधित रिपोर्टें/विवरणियाँ समय पर भेजने का प्रयास करें ताकि नीति निर्धारकों और अन्य पाठकों के लिए इस रिपोर्ट की उपयोगिता में सुधार किया जा सके।

मैं श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़ में मजदूरी अनुभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समय पर रिपोर्ट प्रकाशन के लिए किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा करता हूँ जिनके नाम अनुसूची-V में दर्ज किए गए हैं।

आवश्यक नहीं है कि इस प्रकाशन में प्रकट किए गए विचार भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के ही हों।

मेरा इस रिपोर्ट के पाठकों से भी आग्रह है कि वे अपने सुझाव भेजें जिनसे भविष्य के प्रकाशनों में सुधार किया जा सके तथा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम अपने पाठकों के लिए इस रिपोर्ट को अधिक उपयोगी बनाने का हर सम्भव प्रयास करेंगे।

डी.एस. कोलमकर
महानिदेशक

चण्डीगढ़/शिमला

दिनांक 22 मार्च, 2012

विषय सूची

अनुभाग/परिशिष्ट	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	कार्यकारी-सारांश	i-ii
अनुभाग-I	परिचय	iii-ix
अनुभाग-II	अधिनियम के मुख्य प्रावधान	x-xii
अनुभाग-III	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत एकत्रित आंकड़े	xiii-xvi
	सांख्यिकीय तालिकाएं	
तालिका-1	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के साथ संलग्न सूची में वर्ष 2010 के दौरान बाद में जोड़े गए नियोजन	1
तालिका-2	ऐसी नियोजन जिनमें वर्ष 2010 में पहली बार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई ।	2
तालिका-3	सूचीबद्ध नियोजनों में अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी	3-43
तालिका -4	31.12.2010 को न्यूनतम मजदूरी का दायरा	44
तालिका-5	31.12.2010 को केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में सूचीबद्ध नियोजनों में प्रचलित तुलनात्मक मजदूरी दरें	45-72
तालिका-6	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों की संख्या, विवरणी भेजने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या तथा वर्ष 2010 में प्रतिदिन औसत नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	73
तालिका-7	वर्ष 2010 में निरीक्षणों की संख्या, पता लगाई गई अनियमितताएं, केन्द्रीय/राज्य/केन्द्र	74

	शासित प्रदेशों में मुकदमों तथा दावों की संख्या	
परिशिष्ट I	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूची में शामिल मूल नियोजनों की सूची	75
परिशिष्ट II	वर्ष 2010 के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन तंत्र	76-77
परिशिष्ट III	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित समेकित विवरणी	78-86
परिशिष्ट IV	इस विषय पर अब तक जारी रिपोर्टों की सूची	87
परिशिष्ट V	रिपोर्ट तैयारी से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी	88

कार्यकारी सारांश

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन पर वर्तमान रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 2010 पर आधारित है ।
- रिपोर्ट सत्रह राज्यों, पांच केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय श्रम आयुक्त से वर्ष 2010 के लिए प्राप्त विवरणियों पर आधारित है । शेष राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से, बार-बार याद दिलाने के बावजूद विवरणियां प्राप्त नहीं हुई ।
- छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों ने, अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में नई नियुक्तियां जोड़ी है ।
- राज्यों में से सर्वाधिक (99) सूचीबद्ध नियोजनों की जानकारी असम से तथा न्यूनतम एक नियोजन की जानकारी मिजोरम से प्राप्त हुई ।
- केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में सर्वाधिक (72) नियोजनों की रिपोर्ट दमन और दीव से तथा न्यूनतम 6 की रिपोर्ट अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह से मिलती है ।
- विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में मजदूरी ढांचे में समरूपता नहीं है । कुछ राज्य (मूल वेतन + मंहगाई भत्ते) समेकित मजदूरी का भुगतान करते हैं जबकि अन्य राज्य मंहगाई भत्ते को एक पृथक भाग मानते हैं ।
- मजदूरी का दायरा 0 रूपए से 179.00 रूपए के बीच है । यह उन सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मामले में शून्य है जो सभी सूचीबद्ध नियोजनों में सभी अकुशल कामगारों को समान मजदूरी का भुगतान करते हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश के मामले में 179.00 रूपए की मजदूरी सर्वाधिक है ।
- सर्वाधिक न्यूनतम मजदूरी सूचीबद्ध नियोजन सफाई कर्मचारी के मामले में आन्ध्र प्रदेश में 248.00 रूपए है जबकि त्रिपुरा राज्य में चाय बागान के सभी सूचीबद्ध नियोजनों में न्यूनतम 4600.00 रूपए का भुगतान किया जा रहा है ।
- जहां राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/सीएलसी द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई है वहां कुल सूचीबद्ध नियोजनों की संख्या 300 है ।
- अधिनियम के अन्तर्गत लाए गए प्रतिष्ठानों के मामलों में प्रत्युत्तर दर सबसे कम मिजोरम में शून्य प्रतिशत है जबकि त्रिपुरा में यह सर्वाधिक 92.44 प्रतिशत है ।
- सर्वाधिक (126980) एक लाख छब्बीस हजार नौ सौ अस्सी निरीक्षण करने की रिपोर्ट गुजरात राज्य से मिली है जबकि न्यूनतम निरीक्षण संख्या (0) शून्य मिजोरम की है ।

- यदि समुचित रूप में देखा जाए तो गुजरात राज्य में सर्वाधिक (82266) अनियमितताओं का तथा सबसे कम (4) नगालैंड से पता लगाया गया । यह आंशिक या मुख्यतः है क्योंकि गुजरात राज्य में ही सर्वाधिक निरीक्षण किए जाते हैं ।
- राज्य क्षेत्र में सर्वाधिक (2508) मुकदमें गुजरात राज्य में दायर किए गए जबकि सबसे कम 4 मुकदमें नगालैंड में दायर हुए ।
- आन्ध्र प्रदेश राज्य में सर्वाधिक (13524) दावे पेश किए गए जबकि महाराष्ट्र और नगालैंड प्रत्येक में न्यूनतम (चार) दावे पेश हुए ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर वर्ष 2010 की रिपोर्ट

1. परिचय

1.1 रोजगार की तलाश का उद्देश्य, मजदूरी कमाने के लिए अपने श्रम को बेचना है ताकि एक उत्तम अथवा गौरवमय जीवन स्तर के साथ जीवन यापन किया जा सके। इसलिए एक कामगार अपने कार्य से जो मजदूरी राशि या आय प्राप्त करता है उसी से वह उचित जीवन स्तर प्राप्त करने के योग्य होता है। कोई भी कामगार उचित मजदूरी चाहता है ताकि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके और साथ ही सुनिश्चित भी महसूस करे कि उसे अपने काम का उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है। समाज तथा राज्य को प्रत्येक कामगार के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वह भूख और निर्धनता से बच सके और यह सुनिश्चित हो कि मानक आकार के परिवार वाले प्रत्येक कामगार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस उद्देश्य से यदि कोई कानूनी आधार न हो तो सामाजिक असन्तोष फैल सकता है जिससे न केवल आर्थिक प्रगति में रुकावट आने अपितु कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरे की संभावना पैदा हो सकती है।

1.2 भारतीय संविधान में यह उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया कि ऐसी आर्थिक व्यवस्था का सृजन करे जिसमें प्रत्येक नागरिक को रोजगार और उचित मजदूरी या वेतन मिले। इससे यह आवश्यक हो गया कि उचित वेतन की स्पष्ट शर्तें गिनवाई जाएं और उनका निर्धारण हो। इसलिए केन्द्रीय सलाहकार परिषद् ने (नवम्बर, 1948) अपने पहले सत्र में उचित वेतन पर त्रिपक्षीय समिति का गठन किया। इस समिति में नियोक्ताओं, नियोजितों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल किए गए। इस समिति को श्रमिकों के लिए उचित पारिश्रमिक के विषय पर जानकारी लेकर अपनी रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया।

1.3 उचित मजदूरी संबंधी समिति ने अपनी उचित वेतन परिभाषा में तीन स्तर बताए हैं, जैसे

- i) निर्वाह मजदूरी
- ii) उचित मजदूरी
- iii) न्यूनतम मजदूरी

1.3.1 निर्वाह मजदूरी

समिति के अनुसार निर्वाह मजदूरी का अर्थ मजदूरी का उच्चतम स्तर है जिससे कामगार इस योग्य हो सके कि अपने तथा अपने परिवार के लिए न केवल रोटी, कपड़ा और मकान की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर सके अपितु उसे बच्चों की शिक्षा, रोगों के निदान के लिए सुरक्षा, आवश्यक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति और वृद्धावस्था सहित अधिक दुर्भाग्य पूर्ण परिस्थितियों के विरुद्ध बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के योग्य बनाए। लेकिन समिति ने यह महसूस किया कि जब इस प्रकार की मजदूरी का निर्धारण करना हो तो राष्ट्रीय आय और संबंधित उद्योगों की राशि भुगतान क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा और समिति का मत था कि निर्वाह मजदूरी ही अन्तिम लक्ष्य और उद्देश्य मानकर चलना होगा।

1.4 उचित मजदूरी

1.4.1 इस संबंध में उचित मजदूरी समिति ने देखा कि “इसका उद्देश्य केवल ऐसी मजदूरी राशि निर्धारण करना नहीं जो स्तर रूप में उचित हो अपितु यह भी देखना होगा कि वर्तमान स्तर पर रोजगार बना रहे, केवल बना ही न रहे अपितु इसमें बढ़ौतरी भी हो। इस दृष्टिकोण से यह बात स्पष्ट होगी कि मजदूरी का स्तर ऐसा हो जो उद्योगों को कुशलता पूर्वक उत्पादन बनाए रखने में सक्षम बनाए रखे। इसलिए इसी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के अनुसार मजदूरी बोर्डों को उद्योगों की राशि भुगतान क्षमता की समीक्षा करनी चाहिए।

1.4.2 उचित मजदूरी समिति ने सिफारिश की कि उचित पारिश्रमिक को श्रमिक की उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि भारत में मजदूरी का वर्तमान स्तर ऐसा नहीं है कि कामगार अपना गुजारा और स्तर बरकरार रख सके, इसलिए आवश्यक है कि कामगारों के लिए सबसे पहले निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित हो और जब यह कम से कम आवश्यकता पूरी हो जाए तभी मजदूरी को उत्पादकता के साथ जोड़ा जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि उचित मजदूरी अथवा वेतन को प्रचलित मजदूरी दरों से जोड़ा जाए लेकिन देश के संगठित क्षेत्रों में भी अनुचित रूप से न्यून मजदूरी का चलन देखकर समिति ने निर्दिष्ट किया कि मजदूरी निर्धारण तंत्र को चाहिए कि असमान सौदेबाजी के कारण मजदूरी में गिरावट के समय आवश्यक भत्ते की व्यवस्था करे।

1.4.3 उचित मजदूरी निर्धारण के लिए बनाए गए तंत्र के संबंध में समिति ने मजदूरी बोर्ड स्थापित करने का पक्ष लिया। उसने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य के लिए, राज्य स्तरीय बोर्ड हो जिसमें स्वतंत्र सदस्य भी हो और नियोक्ताओं तथा नियोजितों के समान संख्या में प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। राज्य बोर्ड के अतिरिक्त मजदूरी विनियमन के लिए प्रत्येक उद्योग के लिए एक क्षेत्रीय बोर्ड भी हो। अखिरकार अपील के लिए केन्द्रीय अपील बोर्ड की स्थापना हो जिसके पास मजदूरी बोर्डों के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की जा सके। उचित मजदूरी संबंधी समिति की सिफारिशों पर अगस्त, 1950 में संसद में एक विधेयक ‘उचित मजदूरी बिल’ के नाम से पेश किया गया। शुरू में इसका उद्देश्य कारखानों और खानों में नियुक्त कामगारों की उचित मजदूरी निर्धारित करना था। अब यह विधेयक समाप्त हो चुका है।

1.4.4 उचित मजदूरी समिति ने न्यूनतम मजदूरी तथा निर्वाह मजदूरी के बीच एक अन्तर रखा और यह महसूस किया कि न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी से कम थी। उचित मजदूरी के संबंध में समिति ने सिफारिश की कि यह न्यूनतम मजदूरी से अधिक और निर्वाह मजदूरी से कम होनी चाहिए।

1.5 न्यूनतम मजदूरी

1.5.1 समिति का यह मत था कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी हो जिससे कामगार का मात्र गुजारा ही न हो अपितु उसकी कुशलता का संरक्षण भी हो। इस उद्देश्य से न्यूनतम मजदूरी से शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकता और अन्य कुछ सुविधाओं की भी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।।

1.5.2 कानूनी आधार पर न्यूनतम मजदूरी वह होती है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के संबंधित प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित हो।

1.5.3 इस प्रकार भारत में कानूनी आधार पर मजदूरी निर्धारण तंत्र की स्थापना के प्रश्न पर 1943 और 1944 में स्थाई श्रम समिति की कमशः तीसरी और चौथी बैठकों में विचार विमर्श किया गया और उसके बाद त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलनों में 1943, 1944 एवं 1945 के सत्रों में इन पर विचार विमर्श हुआ। इनमें से अंतिम सम्मेलन में सिद्धान्ततः न्यूनतम मजदूरी विधि निर्माण के अधिनियम को अनुमोदित किया गया। 11 अप्रैल, 1946 में न्यूनतम मजदूरी विधेयक संसद में पेश किया गया लेकिन भारत में संवैधानिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, विधेयक पास होने में बहुत देरी हो गई लेकिन मार्च, 1948 में यह विधेयक अधिनियम रूप में पारित हो गया।

1.5.4 अधिनियम उन (संलग्नक-1) नियुक्तियों पर लागू है जो कि अधिनियम से संलग्न अनुसूची के भाग-1, 11 में शामिल है। अनुसूची में नियुक्ति या रोजगार को शामिल करने का अधिकार अथवा न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करने या इन में संशोधन के उपाय करने का अधिकार रोजगार की प्रकृति के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के पास है। एक बार कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हो जाने के बाद नियोक्ता के लिए यह लाजिमी हो जाता है कि अपनी भुगतान क्षमता को ध्यान में रखे बिना वह कथित मजदूरी राशि का भुगतान करे।

1.6 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के विभिन्न सम्मेलनों में परिभाषित न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा

1.6.1 समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा विभिन्न सम्मेलनों में परिभाषित न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा की संक्षिप्त पृष्ठभूमि निम्नलिखित पैराग्राफ में खोजी जा सकती है :-

1.6.2 अभिसमय संख्या 26

11वां सत्र (1928)

1.6.3 11 वां सत्र 30 मई, 1928 को जिनेवा में आयोजित किया गया। सत्र की कार्यसूची में प्रथम मद न्यूनतम मजदूरी निर्धारण तंत्र के संबंध में प्रस्ताव पारित करने की थी।

1.6.4 अभिसमय संख्या 99

34वां सत्र (1951)

1.6.5 34वां सत्र 6 जून, 1951 को बुलाया गया तथा कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण तंत्र से संबंधित अभिसमय सत्र की कार्यसूची में 8वीं मद थी। पर्याप्त तंत्र के सृजन/रखरखाव के लिए दिशा-निर्देश जिसके द्वारा कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा सके, वैसे ही थे जैसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें सत्र में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण तंत्र के लिए निश्चित किए गए थे।

1.6.6 अभिसमय संख्या 131

54वाँ सत्र (1970)

1.6.7 अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन का 54वाँ सत्र 3 जून, 1970 को जिनेवा में बुलाया गया और 22 जून, 1970 को विशेषरूप से विकासशील देशों के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण से संबंधित अभिसमय को पारित किया गया। सोचा गया कि न्यूनतम मजदूरी संबंधी पूर्व अभिसमयों ने मजदूरी उपार्जकों के लाभहीन समूहों की सुरक्षा में मृत्युवान भूमिका अदा की थी और इसलिए पहले वाले अभिसमयों के पूरक के रूप में एक अन्य अभिसमय की आवश्यकता थी जो सामान्य रूप से अमल में आने पर विकासशील देशों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देगा।

1.7 भारतीय श्रम सम्मेलनों के विभिन्न सत्रों में परिभाषित न्यूनतम मजदूरी

15 वाँ सत्र (1957)

1.7.1 जुलाई 1957 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि न्यूनतम मजदूरी आवश्यकताओं पर आधारित हो और यह औद्योगिक कामगारों की न्यूनतम मानवीय जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करे। न्यूनतम मजदूरी समितियों, वेतन बोर्डों, अधिनिर्णायकों आदि सहित सभी मजदूरी निर्धारण विशेषज्ञों के लिए निम्नलिखित शर्तें दिशा निर्देश रूप में स्वीकार की गईं।

- i) न्यूनतम मजदूरी की गणना करते समय, मानक श्रमिक वर्ग परिवार में एक उपार्जक के लिए तीन उपभोग इकाइयों को शामिल किया जाए महिलाओं, बच्चों और किशोरों की कमाई की इसमें गणना न की जाए।
- ii) न्यूनतम खाद्यान्न आवश्यकता की गणना मध्यम प्रकार के कार्य करने वाले एक औसत भारतीय वयस्क के लिए डॉ एकरोयड की सिफारिशों के अनुरूप 2700 कैलोरी के उपभोग के आधार पर की जानी चाहिए।
- iii) वस्त्रों की आवश्यकता का अनुमान, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 18 गज कपड़े की खपत के आधार पर लगाया जाए जिससे चार सदस्यों वाले औसत परिवार के लिए कुल 72 गज की गणना हो।
- iv) आवास के संबंध में निर्बंधन, निम्न आय समूहों के लिए सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत दिए गए आवास के लिए किसी भी क्षेत्र में सरकार द्वारा वसूल किया गया न्यूनतम किराया होना चाहिए; और
- v) ईंधन, प्रकाश तथा खर्च की अन्य फुटकर मदों के लिए कुल न्यूनतम मजदूरी की बीस प्रतिशत राशि को आधार माना जाए। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जहाँ भी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी उपरलिखित सिफारिश की गई शर्तों से कम होगी वहाँ संबंधित अधिकारियों को आवश्यक रूप से उन परिस्थितियों को न्याय संगत सिद्ध करना होगा जिनके कारण वे पूर्व कथित शर्तों को पूरा करने में अक्षम रहे हों। इस प्रकार प्रस्ताव ने न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना को ठोस रूप देने का प्रयास किया।

वर्ष 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में विचार व्यक्त किया कि बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकता, न्यूनतम मनोरंजन जिनमें त्योहार, समारोह, बुढ़ापे और शादी आदि के लिए प्रावधान हो, वेतन का 25 प्रतिशत हिस्सा रखा जाए और न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए इसे दिशा-निर्देश माना जाए ।

1.7.2 13वां सत्र (1992)

सितम्बर, 1992 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 13वें सत्र में विचार व्यक्त किया गया कि अवास्तविक रूप से उच्च स्तर पर न्यूनतम वेतन निर्धारण के रुझान पर अंकुश लगाया जाए और एक बार निर्धारित हो चुकी मजदूरी पर अमल सुनिश्चित किया जाए । इस सत्र में महसूस किया गया कि राज्यों में श्रम प्रशासन सहित कार्यान्वयन तन्त्र सामान्यतः प्रभावी नहीं रहा है । यह वांछनीय था कि श्रमिक संगठन, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन इत्यादि इस उद्देश्य से निरीक्षकों की फौज तैनात करने के स्थान पर और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें ।

1.7.3 संशोधन

न्यूनतम मजदूरी दरों में उचित अन्तराल के बाद संशोधन होना चाहिए और यह अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

1.7.4 निर्धारण/संशोधन की प्रक्रिया

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए दो पद्धतियां बताई गई हैं उनमें से एक है समिति पद्धति और दूसरा अधिसूचना पद्धति

i) समिति पद्धति

इस पद्धति में उपयुक्त सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तथा संशोधन के संबंध में सिफारिशें करने तथा जांच करने के लिए समितियों और उप समितियों का गठन किया जाता है ।

ii) अधिसूचना पद्धति

इस पद्धति में सरकारी प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है, जिन पर इनका प्रभाव पड़ने की संभावना होती है और एक ऐसी तिथि निर्धारित की जाती है जो अधिसूचना जारी करने की तिथि से दो महीने से कम अवधि की नहीं होती जिसमें इन प्रस्तावों पर विचार किया जाना होता है । समिति/उप समिति की सलाह पर और अधिसूचना पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद उपयुक्त सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित सूचीबद्ध नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करेगी और ये दरें इसके जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त होने पर लागू मानी जाएंगी ।

1.7.5 परिवर्ती मंहगाई भत्ता (वी.डी.ए)

1988 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई कि मजदूरी दरों को मुद्रास्फीति से बचाने हेतु इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के साथ जोड़ने के लिए तन्त्र स्थापित किया जाए। परिवर्ती मंहगाई भत्ता वर्ष 1991 में शुरू किया गया। भत्ते को वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है, एक बार पहली अप्रैल को तथा दूसरी बार एक अक्टूबर को।

1.7.6 प्रवर्तन तन्त्र

केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों को केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तन्त्र के अधिकारियों के माध्यम से लागू किया जाता है। जहां तक राज्य क्षेत्रों का प्रश्न है, प्रवर्तन संबंधित राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश की जिम्मेदारी है।

1.7.7 राष्ट्रीय मजदूरी नीति

यद्यपि एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनाने की आवश्यकता है, तथापि इसकी परिकल्पना करना मुश्किल हो रहा है। राष्ट्रीय मजदूरी नीति के मुद्दे पर विविध अवसरों पर विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श किया गया है। क्योंकि मजदूरी निर्धारण, स्थानीय परिस्थितियों, निर्वाह लागत, व्यक्ति की भुगतान क्षमता आदि कई बातों पर निर्भर करता है और प्रत्येक राज्य और प्रत्येक उद्योग में इन परिस्थितियों में अन्तर देखने में आता है इसलिए मजदूरी में समरूपता बनाए रखना मुश्किल होगा। 1985 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए।

“जब तक राष्ट्रीय मजदूरी नीति अस्तित्व में नहीं आती तब तक क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारण आवश्यक होगा और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए। न्यूनतम मजदूरी में नियमित रूप से एक अन्तराल के बाद संशोधन होना चाहिए और इसे निर्वाह लागत में वृद्धि के साथ जोड़ा जाना चाहिए”।

इसी के अनुरूप सरकार ने जुलाई, 1987 में क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियों के गठन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। बाद में इनका नाम क्षेत्रीय श्रम मंत्री सम्मेलन रखा गया और इन्होंने बहुत सी सिफारिशों की जैसे क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में अन्तर को कम करना, अन्तःराज्य समन्वय परिषद् की स्थापना तथा न्यूनतम मजदूरी में संशोधन/निर्धारण के समय पड़ोसी राज्यों से परामर्श करने जैसे विषय शामिल किए गए।

1.7.8 क्षेत्रीय समितियों द्वारा मजदूरी असमानता को कम करना

देश के विभिन्न प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी दरों में असमानता है। इसका कारण सामाजिक-आर्थिक और कृषि-मौसम परिस्थितियों, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, राशि भुगतान क्षमता, उत्पादकता और मजदूरी दर पर प्रभाव डालने वाली स्थानीय परिस्थितियों में अन्तर होना है। न्यूनतम वेतन में क्षेत्रीय असमानता इस कारण से भी है कि केन्द्र सरकार और राज्य

सरकारें दोनों ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अधिनियम के तहत सूचीबद्ध नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण/संशोधन और इन्हें लागू करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं। सूचीबद्ध नियोजनों की न्यूनतम मजदूरी में समरूपता लाने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों से क्षेत्रीय समितियों के गठन हेतु अनुरोध किया है। वर्तमान में देश में पांच क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं :-

क्षेत्र का नाम	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल, ओडीशा, बिहार, झारखंड अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नगालैंड और त्रिपुरा
दक्षिण क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पाण्डुचेरी और लक्षद्वीप
उत्तरी क्षेत्र	पंजाब, राजस्थान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली और चण्डीगढ़
पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली दमन और दीव

1.8 नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा (एनसीआरएल)

समरूप मजदूरी ढांचे के लिए तथा देश भर में न्यूनतम मजदूरी में असमानता कम करने के लिए, 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी की परिकल्पना की गई। एनसीआरएल की सिफारिशों तथा बाद में मूल्य सूचकांक में वृद्धि के मद्देनजर 1996 में राष्ट्रीय फ्लोर स्तर न्यूनतम दैनिक मजदूरी 35/- रूपए निर्धारित की गई। केन्द्र सरकार ने 1998 में इसे बढ़ाकर 40/- रूपए और 01.12.1999 से पैतालीस रूपए और 1.9.2002 से इसे बढ़ाकर 50/- रूपए दैनिक कर दिया। कार्य दल के सुझावों के आधार पर और बाद में 19.12.2002 को आयोजित बैठक में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा इनकी स्वीकृति होने पर, नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी को 01.02.2004 से बढ़ाकर दैनिक 66/- रूपए दैनिक और बाद में 1.9.2007 से 80/- रूपए कर दिया। केन्द्र सरकार ने 1.11.2010 से नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी को 80/-रु. से 100/-रु. प्रतिदिन बढ़ा दिया। तथापि नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी के लिए कोई सांविधिक समर्थन नहीं है। राज्य सरकारों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए मनाया पड़ता है ताकि किसी भी सूचीबद्ध रोजगार* के लिए न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।

* “सूचीबद्ध नियोजन” से अभिप्राय एक ऐसे नियोजन से है जो इस प्रकार के नियोजन के भाग का निर्माण करने वाली कार्य शाखा अथवा किसी प्रक्रिया अथवा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

II न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के मुख्य प्रावधान

अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित प्रकार से हैं :-

2.1 मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करना

2.1.1 इसमें कुछ नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने का प्रावधान है जहाँ श्रमिक अनभिज्ञ हैं, कम संगठित हैं तथा जिसका कभी भी शोषण संभव है। पूरे राज्य में जिस भी उद्योग में एक हजार से कम कामगार हो वहाँ न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती। (1948 के अधिनियम में 1957 में संशोधन के तहत, इस शर्त से आंशिक रूप से छूट दी गई है)।

2.1.2 अधिनियम निम्नलिखित के निर्धारण हेतु प्रावधान करता है :-

- (क) न्यूनतम समय दर
- (ख) न्यूनतम उजड़ती दर
- (ग) गारंटीशुद्धा समय दर
- (घ) विभिन्न व्यवसायों और विभिन्न श्रमिक वर्गों के लिए उचित ओवर टाइम दर

2.1.3 उपयुक्त सरकार द्वारा** निर्धारित अथवा संशोधित न्यूनतम मजदूरी में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं।

- (क) मजदूरी की एक मूल दर और विशेष भत्ता जो इस प्रकार के अन्तराल या इस ढंग से समायोजित की जाने वाली एक दर पर निर्वाह लागत सूचकांक*** के विचलन के यथासंभव निकटतम अनुमोदन जो इस प्रकार के कामगारों पर अनुप्रयोज्य हो, जैसाकि उपयुक्त सरकार निदेश दें।
- (ख) निर्वाह लागत भत्ते सहित अथवा उसके बिना मजदूरी की मूल दर और जहाँ अधिकृत हो वहाँ रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में रियायतों का नकदी मूल्य ; अथवा
- (ग) मूल दर के लिए अन्तर्विष्ट दर, निर्वाह भत्ते की लागत तथा रियायतों का नकद मूल्य, यदि कोई है ; और

**अधिनियम के अनुसार उपयुक्त सरकार से अभिप्राय है जो केन्द्रीय सरकार के केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम अथवा बड़े बंदरगाह अथवा खनन, तेल क्षेत्र के संबंध में अथवा रेल प्रशासन अथवा केन्द्र सरकार के प्राधिकार के अन्तर्गत अथवा उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी सूचीबद्ध नियोजन से संबंधित है और (ii) राज्य सरकार के किसी अन्य सूचीबद्ध नियोजन से जुड़ी है।

*** निर्वाह लागत सूचकांक से अभिप्राय उस सूचकांक से है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा निर्धारित तथा घोषित किये जाते हैं तथा निर्वाह लागत सूचकांक ऐसे नियोजन में कामगारों पर अनुप्रयोज्य होते हैं जो किसी भी सूचीबद्ध नियोजन में कामगारों से संबंधित होते हैं जिनके संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत की गई हैं।

- (घ) निर्वाह लागत भत्ते और रियायती दरों पर आपूर्ति की आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायतों का नकदी मूल्य, सक्षम प्राधिकारी**** द्वारा इस प्रकार के अन्तराल के बाद और उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदत्त और निर्धारित दिशा-निर्देशों द्वारा परिकल्पित किया जाएगा। अधिनियम में प्रावधान है कि मजदूरी राशि का नकद भुगतान किया जाए यद्यपि यह उपयुक्त सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह न्यूनतम मजदूरी राशि आंशिक रूप में अथवा पूर्ण रूप में नकदी के स्थान पर वस्तु रूप में अदा कर सकती है।

2.2 मजदूरी की न्यूनतम दरों का भुगतान

नियोक्ता को अपने तहत सूचीबद्ध नियोजन में कार्यरत प्रत्येक कामगार को ऐसी दरों पर मजदूरी का भुगतान जहां प्राधिकृत किया हो को छोड़कर बिना कटौती के करना वांछनीय होता है जो उस वर्ग के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर से कम न हो।

2.3 सामान्य कार्य दिवस के लिए समयावधि निर्धारण

किसी सूचीबद्ध नियोजन के संबंध में, जिसके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हों वहां उपयुक्त सरकार

- (क) कार्य अवधि के घटे निश्चित कर सकती है और जिसे एक या दो विनिर्दिष्ट अन्तराल सहित सामान्य कार्य दिवस माना जाएगा।
- (ख) प्रत्येक सात दिनों में एक दिन की छुट्टी दे सकती है जो सभी नियुक्त कर्मियों या कर्मियों के विशेष वर्ग के लिए हो सकती है तथा छुट्टी के दिनों के लिए, धनराशि का भुगतान कर सकती है।
- (ग) सरकार आराम के दिन पर कार्य करवाने के लिए ऐसी दर पर राशि भुगतान कर सकती है जो ओवर टाइम की दर से कम नहीं होगा।

2.4 दो या अधिक कार्य श्रेणियों के लिए मजदूरी

यदि कोई कामगार दो या इससे अधिक प्रकार का कार्य करता है जिनमें से प्रत्येक के लिए पृथक मजदूरी दर निर्धारित हो तो नियोक्ता को ऐसे कामगार को प्रत्येक प्रकार के कार्य में लगाए गए समय के अनुरूप निर्धारित राशि भुगतान करना होगा और यह भुगतान प्रत्येक श्रेणी के कार्य के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

**** सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राय ऐसे अधिकारी से है जिसकी नियुक्ति उपयुक्त सरकार द्वारा उसके राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्वाह लागत सूचकांक का निर्धारण करने के लिए की जाती है जो इस प्रकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध नियोजन में नियोजित कामगारों पर अनुप्रयोज्य है।

2.5 रजिस्ट्रों और रिकार्ड का रखरखाव

प्रत्येक नियोक्ता के लिए आवश्यक है कि रजिस्ट्रार और रिकार्ड रखे जिसमें प्रत्येक कामगार का विवरण, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उसे दी जाने वाली मजदूरी और उनके द्वारा दी गई पावती और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज किया जाए ।

2.6 निरीक्षण

उपयुक्त सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, अधिनियम के अन्तर्गत इस उद्देश्य से निरीक्षक नियुक्त कर सकती है और उनके प्रकार्यों की स्थानीय सीमा भी परिभाषित कर सकती है ।

2.7 दावे

उपयुक्त सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, श्रम आयुक्त अथवा कामगारों की क्षतिपूर्ति हेतु आयुक्त अथवा कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो श्रम आयुक्त के पद से नीचे का न हो अथवा कोई अन्य अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है जिसे सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अनुभव हो या उसका वैतनिक मैजिस्ट्रेट के रूप में अनुभव हो ताकि वह किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए न्यूनतम वेतन दरों से कम भुगतान, आराम के दिनों के लिए भुगतान अथवा किए गए काम के लिए भुगतान के दावों को सुनकर उनका निर्णय कर सके ।

2.8 अधिकृत कटौतियां

निम्नलिखित के लिए कटौतियां हो सकती है :-

- (क) जुर्माने
- (ख) क्षति अथवा नुकसान
- (ग) अनुबंध भंग करने पर

III न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत एकत्रित आंकड़े

3.1 इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी स्थापनाओं के लिए वांछनीय है कि संबंधित प्राधिकारी (केन्द्र अथवा राज्य) के पास न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करें । केन्द्र/राज्य सरकारें प्रत्युत्तर में श्रम ब्यूरो को समेकित विवरणी (सलग्न III) प्रेषित करेगी जिसमें अखिल भारतीय रिपोर्ट तैयार की जायेगी जो आंकड़ों की सटीकता तथा निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा के उपरान्त इन विवरणियों में समाहित आंकड़ों पर आधारित होगी । जहां मासिक न्यूनतम वेतन का विवरण प्राप्त है तो मासिक मजदूरी को 26 से विभाजित करके उसे दैनिक न्यूनतम मजदूरी में बदला जाता है तथा इसी प्रकार पाक्षिक और साप्ताहिक न्यूनतम वेतन को क्रमशः 12 और 6 से भाग देकर न्यूनतम दैनिक मजदूरी का पता लगाया जाता है ।

3.2 नए रोजगार जोड़ना

3.2.1 राज्य सरकारें तथा केन्द्र शासित प्रदेश समय-समय पर अपने अधिकार क्षेत्र के सूचीबद्ध नियोजनों की समीक्षा करते हैं और नए रोजगार इन सूचियों में जोड़ते हैं जिनके संबंध में मत है कि वर्तमान दरों के साथ-साथ सांविधिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी दरें भी निर्धारित की जानी चाहिए।

3.2.2 वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ और राजस्थान दो राज्यों में अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में नए रोजगार जोड़े (तालिका-1) गए।

3.3 पहली बार न्यूनतम मजदूरी निर्धारण

तालिका-2 से पता चलता है कि वर्ष 2010 में असम सरकार द्वारा तीन सूचीबद्ध नियोजनों के लिए पहली बार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई (1) प्रशिक्षण अकादमी जिनमें नर्सिंग, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, तकनीकी संस्थान शामिल थे (2) बिजली बोर्ड में नियोजन (3) खाद्य संरक्षण

3.4 सूचीबद्ध नियोजन तथा प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दरें

केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करने के लिए सूचीबद्ध नियोजन समूह रखती आई है। ये उपयुक्त सरकारें जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के साथ संलग्न सूची में किसी रोजगार को जोड़ती है तो सूचीबद्ध नियोजन समूह में परिवर्तन होता है।

तालिका-3 में 22 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और सीएलसी (केन्द्रीय) के लिए 31.12.2010 को सूचीबद्ध नियोजनों में अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के आंकड़े दर्शाए गए हैं। (सूचीबद्ध नियोजनों की संख्या तथा न्यूनतम मजदूरी अलग अलग राज्यों में पृथक है। राज्यों में से असम से सर्वाधिक संख्या में (99) सूचीबद्ध नियोजनों का पता चला। यह संख्या सबसे कम मिजोरम में (1) थी। केन्द्रशासित प्रदेशों में से दमन और दीव से सर्वाधिक 72 सूचीबद्ध नियोजनों की तथा न्यूनतम (6) अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तालिका के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि मजदूरी ढांचे में कोई समरूपता नहीं है क्योंकि कुछ राज्य मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते को जोड़कर समेकित मजदूरी देते हैं तो कुछ राज्यों में मंहगाई भत्ते को अलग भाग समझा जाता है। केवल पांच राज्य, तीन केन्द्र शासित प्रदेश तथा सीएलसी (केन्द्रीय) ने मजदूरी को समय-समय पर मंहगाई भत्ते में संशोधन के साथ जोड़ा है। 14 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सभी सूचीबद्ध नियोजनों में सभी अकुशल कामगारों को लगभग एक समान मजदूरी का भुगतान कर रहे थे।

3.5 सूचीबद्ध नियोजन तथा न्यूनतम मजदूरी दरों का दायरा

3.5.1 इन नियोजनों की कुल संख्या जिनके संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित/संशोधित की गई है तथा 31.12.2010 के अनुसार विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी का दायरा तालिका-4 में दर्शाया गया है।

3.5.2 तालिका से यह तथ्य सामने आता है कि सूचीबद्ध नियोजनों की सर्वाधिक संख्या 99 असम में थी और उसके बाद बिहार में 88 तथा दमन दीव में यह संख्या 72 थी ।

3.5.3 सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में निम्नतम न्यूनतम मजदूरी दरें और उच्चतम न्यूनतम मजदूरी दरों की गणना में अन्तर बहुत बड़ा है जिसका पता इस तथ्य से लगता है कि जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सभी सूचीबद्ध नियोजनों में सभी अकुशल कामगारों को एक समान मजदूरी अदा कर रहे हैं वहां यह अन्तर शून्य है जबकि आन्ध्र प्रदेश में यह सर्वाधिक 179.00 रु0 है ।

3.6 केन्द्रीय क्षेत्र/राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सूचीबद्ध नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरें

3.6.1 तालिका-5 में केन्द्रीय क्षेत्र/राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सूचीबद्ध नियोजनों में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दैनिक दरें तुलनात्मक रूप से दर्शाई गई है । इस जानकारी के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

- (क) किसी विशेष सूचीबद्ध नियोजन में न्यूनतम मजदूरी दरों में अन्तर राज्य विचलन का अध्ययन करना
- (ख) उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम और संख्या प्रस्तुत करना जो एक ही स्थान पर किसी विशेष रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करते हैं ।

3.6.2 तालिका से स्पष्ट है कि 31.12.2010 को पूरे भारत में कुल मिलाकर 300 विभिन्न प्रकार के सूचीबद्ध नियोजन थे जिनके लिए विवरणी भेजने वाले राज्यों/केन्द्र/केन्द्र शासित प्रदेशों ने न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित/संशोधित की है । तथापि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कुछ सूचीबद्ध नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरों के दायरे में अन्तर देखने में आया है । उदाहरण स्वरूप कृषि क्षेत्र में, असम, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा से प्रतिदिन 100.00 रूपए दैनिक की न्यूनतम मजदूरी की रिपोर्ट आई तथा अण्डेमान में प्रचलित दर 205.00 रूपए दैनिक और निकोबार में 216.00 रूपए दैनिक थीं । इसी प्रकार सार्वजनिक मोटर परिवहन के संबंध में, त्रिपुरा में 70.85 रूपए की दैनिक मजदूरी दर जबकि दिल्ली में 203.00 रूपए दैनिक रही । भवन और सड़क निर्माण/रखरखाव के क्षेत्र में असम में 100 रूपए प्रतिदिन की मजदूरी रही तो महाराष्ट्र में यह दर 220.93 रूपए दर्ज की गई । दाल/आटा/चावल मिलों के मामले में त्रिपुरा से 98.08 रूपए दैनिक न्यूनतम मजदूरी की खबर मिली तो दिल्ली में 203.00 रूपए प्रचलित थी । पत्थर तोड़ने/चूरा करने के मामले में असम, मेघालय और नागालैंड में न्यूनतम मजदूरी दर एक सौ रूपए दैनिक थी तथा अण्डेमान में 205.00 रूपए तथा निकोबार में 216.00 रूपए दैनिक दर्ज की गई । इसके अलावा वन-विद्या टम्बर आपरेशन/सामाजिक वन-विद्या क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश में 69.00 रूपए दैनिक तथा महाराष्ट्र में 188.60 रूपए दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर का चलन रहा । अन्य सूचीबद्ध नियोजनों में भी लगभग इसी पद्धति का चलन रहा । तालिका-3 से पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश में सर्वाधिक 248.00 रूपए दैनिक मजदूरी दर सूचीबद्ध रोजगार सफाई कर्मियों के लिए मिलती है जबकि यह त्रिपुरा में चाय बागान के सूचीबद्ध नियोजन में सबसे कम 46.00 रूपए दैनिक है ।

3.7 विवरणी प्रस्तुत करना

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शामिल स्थापनाओं की संख्या का विवरण तथा विवरणी देने वालों तथा औसत दैनिक नियोजन संबंधी विवरण तालिका-6 में दर्शाया गया है। राज्य क्षेत्र में प्रत्युत्तर दर सबसे कम मिज़ोरम राज्य में (शून्य) में है तो सर्वाधिक 92.44 प्रतिशत की दर त्रिपुरा की है।

3.8 निरीक्षण

3.8.1 तालिका-7 में राज्यवार निरीक्षणों, अनियमितताओं, मुकदमों तथा प्रस्तुत दावों का विवरण दर्शाया गया है।

3.8.2 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में से गुजरात राज्य से सर्वाधिक (126980) निरीक्षणों तथा (82266) अनियमितताओं का पता चला है। दूसरी ओर मिज़ोरम और लक्षद्वीप में कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया जबकि सबसे कम (4) अनियमितताओं का नगालैंड में पता चला। राज्यों के क्षेत्र में गुजरात में सर्वाधिक (2508) मुकदमों चलाए गए जबकि नगालैंड में यह संख्या सबसे कम (4) रही। आन्ध्र प्रदेश में सर्वाधिक (13524) दावे पेश हुए जबकि महाराष्ट्र और नगालैंड से सबसे कम 4-4 दावे पेश हुए।

3.9 अधिनियम को लागू करना

केवल मजदूरी निर्धारण/संशोधन तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक यह सुनिश्चित न हो कि कामगारों को तदनुसार भुगतान किया जाए। इसलिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु समुचित स्टाफ की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। तथापि ज्यादातर राज्यों/संघशासित प्रदेशों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु कोई अलग से तन्त्र स्थापित नहीं किया गया और अन्य श्रम अधिनियमों के तहत नियुक्त निरीक्षण स्टाफ को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन का कार्य भी सौंपा गया। वर्ष 2010 के लिए न्यूनतम अधिनियम, 1948 के प्रवर्तन तंत्र की क्षमता का विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।

3.10 आंकड़े की सीमाएं

बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी निम्नलिखित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से वर्ष 2010 की विवरणियां प्राप्त नहीं हुईं।

3.11 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश जिन से विवरणियां प्राप्त नहीं हुईं अथवा विसंगतिपूर्ण विवरणियां प्राप्त की गईं ।

ऐसे राज्य जिन्होंने विवरणी प्रस्तुत नहीं की	ऐसे राज्य जिन्होंने विसंगतिपूर्ण विवरणी भेजी है
<ol style="list-style-type: none"> 1. अरुणाचल प्रदेश 2. जम्मू एवं कश्मीर 3. झारखण्ड 4. कर्नाटक 5. मध्य प्रदेश 6. मणिपुर 7. ओडिशा 8. पंजाब 9. तमिलनाडु 10. उत्तर प्रदेश 11. दादर और नगर हवेली 12. पुडुच्चेरी 	<ol style="list-style-type: none"> 1. केरल

तालिका-1

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के साथ संलग्न सूची में वर्ष 2010 के दौरान बाद में जोड़े गए नियोजन

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के साथ संलग्न सूची में वर्ष 2010 के दौरान बाद में जोड़े गए नियोजन
1.	छत्तीसगढ़	1. बिजली संयंत्र 2. स्टील संयंत्र 3. स्पंज आयरन 4. टोलिंग मिल 5. ढलाई उद्योग 6. सीमेन्ट कारखाना 7. सुरक्षा एजेन्सी 8. भवन एवं सड़कें 9. स्टोन क्वारिरी 10. शैक्षणिक प्रतिष्ठान एवं निजी कोचिंग सेंटर 11. अस्पताल तथा नर्सिंग होम तथा पैथोलोजिकल लैब 12. सेल प्रमोशन 13. पेट्रोल/डीजल/एलपीजी 14. विलायक संयंत्र तथा शोधशालाएं
2.	राजस्थान	1. सेल प्रमोशन कार्य में रोजगार

तालिका- 2

ऐसे नियोजन जिनमें वर्ष 2010 में पहली बार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ऐसे नियोजन जिनमें वर्ष 2010 में पहली बार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई ।	प्रतिदिन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (रु० में)
1	2	3	4
1	असम	1. नर्सिंग, अंग्रेजी माध्यम स्कूल तथा तकनीकी संस्थान सहित कोचिंग अकादमिक	100.00
		2. बिजली बोर्ड में नियोजन	100.00
		3. खाद्य संरक्षण	100.00

तालिका 3
सूचीबद्ध नियोजनों में अकुशल कामगारों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी
31.12.2010 के अनुसार

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
1. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)					
1	कृषि	क्षेत्र-ग	102.00	44.00	146.00
		क्षेत्र-क	114.00	49.00	163.00
2	ऐसबेस्टोस खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
3	बैराइट खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
4	बॉक्साइट खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
5	सड़क एवं भवन निर्माण	क्षेत्र-ग	120.00	36.00	156.00
		क्षेत्र-क	180.00	54.00	234.00
6	चीनी मिट्टी की खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
7	तौबा खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
8	मार्ग निर्माण तथा रखरखाव	क्षेत्र-ग	120.00	36.00	156.00
		क्षेत्र-क	180.00	54.00	234.00
9	मिट्टी की खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
10	क्रोमाइट खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
		भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
11	डोलोमाइट खानें	भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
		भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
12	भूमिगत इलैक्ट्रिक, वायरलैस, रेडियो, टेलीविज़न टेलीफोन, टैलीग्राफ तथा अन्तरराष्ट्रीय संचार केबल तथा इसी तरह की अन्य भूमिगत केबल बिछाना इलैक्ट्रिक लाइनें, जल आपूर्ति लाइने तथा मलजल	क्षेत्र-ग	120.00	36.00	156.00
		क्षेत्र-क	180.00	54.00	234.00
13	अग्निशह मिट्टी की खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
14	फैक्सपर खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
15	जिप्सम खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
16	ग्रेफाइट खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
17	ग्रेनाइट खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
18	ग्रेवल खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
19	हेमेटाइट खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
20	लोह अयस्क खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
21	क्यानाइट खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
22	लेटराइट खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
23	गुड शैड्स में लोडिंग तथा अपलोडिंग, रेलवे के पार्शल ऑफिस, अन्य गुडशैड्स, गोदाम, भंडारगृह आदि तथा पोत तथा गोंद	क्षेत्र-ग	120.00	36.00	156.00
		क्षेत्र-क	180.00	54.00	234.00
24	लिग्नाइट खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
25	भवनों का रखरखाव	क्षेत्र-ग	120.00	36.00	156.00
		क्षेत्र-क	180.00	54.00	234.00
26	अन्नक खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
27	मैंगनीस खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
28	मैंगनेसाइट खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
29	मैंगनेसाइट खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
30	मार्बल तथा कैंत्साइट खाने	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
31	गोरू खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
32	क्वार्टर खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
33	क्वार्टरजाइट खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
34	रेडोक्साइट खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
35	रॉक फासफेट खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
36	स्टोन ब्रेकिंग एवं स्टोन कशिंग		82.44	42.70	125.14
37	पत्थर खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
38	सैलखडी खानें (सॉप स्टोन तथा सिलखडी बनाने वाली खानों सहित)	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
39	सिलिका खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
40	स्लेट खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
41	स्वीपिंग तथा क्लीनिंग	क्षेत्र-ग	120.00	36.00	156.00
		क्षेत्र-क	180.00	54.00	234.00
42	पहरा व निगरानी	क्षेत्र-ग	120.00	36.00	156.00
		क्षेत्र-क	180.00	54.00	234.00
43	यूरेनियम खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
44	सफेद मिट्टी खानें	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00
45	बुलफैम	भूमि से ऊपर	120.00	36.00	156.00
		भूमि से नीचे	150.00	44.00	194.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग

तालिका 3

क्षेत्र "क"

	अहमदाबाद	(यू.ए.)	गेटर मुम्बई	(यू.ए.)	चेन्नई
	बंगलोर	(यू.ए.)	हैदराबाद	(यू.ए.)	नागपुर
	कोलकाता	(यू.ए.)	कानपुर	(यू.ए.)	दिल्ली
	लखनऊ	(यू.ए.)			
			क्षेत्र "ख"		
	आगरा	(यू.ए.)	गाजियाबाद	(यू.ए.)	मेरठ
	अजमेर	(यू.ए.)	गोरखपुर	(यू.ए.)	मुरादाबाद
	अलीगढ़	(यू.ए.)	गोहाटी		मैसूर
	इलाहाबाद	(यू.ए.)	गुंटूर		नासिक
	अमरावती	(यू.ए.)	ग्वालियर	(यू.ए.)	पुणे
	औरंगाबाद	(यू.ए.)	इन्दौर	(यू.ए.)	पटना
	बरेली	(यू.ए.)	हबली धारवाड़		रायपुर
	भावनगर/भोपाल		जबलपुर	(यू.ए.)	राजकोट
	बीकानेर		जयपुर	(यू.ए.)	रांची
	भुवनेश्वर		जालंधर		शोलापुर
	अमृतसर		जमशेदपुर	(यू.ए.)	श्रीनगर
	कलीकट	(यू.ए.)	जोधपुर		सुरत
	चण्डीगढ़	(यू.ए.)	कोलापुर	(यू.ए.)	तिरुवनन्तपुरम
	कोचीन	(यू.ए.)	कल्याण		उत्तराखण्ड
	कोयंबटूर	(यू.ए.)	कोट		बडौदरा
	कटक	(यू.ए.)	लुधियाणा		वाराणसी
	दुर्गापुर		मद्रई	(यू.ए.)	विजयवाड़ा
	फरीदाबाद काम्प्लैक्स				विशाखापट्टनम
					वाराणसी

नोट

क्षेत्र "ग" = में वे सभी क्षेत्र आएंगे जो इस सूची में नहीं दिए गए ।

यू.ए. = शहरी समूह

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी		
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता
2. आन्ध्र प्रदेश				
1	कृषि	112.00	-	112.00
2	वातित जल निर्माण इकाइयों तथा मृदु पेय	96.00	53.00	149.00
3	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूचि के भाग-I तथा भाग-II के अन्तर्गत अधिसूचित को छोड़कर कारखाना अधिनियम की धारा 2 (एम) या धारा 85 के अन्तर्गत परिभाषा के अनुसार किसी भी कारखाने में संचालित कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया	78.00	42.00	120.00
4	सर्विस तथा मरम्मत सहित आटोमोबाईल इंजीनियरिंग वर्कशॉप	147.00	77.00	224.00
5	बैंकिंग प्रक्रिया डिस्टिकट निर्माणी सहित	122.00	64.00	186.00
6	बीटल वाईन	88.00	-	88.00
7	ईट भट्टे का उद्योग	112.00	66.00	178.00
8	कैंटीन एवं कलब	102.00	60.00	162.00
9	काजू तथा नारियल के बाग	125.00	-	125.00
10	काजू संसाधन प्रतिष्ठान	149.00	69.00	218.00
11	स्टोन वेयर पाइप निर्माणी को छोड़कर सीमेन्ट कन्क्रीट पाइपें तथा सीमेन्ट वेयर निर्माणी	112.00	66.00	178.00
12	रसायन तथा औषधी	134.00	70.00	204.00
13	सिनेमा उद्योग	141.00	69.00	210.00
14	कॉफी बागान	89.00	55.00	144.00
15	रंगीन प्रिंटिंग एवं सूत रंगाई	129.00	67.00	196.00
16	बांध तथा बहुप्रयोजन परियोजना सहित परियोजना निर्माण	130.00	75.00	205.00
17	सड़क निर्माण या रखरखाव तथा निर्माण संकार्य	130.00	68.00	198.00
18	सूती गलीचे बुनाई प्रतिष्ठान	135.00	66.00	201.00
19	कॉटन गिनिंग एवं प्रैसिंग कारखाना	164.00	64.00	228.00
20	डेयरी फार्मिंग	69.00	-	69.00
21	मद्य निर्माणशालाएं	150.00	78.00	228.00
22	घरेलू श्रमिक	100.00	-	100.00
23	इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	133.00	69.00	202.00
24	मत्स्य उद्योग तथा समुद्री भोजन	125.00	65.00	190.00
25	वन्य उद्योग तथा लकड़ी कार्य	69.00	-	69.00
26	कॉच उद्योग	129.00	68.00	197.00
27	गारमेट्स एवं संबंधित निर्माण उद्योग	75.00	39.00	114.00
28	गोल्ड क्वरिंग एवं गोल्ड कोटिंग उद्योग	130.00	68.00	198.00
29	हस्तकरघा (सिल्क) बुनाई प्रतिष्ठान	मजदूरी प्राप्त नहीं हुई		
30	हस्तकरघा बुनाई प्रतिष्ठान		उजरती दर	
31	हस्तकरघा बुनाई प्रतिष्ठान अतिरिक्त श्रेणी	91.00	56.00	147.00
32	बागवानी	89.00	-	89.00
33	अस्पताल, नर्सिंग होम एवं क्लीनिक अन्य सरकारी अस्पताल एवं डिस्पेंसरी के अलावा	73.00	142.00	215.00
34	सभी कॉलेज के होस्टल एवं अन्य शिक्षा संस्थान	76.00	149.00	225.00
35	होटल, एवं रेस्तरा तथा भोजनालय	128.00	73.00	201.00
36	जूट एवं नारियल उद्योग	77.00	139.00	216.00
37	खांडसाही कारखाने	135.00	70.00	205.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
38	चूना पत्थर भट्टियां	93.00		57.00	150.00
39	विपणन संस्थाएं उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं तथा सहकारी बैंक	124.00		65.00	189.00
40	दीयासलाई तथा आतिशबाजी	104.00		60.00	164.00
41	मस्ता प्रयुक्त सूतली मिल	66.00		33.00	99.00
42	घातू इलाईघर तथा सामान्य इजीनियरिंग	126.00		66.00	192.00
43	अश्रक कार्य	131.00		68.00	199.00
44	छोटे व लघु सीमेंट कारखानें	107.00		56.00	163.00
45	प्रोडक्शन वितरण तथा प्रचार सहित चलचित्र उद्योग	112.00		66.00	178.00
46	तेल मिलें	80.00		143.00	223.00
47	हाथ से बने पेपर सहित स्ट्रू बोर्ड सहित पेपर तथा पेपर बोर्ड निर्माणी	69.00		149.00	218.00
48	पेट्रोल शायिका	134.00		70.00	204.00
49	चारा इकाई सहित कुक्कुट फार्मिंग	112.00		-	112.00
50	बिजलीकरघा उद्योग	102.00		96.00	198.00
51	प्रिंटिंग प्रैस सहित लिथो एवं ऑफसेट प्रिंटिंग	135.00		61.00	196.00
52	निजी मोटर परिवहन	130.00		59.00	189.00
53	व्यावसायिक जैसे वकीलों के साथ काम करने वाले कट परामर्शदाता तथा क्लर्कों सहित चार्टर्ड कॉस्ट एकाउन्ट्स, लेखा परीक्षक	162.00		54.00	216.00
54	सार्वजनिक मोटर परिवहन	102.00		53.00	155.00
55	चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल सहित ग्रेलर आटा मिल	136.00		61.00	197.00
56	सफाई कर्मचारी	192.00		56.00	248.00
57	नमक पैन	97.00		50.00	147.00
58	सुरक्षा सेवारं	154.00		45.00	199.00
59	बीज संसाधन इकाईयों	123.00		69.00	192.00
60	रेशम की खेती	173.00		-	173.00
61	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	130.00		59.00	189.00
62	स्लेट कारखाना	123.00		56.00	179.00
63	स्टील मिल एवं स्टील टी-रोलिंग मिल	123.00		56.00	179.00
64	पत्थर तोड़नें एवं पत्थर पिसाई संकार्य	123.00		55.00	178.00
65	टैनरिज एवं चमड़ा निर्माणी	133.00		67.00	200.00
66	टाइलें तथा मिट्टी के बर्तन	123.00		56.00	179.00
67	तम्बाकू (बीड़ी बनाने सहित) निर्माणी	113.00		50.00	163.00
68	तम्बाकू (बीड़ी बनाने सहित) निर्माणी	67.00		25.00	92.00
69	बिक्री तथा वाहन उद्योग सहित टॉडी टैपिंग	106.00		53.00	159.00
70	फर्नीचर सहित लकड़ी कार्य प्रतिष्ठान (लकड़ी कार्य को छोड़कर)	129.00		58.00	187.00
71	ऊनी कारपैट बनाना तथा शॉल बुनाई प्रतिष्ठान	97.00		50.00	147.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
3. असम					
1	अगरबत्ती		100.00	-	100.00
2	अगरवुड उद्योग		100.00	-	100.00
3	कृषि श्रमिक		100.00	-	100.00
4	एलुमीनियम उद्योग		100.00	-	100.00
5	एसबेस्टस सीमेंट कारखाना		100.00	-	100.00
6	बेकरी		100.00	-	100.00
7	बीड़ी बनाना		100.00	-	100.00
8	पेय निर्माण तथा बिक्री प्रतिष्ठान		100.00	-	100.00
9	बिस्टिकट प्रतिष्ठान		100.00	-	100.00
10	लोहार		100.00	-	100.00
11	बाउ लीफ कारखाना		100.00	-	100.00
12	मद्य निर्माणशाला		100.00	-	100.00
13	ईट बनाना तथा ईट भट्ठा		100.00	-	100.00
14	मोमबत्ती विनिर्माण		100.00	-	100.00
15	कैंटीन एवं कलब		100.00	-	100.00
16	बढ़ईगिरी तथा राजगीरी		100.00	-	100.00
17	सीमेंट बेस्ड उद्योग		100.00	-	100.00
18	चक्की मिल		100.00	-	100.00
19	रसायन तथा औषधीय उद्योग		100.00	-	100.00
20	क्लीनर		100.00	-	100.00
21	तकनीकी संस्थानों और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों तथा नर्सिंग सहित कोचिंग अकादमी		100.00	-	100.00
22	कॉफी एवं रबड़ उद्योग		100.00	-	100.00
23	पत्थर तोड़ने एवं पत्थर पिसाई तथा निर्माण कार्य में या सड़क निर्माण या सखरखाव		100.00	-	100.00
24	वन विभाग के ठेका संस्थान		100.00	-	100.00
25	सहकारी उपभोक्ता संस्थान		100.00	-	100.00
26	सहकारी विपणन संस्थान		100.00	-	100.00
27	सूती वस्त्र मिलें		100.00	-	100.00
28	कटिंग एवं दर्जीगिरी		100.00	-	100.00
29	डेयरी एवं कूककट फार्मिंग		100.00	-	100.00
30	डिस्पेंसरी		100.00	-	100.00
31	भू कटाई करना तथा मिट्टी हटाना		100.00	-	100.00
32	खाद्य तेल कर्मकार		100.00	-	100.00
33	बिजली बोर्ड में रोजगार		100.00	-	100.00
34	इंजीनियरिंग उद्योग मोटर गैराज एवं श्रमिकों सहित		100.00	-	100.00
35	सिनेमा उद्योग		100.00	-	100.00
36	मछली पालन		100.00	-	100.00
37	मछली पकड़ना		100.00	-	100.00
38	बाढ़ नियंत्रण		100.00	-	100.00
39	आटा मिलें		100.00	-	100.00
40	खाद्य संरक्षण		100.00	-	100.00
41	खाद्य संसाधन		100.00	-	100.00
42	वन तथा लकड़ी कार्य		100.00	-	100.00
43	गोडखा पान मसाला विनिर्माण		100.00	-	100.00
44	सोने व चांदी के आभूषण तथा कलात्मक डिजाइन निर्माण की अन्य वस्तुएं		100.00	-	100.00
45	सूनार		100.00	-	100.00
46	घास तथा लकड़ी कटाई		100.00	-	100.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
47	बाल कटाई सैलून		100.00	-	100.00
48	हस्तशिल्प		100.00	-	100.00
49	हस्तकरघा बुनाई		100.00	-	100.00
50	बागवानी		100.00	-	100.00
51	होटल रेस्तरा तथा भोजनालय		100.00	-	100.00
52	हाईड्रोज बिजली उत्पाद		100.00	-	100.00
53	आईसक्रीम तथा आईस कैडी विनिर्माण तथा बिक्री प्रतिष्ठान		100.00	-	100.00
54	बर्फ कारखाना एवं शीत भंडार		100.00	-	100.00
55	सिंचाई		100.00	-	100.00
56	जूट बेलिंग उद्योग		100.00	-	100.00
57	जूट मिल		100.00	-	100.00
58	खादी एवं गांव उद्योग		100.00	-	100.00
59	एल.पी.जी. वितरण		100.00	-	100.00
60	दियासलाई विनिर्माण		100.00	-	100.00
61	मैटल रोलिंग एवं टी रोलिंग उद्योग		100.00	-	100.00
62	लघु इंजीनियरिंग उद्योग		100.00	-	100.00
63	मोटर बॉडी निर्माण		100.00	-	100.00
64	नगरपालिका तथा नगर समिति		100.00	-	100.00
65	तेल तथा गैस ड्रिलिंग कर्मकार		100.00	-	100.00
66	पेपर उद्योग		100.00	-	100.00
67	रोग विज्ञान प्रयोगशाला		100.00	-	100.00
68	पेट्रोल पम्प श्रमिक		100.00	-	100.00
69	फोटो एवं पिक्चर फ्रेम विनिर्माण		100.00	-	100.00
70	प्लाईवुड उद्योग		100.00	-	100.00
71	भाडसारी उद्योग		100.00	-	100.00
72	कुक्कट एवं चारा विनिर्माण		100.00	-	100.00
73	परिक्षेत्र जहां गांय व भैसों को दूध, भोजन तथा इसी तरह की अन्य प्रक्रियाओं के लिए रखा जाता है		100.00	-	100.00
74	कपड़ा प्रिंटिंग एवं रंगाई		100.00	-	100.00
75	प्रिंटिंग प्रैस		100.00	-	100.00
76	निजी अस्पताल		100.00	-	100.00
77	निजी सुरक्षा एजेंसी		100.00	-	100.00
78	निजी परिवहन		100.00	-	100.00
79	सार्वजनिक स्वास्थ्य		100.00	-	100.00
80	सार्वजनिक मोटर परिवहन, ए.एस.टी.सी सहित		100.00	-	100.00
81	तैयार वस्त्र		100.00	-	100.00
82	चावल एवं तेल मिलें		100.00	-	100.00
83	रबड़ संसाधन एवं रबड़ विनिर्माण		100.00	-	100.00
84	आरा मिलें		100.00	-	100.00
85	एच. एण्ड एफ डेन्सू विभाग के तहत एनएमईपी के मौसमी स्प्रे दस्ते		100.00	-	100.00
86	रेशम उत्पादन प्रक्रिया		100.00	-	100.00
87	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		100.00	-	100.00
88	लघु उद्योग		100.00	-	100.00
89	पका मसाला बेचने वाली दुकानें		100.00	-	100.00
90	साबुन बनाना		100.00	-	100.00
91	स्ट्रीमरघाट		100.00	-	100.00
92	चीनी उद्योग		100.00	-	100.00
93	चर्मशोधनालय तथा चमड़ा कारखाना		100.00	-	100.00
94	थियेटर		100.00	-	100.00
95	टाईलज विनिर्माण		100.00	-	100.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
96	परिवहन, विपणन तथा पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण		100.00	-	100.00
97	ट्रक एवं टोकरी विनिर्माण		100.00	-	100.00
98	ट्यूबवेल खुदाई		100.00	-	100.00
99	श्रमिक, हैल्पर एवं वैल्वर (गौण इंजीनियर)		100.00	-	100.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
4. बिहार					
1	अगरबत्ती उद्योग		120.00	-	120.00
2	कृषि		120.00	-	120.00
3	अलुमिनियम उद्योग		119.00	-	119.00
4	एसबेस्टस सीमेंट कारखाना		119.00	-	119.00
5	ओटोमोबाइल इंजीनियरिंग वर्कशाप		119.00	-	119.00
6	बेकरी तथा हलवाई की दुकान		119.00	-	119.00
7	बीड़ी बनाना		119.00	-	119.00
8	बिस्किट उद्योग		119.00	-	119.00
9	जित्दसाजी उद्योग		119.00	-	119.00
10	ईट निर्माणी तथा सिरेमिक उद्योग		119.00	-	119.00
11	सीमेंट एवं बड़ी पाइप, बिजली के पोल एवं रेलवे स्लीपर निर्माण उद्योग		119.00	-	119.00
12	सीमेंट प्रेसटैस्ड उत्पाद उद्योग		119.00	-	119.00
13	रयायन तथा औषधीय उद्योग		119.00	-	119.00
14	सिनेमा उद्योग		119.00	-	119.00
15	कोयला ब्रिकेट उद्योग		119.00	-	119.00
16	शीतगृह		119.00	-	119.00
17	सड़क निर्माण तथा रख-रखाव एवं भवन निर्माण		119.00	-	119.00
18	सहकारी क्षेत्र		119.00	-	119.00
19	कोटियर सेवाएं		119.00	-	119.00
20	दफती कार्ड बोर्ड, मिल बोर्ड, पेपर बोर्ड, कोस्मेटिक बोर्ड, स्ट्रॉ बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड विनिर्माण		119.00	-	119.00
21	डेयरी एवं कृकट फार्म		119.00	-	119.00
22	बांध निर्माण एवं रिंचाई		119.00	-	119.00
23	मद्य निर्माणशालाएं		119.00	-	119.00
24	घरेलू श्रमिक		115.00	-	115.00
25	भू कटाई कार्य		119.00	-	119.00
26	शिक्षा, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं सांस्कृतिक संस्थान		119.00	-	119.00
27	बिजली एवं अन्य प्रकार के बत्त एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब निर्माण उद्योग		119.00	-	119.00
28	इलेक्ट्रो कास्टिंग एवं मेटल फिनिशिंग उद्योग		119.00	-	119.00
29	विद्युत उद्योग		119.00	-	119.00
30	नाविकों का रोजगार		120.00	-	120.00
31	अग्निसह ईंटें, सिरेमिक उद्योग एवं रिफ्रैक्टरीज		119.00	-	119.00
32	मछली पालन		119.00	-	119.00
33	वन तथा लकड़ी कार्य		119.00	-	119.00
34	ढलाईखाना उद्योग		119.00	-	119.00
35	टोटा चावल		119.00	-	119.00
36	कांच उद्योग (कांच शीट रहित)		119.00	-	119.00
37	कांच शीट उद्योग		119.00	-	119.00
38	बन्दूक कारखाना		119.00	-	119.00
39	बाल कटाई मैलून		119.00	-	119.00
40	हस्तकरघा उद्योग		119.00	-	119.00
41	हाई कोक उद्योग		119.00	-	119.00
42	हौजरी कारखाना		119.00	-	119.00
43	होस्टल, भोजनालय तथा रेस्तरां		119.00	-	119.00
44	आइसक्रीम तथा ठण्डा पेय		119.00	-	119.00
45	सूचना प्रौद्योगिकी		119.00	-	119.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
46	जूट उद्योग तथा समान कार्य		119.00	-	119.00
47	खादी एवं गांव उद्योग		119.00	-	119.00
48	खाण्डसारी उद्योग		119.00	-	119.00
49	लाख निर्माणी		119.00	-	119.00
50	कपड़ों की धुलाई		119.00	-	119.00
51	लौडिंग एवं अनलौडिंग कार्य		119.00	-	119.00
52	सोने व चांदी के आभूषण तथा कलात्मक डिजाईन की अन्य वस्तुओं का विनिर्माण		119.00	-	119.00
53	चमड़ा वस्तुओं का निर्माण		119.00	-	119.00
54	अभ्रक कार्य (खानों को छोड़कर कारखाना तथा प्रतिष्ठान)		119.00	-	119.00
55	खनिज पिसाई उद्योग		119.00	-	119.00
56	50 श्रमिकों से कम नियोजित करने वाले लघु इंजीनियरिंग उद्योग (आटो मोबाइल इंजीनियरिंग वर्कशॉप छोड़कर)		119.00	-	119.00
57	50 श्रमिकों से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले लघु इंजीनियरिंग उद्योग		119.00	-	119.00
58	तेल मिलें		119.00	-	119.00
59	पापड़ उद्योग		120.00	-	120.00
60	पेपर उद्योग		119.00	-	119.00
61	पेट्रोल एवं डीजल पम्प		119.00	-	119.00
62	प्लास्टिक उद्योग		119.00	-	119.00
63	तेन्दु के पत्तों का तोड़ना तथा संसाधन		119.00	-	119.00
64	प्लाईवुड उद्योग		119.00	-	119.00
65	मिट्टी के बरतन का उद्योग		119.00	-	119.00
66	पावरलूम उद्योग		119.00	-	119.00
67	प्रिंटिंग प्रैस		119.00	-	119.00
68	प्राइवेट फेरी एवं एल.टी.सी		119.00	-	119.00
69	निजी अस्पताल, नर्सिंग होम तथा क्लीनिक		119.00	-	119.00
70	निजी सुरक्षा		119.00	-	119.00
71	पब्लिक मोटर परिवहन		119.00	-	119.00
72	धार्मिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठान		119.00	-	119.00
73	चावल, आटा एवं दाल मिले		119.00	-	119.00
74	लोहे की रॉड रोलिंग, प्लेट, रोल इत्यादि का कार्य		119.00	-	119.00
75	रबड़ एवं रबड़ कम्पाउंड उद्योग		119.00	-	119.00
76	सफाई कर्मचारी (स्कैवेंजिंग छोड़कर)		120.00	-	120.00
77	चिकित्सा रोजगार का सेल प्रमोशन		115.00	-	115.00
78	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		119.00	-	119.00
79	पका मसाला बेचने वाली दुकानें		119.00	-	119.00
80	शुद्ध रेशम कृत्रिम रेशम तथा अन्य स्टेपल सूत की निर्माणी सहित रेशम उद्योग		119.00	-	119.00
81	सिंदूर एवं रंग निर्माण		119.00	-	119.00
82	साबून बनाने वाला उद्योग		119.00	-	119.00
83	पत्थर तोड़ना एवं पत्थर पिसाई		119.00	-	119.00
84	दूर्जागिरी उद्योग		119.00	-	119.00
85	टैनरीज एवं चमड़ा तकनीक		119.00	-	119.00
86	चाय बागान		119.00	-	119.00
87	फर्नीचर एवं लकड़ी कार्य		119.00	-	119.00
88	ऊनी कारपेट बनाने वाला तथा शॉल बुनाई प्रतिष्ठान		119.00	-	119.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी		
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता
5. छत्तीसगढ़				
1	कृषि	23.23	92.15	115.38
2	हड्डियों की मिलें	132.00	13.00	145.00
3	ईंटें	132.00	13.00	145.00
4	सीमेंट के खंभे एवं सीमेंट उत्पाद	132.00	13.00	145.00
5	रसायन तथा औषधीय उद्योग	132.00	13.00	145.00
6	सड़क एवं भवन निर्माण- रखरखाव	132.00	13.00	145.00
7	कॉटन गिनिंग एवं प्रैसिंग कारखाना	132.00	13.00	145.00
8	इंजीनियरिंग उद्योग	132.00	13.00	145.00
9	खाद्य उत्पाद, बेकरी मिठाई आईसक्रीम, वातित पेय की दुकानें	132.00	13.00	145.00
10	वन उत्पाद एवं वन विद्या	132.00	13.00	145.00
11	कोयला (ईंधन)	132.00	13.00	145.00
12	हथकरघा	132.00	13.00	145.00
13	सिंचाई	132.00	13.00	145.00
14	कम्बल उद्योग	132.00	13.00	145.00
15	कत्था उद्योग	132.00	13.00	145.00
16	खंडिसारी उद्योग	132.00	13.00	145.00
17	कोसा उद्योग	132.00	13.00	145.00
18	चूना	132.00	13.00	145.00
19	स्थानीय निकाय	132.00	13.00	145.00
20	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(क) के तहत शामिल लेकिन अन्यत्र कहीं भी वर्गीकृत न की गई विनिर्माण प्रक्रिया	132.00	13.00	145.00
21	मूरा पोहा	132.00	13.00	145.00
22	तेल मिलें	132.00	13.00	145.00
23	प्लास्टिक उद्योग	132.00	13.00	145.00
24	मिट्टी के बरतन	132.00	13.00	145.00
25	पावरलूम साइजिंग एवं प्रैसिंग	132.00	13.00	145.00
26	प्रिंटिंग प्रैस	132.00	19.00	151.00
27	सार्वजनिक मोटर परिवहन	132.00	13.00	145.00
28	रामराज गेरू	132.00	13.00	145.00
29	चावल, दाल एवं आटा मिलें	132.00	13.00	145.00
30	आटा मिलें	132.00	13.00	145.00
31	(दुकानें, एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान) होटल, रेस्तरा तथा सिनेमाघर	132.00	13.00	145.00
32	स्टेट पैसिल	132.00	13.00	145.00
33	पत्थर तोड़ना	132.00	13.00	145.00
34	टाइलें	132.00	13.00	145.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
6. गोवा					
1	कृषि		150.00	-	150.00
2	ऑटोमोबाइल मरम्मत वर्कशाप एवं गैराज		150.00	-	150.00
3	मद्य निर्माणशालाएं		150.00	-	150.00
4	ईंट एवं टाइल का विनिर्माण		150.00	-	150.00
5	काजू कारखाना एवं प्रतिष्ठान		150.00	-	150.00
6	सिनेमा प्रदर्शनी उद्योग		150.00	-	150.00
7	अनुसूचि में की गई किसी भी अन्य प्रविष्टियों के तहत शामिल किए गए को छोड़कर वाणिज्यिक विनिर्माण तथा सेवा कार्यों में कार्यरत वाणिज्यिक विनिर्माण या औद्योगिक संस्थान		150.00	-	150.00
8	सड़क निर्माण- सखरखाव एवं भवन कार्य तथा पत्थर पिसाई		150.00	-	150.00
9	सूती वस्त्र, सूत कताई, कॉटन प्रेसिंग सूती रेशे का विनिर्माण, धागा कताई, बुनाई हस्तकरघा सहित		150.00	-	150.00
10	बिजली की वस्तुओं तथा पुर्जों का विनिर्माण, संयोजन तथा बिजली उत्पादों का वितरण तथा बिक्री		150.00	-	150.00
11	चिकित्सा तथा औषध उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री तथा वितरण में कार्यरत औषधीय उद्योग तथा इकाइयां		150.00	-	150.00
12	लैटर प्रैस, लिथोग्राफी, फोटोग्रेवर द्वारा प्रिंटिंग या ऐसी प्रक्रिया के समान अन्य कार्य या जिन्दसाजी		150.00	-	150.00
13	निजी अस्पताल नर्सिंग होम डिस्पेन्सरी, चिकित्सा क्लीनिक, रेडियोलोजी, पैथोलोजी, प्रयोगशालाएं, सर्जिकल क्लीनिक सहित ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ रोगियों का चिकित्सा उपचार किया जाता है		150.00	-	150.00
14	मछली एवं पेय सहित खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण और डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थ		150.00	-	150.00
15	सार्वजनिक मोटर परिवहन उपक्रम एवं निजी मोटर परिवहन उपक्रम		150.00	-	150.00
16	तैयार वस्त्र निर्माणी		150.00	-	150.00
17	आवासीय होटल रेस्तरा या भोजनालय		150.00	-	150.00
18	आरा मिलें		150.00	-	150.00
19	आवासीय होटल रेस्तरा या भोजनालय के अलावा दुकाने तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		150.00	-	150.00
20	पहरा व निगरानी		150.00	-	150.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
7. गुजरात					
1	अगरबत्ती बनाने का उद्योग		100.00	-	100.00
2	कृषि		मजदूरी संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई		
3	आटोमोबाइल मरम्मत वर्कशाप तथा गैराज	क्षेत्र -I	132.90	28.40	161.30
		क्षेत्र -II	131.50	28.40	159.90
4	बेकटी	क्षेत्र -I	133.30	28.40	161.70
		क्षेत्र -II	132.60	28.40	161.00
		क्षेत्र -III	131.80	28.40	160.20
5	बोबिन उद्योग	क्षेत्र -I	133.60	28.40	162.00
		क्षेत्र -II	133.00	28.40	161.40
6	हड्डियों की पिसाई उद्योग		132.60	28.40	161.00
7	ईंट निर्माण उद्योग	क्षेत्र -I	120.10	28.40	148.50
		क्षेत्र -II	119.20	28.40	147.60
8	सीमेंट प्रेसट्रैड उत्पाद उद्योग		137.00	28.40	165.40
9	सड़क एवं भवन निर्माण कार्य एवं मरम्मत	क्षेत्र -I	135.50	28.40	163.90
		क्षेत्र -II	135.10	28.40	163.50
10	कॉटन गिनिंग एवं प्रैसिंग विनिर्माणी	क्षेत्र -I	136.90	28.40	165.30
		क्षेत्र -II	136.20	28.40	164.60
11	चिकित्सा औषधालय	क्षेत्र -I	135.60	28.40	164.00
		क्षेत्र -II	134.50	28.40	162.90
12	इलेक्ट्रॉनिक्स या संबंधित या संलग्न उद्योग		136.20	28.40	164.60
13	गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में नॉन टीचिंग स्टाफ का नियोजन		152.00	28.40	180.40
14	चलचित्र उद्योग		132.30	28.40	160.70
15	मछली पालन उद्योग		133.70	28.40	162.10
16	वन तथा लकड़ी कार्य		132.00	28.40	160.40
17	हौजरी उद्योग	क्षेत्र -I	136.90	28.40	165.30
		क्षेत्र -II	134.00	28.40	162.40
18	अस्पताल, नर्सिंग होम	क्षेत्र -I	136.30	28.40	164.70
		क्षेत्र -II	135.10	28.40	163.50
19	औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान (50 श्रमिकों से अधिक)	क्षेत्र -I	135.10	28.40	163.50
		क्षेत्र -II	134.40	28.40	162.80
			133.60	28.40	162.00
20	औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान (50 श्रमिकों से कम)	क्षेत्र -I	135.10	28.40	163.50
		क्षेत्र -II	134.40	28.40	162.80
			133.60	28.40	162.00
21	जड़ी उद्योग	क्षेत्र -I	134.50	28.40	162.90
		क्षेत्र -II	132.90	28.40	161.30
22	खाण्डसारी उद्योग		133.30	28.40	161.70

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
23	स्थानीय प्राधिकारी (नगरपालिका या नगर पंचायत)	क्षेत्र -I	136.30	28.40	164.70
		क्षेत्र -II	135.50	28.40	163.90
		क्षेत्र -III	134.50	28.40	162.90
24	स्थानीय प्राधिकारी (नगर निगम)		136.30	28.40	164.70
25	ग्राम पंचायत के अधीन ट्रेजगार		134.00	28.40	162.40
26	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(क) के तहत परिभाषा अनुसार दी गई किसी भी प्रविष्टि के अन्तर्गत शामिल न की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया	क्षेत्र -I	132.50	28.40	160.90
27	तेल मिलें	क्षेत्र -I	129.70	28.40	158.10
		क्षेत्र -II	136.50	28.40	164.90
		क्षेत्र -III	136.00	28.40	164.40
28	पेट्रोल/डीजल पम्प	क्षेत्र -I	135.20	28.40	163.60
		क्षेत्र -II	135.80	28.40	164.20
		क्षेत्र -III	135.20	28.40	163.60
29	औषधीय उद्योग	क्षेत्र -I	135.20	28.40	163.60
		क्षेत्र -II	134.50	28.40	162.90
		क्षेत्र -III	133.80	28.40	162.20
30	प्लास्टिक उद्योग	क्षेत्र -I	134.00	28.40	162.40
		क्षेत्र -II	132.60	28.40	161.00
31	मिट्टी के बरतन का उद्योग		134.30	28.40	162.70
32	पावरलूम उद्योग	क्षेत्र -I	135.50	28.40	163.90
		क्षेत्र -II	135.00	28.40	163.40
33	लैटर प्रैस, लिथोग्राफी, फोटोग्रेवर द्वारा प्रिंटिंग या जिल्दबन्दी	क्षेत्र -I	135.40	28.40	163.80
		क्षेत्र -II	134.90	28.40	163.30
		क्षेत्र -III	134.50	28.40	162.90
34	निजी सुरक्षा गार्ड सेवाएं	क्षेत्र -I	94.00	48.40	142.40
		क्षेत्र -II	93.00	48.40	141.40
35	सार्वजनिक मोटर परिवहन		140.50	28.40	168.90
36	पल्प एवं पेपर या पेपर बोर्ड निर्माणी		133.60	28.40	162.00
37	तैयार वस्त्र तथा सिलाई प्रतिष्ठान	क्षेत्र -I	135.50	28.40	163.90
		क्षेत्र -II	134.30	28.40	162.70
		क्षेत्र -III	133.00	28.40	161.40

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
38	आवासीय होटल, रेस्तरा एवं भोजनालय	क्षेत्र -I	135.10	28.40	163.50
		क्षेत्र -II	134.40	28.40	162.80
		क्षेत्र -III	134.00	28.40	162.40
39	चावल, आटा एवं दाल मिलें	क्षेत्र -I	136.50	28.40	164.90
		क्षेत्र -II	134.70	28.40	163.10
		क्षेत्र -III	134.00	28.40	162.40
40	छत की टाइलों का कारखाना		132.60	28.40	161.00
41	रबड़ और रबड़ उत्पाद उद्योग		133.30	28.40	161.70
42	नमक पैन उद्योग		140.60	28.40	169.00
43	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	क्षेत्र -I	135.70	28.40	164.10
		क्षेत्र -II	135.00	28.40	163.40
		क्षेत्र -III	134.40	28.40	162.80
44	साबुन निर्माण उद्योग	क्षेत्र -I	135.80	28.40	164.20
		क्षेत्र -II	134.30	28.40	162.70
45	पत्थर तोड़ना एवं पत्थर की पिसाई	क्षेत्र -I	133.00	28.40	161.40
		क्षेत्र -II	132.20	28.40	160.60
		क्षेत्र -III	131.10	28.40	159.50
46	गन्ना कटाई (प्रतिदन)	मजदूरी संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई			
47	चीनी उद्योग		135.10	28.40	163.50
48	चर्मशोधनालय तथा चमड़ा कारखाना	क्षेत्र -I	137.10	28.40	165.50
		क्षेत्र -II	136.30	28.40	164.70
49	चरित्र संसाधन तथा पूर्व बुनाई उद्योग	क्षेत्र -I	136.70	28.40	165.10
		क्षेत्र -II	136.20	28.40	164.60
50	तम्बाकू संसाधन प्रतिष्ठान		133.60	28.40	162.00
51	तम्बाकू (बीड़ी निर्माण सहित) कारखाना	क्षेत्र -I	132.00	28.40	160.40
		क्षेत्र -II	131.60	28.40	160.00
52	द्यूबवेल ड्रिलिंग कार्य एवं मरम्मत		136.20	28.40	164.60
53	ऊनी कारपेट बनाने एवं शाल बुनाई के प्रतिष्ठान		137.80	28.40	166.20

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी		
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता
8. हरियाणा				
1	कृषि औजार, मशीनरी पुर्जे तथा सामान्य इंजीनियरिंग बिजली की वस्तुओं के उद्योग सहित	167.23	-	167.23
2	कृषि	167.23	-	167.23
3	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(के) के तहत परिभाषा अनुसार दी गई किसी भी प्रविष्टि के अन्तर्गत शामिल न की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया	167.23	-	167.23
4	अनुसूची में प्रविष्टियों के तहत शामिल किए प्रतिष्ठानों को छोड़कर दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	167.23	-	167.23
5	एस्वेस्टास सीमेंट कारखाना एवं अन्य सीमेंट उत्पाद	167.23	-	167.23
6	ऑटोमोबाइल मरम्मत कार्यशाला	167.23	-	167.23
7	आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधीय उद्योग	167.23	-	167.23
8	ईंट भट्टा उद्योग	उजरती दर		
9	रसायन तथा मद्य निर्माण उद्योग	167.23	-	167.23
10	सिनेमा उद्योग	167.23	-	167.23
11	वन विभाग के ठेका प्रतिष्ठान	167.23	-	167.23
12	सहकारी साख तथा सेवा समितियों तथा लघु बैंक	167.23	-	167.23
13	सूती गिनिंग उद्योग एवं प्रैसिंग उद्योग	167.23	-	167.23
14	सड़क एवं भवन निर्माण कार्य एवं मरम्मत	167.23	-	167.23
15	इलैक्ट्रॉनिक तथा सहायक तथा संबंधित उद्योग	167.23	-	167.23
16	साट्ट या कोमियम, निक्कल या अन्य कोई कम्पाउण्ड प्रयुक्त इलैक्ट्रोप्लेटिंग तथा संबद्ध बफिंग तथा पोलिशिंग उद्योग	167.23	-	167.23
17	लोह धातु रोलिंग तथा टी-रोलिंग उद्योग	167.23	-	167.23
18	खाद्य उत्पाद, डेयरी उत्पाद, गेहूँ मिलें उत्पाद एवं बेकरी उत्पाद	167.23	-	167.23
19	वन विज्ञान उससे संबंधित कोई भी अन्य विकास कार्य	167.23	-	167.23
20	संलग्न मशीन दुकानों के साथ या बिना ढलाई खानें	167.23	-	167.23
21	कॉच, कॉच फाइबर तथा ग्लास प्रोसेसिंग उद्योग	167.23	-	167.23
22	अस्पताल एवं नर्सिंग होम	167.23	-	167.23
23	स्थानीय प्राधिकारी	167.23	-	167.23
24	खाण्डसारी, गूड़ एवं शक्कर विनिर्माण	167.23	-	167.23
25	सिंथेटिक डिटरजेंट एवं सौंदर्य प्रसाधन तथा अन्य धुलाई उत्पाद की विनिर्माण दुकानें	167.23	-	167.23
26	अलौह धातु रोलिंग	167.23	-	167.23
27	तेल मिलें	167.23	-	167.23
28	टयूबवेल का कार्य	167.23	-	167.23
29	लोक निर्माण विभाग (फसंचाई)	167.23	-	167.23
30	लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	167.23	-	167.23
31	पैंकिंग उद्योग	167.23	-	167.23
32	पेपर कार्डबोर्ड एवं टाइपराइटर रिबन उद्योग	167.23	-	167.23
33	पेट्रोल एवं डीजल तेल पम्प	167.23	-	167.23

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
34	प्लास्टिक उद्योग		167.23	-	167.23
35	मिर्दटी के करतन, सिरामिक तथा रिफ़ैक्टरी उद्योग		167.23	-	167.23
36	नर्सरी स्कूल तथा तकनीकी संस्थानों सहित निजी कोचिंग कक्षाएं, स्कूल,		167.23	-	167.23
37	निजी प्रिंटिंग प्रैस		167.23	-	167.23
38	सार्वजनिक मोटर परिवहन		167.23	-	167.23
39	पुराने कपड़ों की सफाई तथा छटाई		167.23	-	167.23
40	तैयार वस्त्र		167.23	-	167.23
41	चावल, आटा एवं दाल मिलें		167.23	-	167.23
42	रबड़ उद्योग		167.23	-	167.23
43	आटा मिलें एवं लकड़ी कार्य उद्योग		167.23	-	167.23
44	वैज्ञानिक उद्योग		167.23	-	167.23
45	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		167.23	-	167.23
46	पत्थर तोड़ना एवं पत्थर की पिसाई		167.23	-	167.23
47	सिलाई तथा कढ़ाई प्रतिष्ठान		167.23	-	167.23
48	चर्मशोधनशालाएं तथा चमड़ा कारखाना		167.23	-	167.23
49	टैक्सटाइल उद्योग		167.23	-	167.23
50	बिजलीकरघे या हस्तकरघे पर चलने वाले ऊनी गलीचा निर्माण या शाल बुनाई संस्थान		167.23	-	167.23

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
९. हिमाचल प्रदेश					
1	कृषि		110.00	-	110.00
2	रसायन एवं रसायन उत्पाद		110.00	-	110.00
3	सड़क एवं भवन निर्माण कार्य एवं मरम्मत		110.00	-	110.00
4	इंजीनियरिंग उद्योग		110.00	-	110.00
5	वन विज्ञान उद्योग		110.00	-	110.00
6	होटल एवं रेस्तरा		110.00	-	110.00
7	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2(के) के तहत परिभाषा अनुसार दी गई किसी भी प्रविष्टि के अन्तर्गत शामिल न किए जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया		110.00	-	110.00
8	निजी शिक्षा संस्थान		110.00	-	110.00
9	सार्वजनिक मोटर परिवहन		110.00	-	110.00
10	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		110.00	-	110.00
11	पत्थर तोड़ना एवं पत्थर की पिसाई		110.00	-	110.00
12	चाय बागान		110.00	-	110.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
10.महाराष्ट्र					
1	कृषि	I	120.00	0.00	120.00
		II	110.00	0.00	110.00
		III	105.00	0.00	105.00
		IV	100.00	0.00	100.00
2	वकील या अदालती	I	142.31	53.62	195.93
		II	134.62	53.62	188.24
		III	126.92	53.62	180.54
3	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2एम के तहत अन्य पंजीकृत कारखाना	I	173.08	53.62	226.70
		II	161.54	53.62	215.16
		III	150.00	53.62	203.62
4	ऑटोमोबाइल मरम्मत कर्मशाला गैराज	I	184.62	27.35	211.97
		II	173.08	27.35	200.43
		III	161.54	27.35	188.89
5	बेकरी	I	161.54	36.75	198.29
		II	153.85	36.75	190.60
		III	146.15	36.75	182.90
6	ईंटें एवं छत की टाइलों का विनिर्माण	I	126.92	29.65	156.57
		II	123.08	29.65	152.73
7	कैंटीन एवं क्लब	I	117.31	53.62	170.93
		II	109.62	53.62	163.24
		III	103.85	53.62	157.47
8	कार्ड बोर्ड एवं पेपर बाक्स	I	86.54	55.33	141.87
		II	84.62	55.33	139.95
		III	63.46	55.33	118.79
9	काजू संसाधन	I	100.00	34.60	134.60
10	सीमेंट एवं सीमेंट बेस्ड उद्योग	I	46.31	79.06	125.37
		II	44.31	79.06	123.37
		III	43.31	79.06	122.37
11	रसायन तथा खाद	I	127.31	53.62	180.93
		II	123.46	53.62	177.08
		III	108.08	53.62	161.70
12	सिनेमा प्रदर्शनी	I	173.08	39.36	212.44
		II	153.85	39.36	193.21
		III	134.62	39.36	173.98
			115.38	39.36	154.74
13	कपड़ा रंगाई तथा प्रिंटिंग	I	157.69	36.75	194.44
		II	146.15	36.75	182.90
14	कॉस्मेटिक तथा साबुन	I	136.15	53.62	189.77
		II	128.46	53.62	182.08
		III	120.77	53.62	174.39
15	काटन गिनिंग एवं प्रैसिंग	I	40.96	112.62	153.58
		II	38.46	112.62	151.08
		III	36.54	112.62	149.16
16	साइकिल मरम्मत की दुकान	I	173.08	21.61	194.69
		II	153.85	21.61	175.46

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
17	दूध उद्योग	I	71.15	58.62	129.77
		II	67.31	58.62	125.93
18	औषधालय	I	171.54	53.62	225.16
		II	156.15	53.62	209.77
		III	136.92	53.62	190.54
19	दवा एवं औषधीय	I	119.62	53.62	173.24
		II	115.77	53.62	169.39
		III	104.23	53.62	157.85
20	रंग तथा रसायन	I	161.54	41.92	203.46
		II	146.15	41.92	188.07
		III	123.08	41.92	165.00
21	खाने वाला तम्बाकू	I	115.38	31.50	146.88
22	इंजीनियरिंग उद्योग	I	135.77	53.62	189.39
			131.92	53.62	185.54
			120.38	53.62	174.00
23	अभ्यास पुस्तिका	I	110.77	53.62	164.39
		II	103.08	53.62	156.70
		III	95.38	53.62	149.00
24	चलचित्र उत्पादन एवं स्टूडियो	I	180.77	24.69	205.46
		II	173.08	24.69	197.77
25	वन एवं वन विज्ञान	I	200.00	7.83	207.83
		II	180.77	7.83	188.60
26	फाउण्डेन पैन एवं बाल पैन	I	184.62	37.38	222.00
		II	176.92	37.38	214.30
27	कॉच का बल्ब	I	136.54	53.62	190.16
		II	132.69	53.62	186.31
			109.62	53.62	163.24
28	कॉच उद्योग	I	130.00	53.62	183.62
		II	122.31	53.62	175.93
		III	114.62	53.62	168.24
29	बाल कटाई मौलून	I	131.92	53.62	185.54
		II	120.38	53.62	174.00
		III	112.69	53.62	166.31
30	हथकरघा उद्योग	I	115.38	20.76	136.14
		II	134.62	20.76	155.38
		III	153.85	20.76	174.61
31	अस्पताल	I	125.38	53.62	179.00
		II	121.54	53.62	175.16
		III	117.69	53.62	171.31
32	होटल एवं रेस्तरां	I	117.31	53.62	170.93
		II	109.62	53.62	163.24
		III	103.85	53.62	157.47
33	आइस एवं ठण्डा पेय निर्माणी	I	108.85	53.62	162.47
		II	105.00	53.62	158.62
		III	101.15	53.62	154.77
34	धुलाईघर	I	143.46	53.62	197.08
		II	128.08	53.62	181.70
		III	116.54	53.62	170.16

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
35	मदिरा कारखाना	I	150.38	53.62	204.00
		II	138.85	53.62	192.47
		III	127.31	53.62	180.93
36	स्थानीय प्राधिकारी		79.62	39.23	118.85
		I	71.92	39.23	111.15
		II	64.23	39.23	103.46
37	तेल मिलें	III	165.38	36.75	202.13
			153.85	36.75	190.60
38	प्याज छंटाई तथा सफाई	I	120.00	0.00	120.00
39	आप्टिकल फ्रेम	I	176.92	22.22	199.14
		II	169.23	22.22	191.45
		III	161.54	22.22	183.76
40	पेंट एवं वार्निश	I	143.85	53.62	197.47
		II	136.15	53.62	189.77
		III	128.46	53.62	182.08
41	पेपर, पेपरबोर्ड	I	196.15	8.18	204.33
		II	188.46	8.18	196.64
		III	180.77	8.18	188.95
42	प्लास्टिक	I	165.38	21.61	186.99
		II	159.62	21.61	181.23
		III	153.85	21.61	175.46
43	पोहा कुरमुटे, चुटमुटे उद्योग	I	146.15	36.75	182.90
		II	138.46	36.75	175.21
44	मिट्टी के बरतन,	I	134.62	21.49	156.11
		II	128.85	21.49	150.34
		III	123.08	21.49	144.57
45	पावरलूम		8.85	115.47	124.32
			6.92	115.47	122.39
			5.00	115.47	120.47
46	प्रिंटिंग प्रैस	I	169.23	53.62	222.85
		II	157.69	53.62	211.31
		III	134.62	53.62	188.24
47	सार्वजनिक मोटर परिवहन	I	161.54	36.75	198.29
		II	153.85	36.75	190.60
48	तैयार वस्त्र	I	152.31	53.62	205.93
		II	148.46	53.62	202.08
		III	136.92	53.62	190.54
49	चावल, आटा एवं दाल मिलें	I	146.15	36.75	182.90
		II	138.46	36.75	175.21
50	सड़क एवं भवन निर्माण कार्य एवं मरम्मत	I	182.69	53.62	236.31
		II	175.00	53.62	228.62
		III	167.31	53.62	220.93
51	रबड़	I	123.08	36.29	159.37
		II	119.23	36.29	155.52
		III	115.38	36.29	151.67
52	रबड़ बैलून निर्माण	I	146.15	36.73	182.88
		II	142.31	36.73	179.04
		III	138.46	36.73	175.19

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
53	साट्ट पैन	I	52.50	90.77	143.27
		II	51.92	90.77	142.69
54	आरा मिलें	I	169.23	21.61	190.84
		II	161.54	21.61	183.15
		III	153.85	21.61	175.46
55	सीपू (विद्युत)	I	42.31	53.75	96.06
56	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	I	192.31	7.68	199.99
		II	180.77	7.68	188.45
		III	169.23	7.68	176.91
57	चांदी की वस्तुएं या आभूषण	I	173.08	22.63	195.71
		II	165.38	22.63	188.01
58	घुड़साल	I	126.92	57.54	184.46
		II	115.38	57.54	172.92
		III	103.85	57.54	161.39
59	स्टील फर्नीचर	I	140.00	53.62	193.62
		II	132.31	53.62	185.93
		III	124.62	53.62	178.24
60	पत्थर तोड़ना एवं पत्थर की पिसाई	I	151.92	34.13	186.05
		II	144.23	34.13	178.36
61	सफाईवाला एवं स्कैवेन्जर	I	176.92	25.64	202.56
		II	171.15	25.64	196.79
		III	165.38	25.64	191.02
62	चर्मशोधन शालाएं तथा चमड़ा	I	123.08	53.62	176.70
		II	115.38	53.62	169.00
		III	107.69	53.62	161.31
63	तम्बाकू बीड़ी बनाना	उजरती दर			
64	बरतन	I	165.38	53.62	219.00
		II	161.54	53.62	215.16
		III	150.00	53.62	203.62
65	घड़ी के स्ट्रैप	I	184.62	36.75	221.37
		II	173.08	36.75	209.83
		III	161.54	36.75	198.29
66	लकड़ी का फर्नीचर	I	131.15	53.62	184.77
		II	127.31	53.62	180.93
		III	123.46	53.62	177.08
67	लकड़ी का फोटोफ्रेम	I	113.08	53.62	166.70
		II	105.38	53.62	159.00
		III	97.69	53.62	151.31

क्षेत्र I में सभी नगर निगमों की स्थानीय सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र शामिल होंगे ।

क्षेत्र II में सभी नगर परिषदों के सभी क और ख वर्ग की स्थानीय सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्र शामिल होंगे ।

क्षेत्र III में क्षेत्र I तथा क्षेत्र II में राज्य में शामिल नहीं किए गए सभी अन्य क्षेत्र शामिल होंगे

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
11. मेघालय					
1	कृषि		100.00	-	100.00
2	पशुपालन तथा पशुचिकित्सा		100.00	-	100.00
3	बेकरी		100.00	-	100.00
4	मोमबत्ती तथा मोम उद्योग		100.00	-	100.00
5	सड़क एवं भवन निर्माण कार्य		100.00	-	100.00
6	बिजली निर्माण उत्पादन तथा वितरण जल आपूर्ति, भूमि विकास खुदाई तथा भूमि उद्धार		100.00	-	100.00
7	इंजीनियरिंग उद्योग (मोटर कर्मशाला आदि)		100.00	-	100.00
8	अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किए गए पंजीकृत कारखानों में रोजगार		100.00	-	100.00
9	सरकारी प्राधिकारी के तहत रोजगार (अनियत आकरिमक कर्मचारी)		100.00	-	100.00
10	वनविद्या		100.00	-	100.00
11	फल पट्टिरक्षण		100.00	-	100.00
12	फर्नीचर उद्योग		100.00	-	100.00
13	होटल एवं रेस्तरा		100.00	-	100.00
14	स्थानीय प्राधिकारी		100.00	-	100.00
15	खाने व खनिज		100.00	-	100.00
16	प्लाईवुड उद्योग		100.00	-	100.00
17	प्रिंटिंग प्रेस		100.00	-	100.00
18	सार्वजनिक मोटर परिवहन		100.00	-	100.00
19	पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, वितरण तथा रखरखाव		100.00	-	100.00
20	आटा मिल उद्योग		100.00	-	100.00
21	सफाई कर्मचारी		100.00	-	100.00
22	रेशम उत्पादन तथा बुनाई		100.00	-	100.00
23	दुकाने एवं प्रतिष्ठान		100.00	-	100.00
24	भू-संरक्षण (बागान, भूमिउद्धार आदि में कार्यरत श्रमिक)		100.00	-	100.00
25	स्टील फौब्रिकेशन तथा कंक्रीट उत्पाद (ईंट निर्माण सहित)		100.00	-	100.00
26	पत्थर तोड़ाई एवं पत्थर पिसाई कार्य		100.00	-	100.00
27	दजीगिरी		100.00	-	100.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार ब्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
12. मिजोरम					
	इस तिथि तक कोई भी सूचीबद्ध नियोजन नहीं है । श्रमिकों की सभी श्रेणियों एक ही अनुसूची के तहत वर्गीकृत है ।		170.00	-	170.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी		
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता
13. नगालैंड				
1	कृषि	100.00	-	100.00
2	एल्युमिनियम उद्योग	100.00	-	100.00
3	ऐसबेस्टॉस, सीमेन्ट कारखानें तथा अन्य सीमेन्ट उत्पाद	100.00	-	100.00
4	ऑटोमोबाइल कर्मशाला, सर्विस स्टेशन	100.00	-	100.00
5	बेकरी एवं बिस्टिकट उद्योग	100.00	-	100.00
6	बांस, लुगदी एवं पेपर तथा वन प्रतिष्ठान	100.00	-	100.00
7	ईट के भट्टे	100.00	-	100.00
8	कैनवस उद्योग	100.00	-	100.00
9	सीमेन्ट कंक्रीट पाइपें	100.00	-	100.00
10	रसायन उद्योग	100.00	-	100.00
11	सिनेमा इकाइयों	100.00	-	100.00
12	भवन निर्माण कार्य तथा सड़क रखरखाव	100.00	-	100.00
13	मद्यनिर्माणशाला इकाइयों	100.00	-	100.00
14	बाल कटाई तथा ड्रेसिंग	100.00	-	100.00
15	हस्तशिल्प एवं हथकरघा बुनाई	100.00	-	100.00
16	होटल एवं रेस्तरा	100.00	-	100.00
17	आइस उत्पाद	100.00	-	100.00
18	खाण्डसारी, चीनी कारखाना	100.00	-	100.00
19	धुलाईघर तथा कपड़ा धुलाई	100.00	-	100.00
20	लोडिंग एवं अन लोडिंग (प्रति टोकरी)	उजदती दर के श्रमिक		
21	दियासलाई कारखाना	100.00	-	100.00
22	मैटल टोलिंग एवं रीटोलिंग स्टील फ़ैब्रिकेटिंग उद्योग (अलोह)	100.00	-	100.00
23	मोटर बॉडी बिल्डर	100.00	-	100.00
24	पैट्रोल एवं डीजल तेल पम्प	100.00	-	100.00
25	चाय बागान (1)	100.00	-	100.00
	कॉफी बागान (2)	100.00	-	100.00
26	प्लाईवुड उद्योग	100.00	-	100.00
27	प्रिंटिंग प्रेस	100.00	-	100.00
28	सार्वजनिक मोटर परिवहन	100.00	-	100.00
29	चावल, आटा, तेल एवं दाल मिलें	100.00	-	100.00
30	आरा मिल तथा लकड़ी उद्योग	100.00	-	100.00
31	दुकाने एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं नर्सिंग होम प्रतिष्ठान	100.00	-	100.00
32	साबुन एवं मोमबत्ती इकाइयों	100.00	-	100.00
33	स्टोन ब्रेकिंग एवं स्टोन कशिंग	100.00	-	100.00
34	दूर्जागिरी, सिलाई एवं कढ़ाई प्रतिष्ठान	100.00	-	100.00
35	टायर सेवार	100.00	-	100.00
36	पशु चिकित्सा तथा पशुपालन	100.00	-	100.00
37	लकड़ी फनीचर कार्य	100.00	-	100.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
14. राजस्थान					
1	कृषि		135.00	-	135.00
2	ऑटोमोबाइल कर्मशाला		135.00	-	135.00
3	ईट भट्टा उद्योग		135.00	-	135.00
4	केबल ऑपरेटर तथा संबंधित सेवा		135.00	-	135.00
5	सीमेंट प्रैसट्रैड उत्पाद		135.00	-	135.00
6	सिनेमा उद्योग		135.00	-	135.00
7	शीतभण्डार		135.00	-	135.00
8	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाएं		135.00	-	135.00
9	सड़क एवं भवन निर्माण कार्य एवं मरम्मत		135.00	-	135.00
10	कपड़ा रंगाई, प्रिंटिंग एवं धुलाई कारखाना		135.00	-	135.00
11	कॉटन गिनिंग एवं प्रैसिंग कारखाना		135.00	-	135.00
12	कच्चा सूत कताई कारखाने		135.00	-	135.00
13	घरेलू श्रमिक		155.00	-	155.00
14	बिजली उत्पादन, वितरण तथा आपूर्ति इत्यादि		135.00	-	135.00
15	सूखा सहायता कार्यों में नियोजन		135.00	-	135.00
16	इंजीनियरिंग उद्योग		135.00	-	135.00
17	कोच व चीनी मिट्टी के बरतन		81.00	71.35	152.35
18	गोटा किनारी तथा लष्पा प्रतिष्ठान में नियोजन		135.00	-	135.00
19	सरकारी कार्यालय आकस्मिकता तथा कार्य		135.00	-	135.00
20	हस्तकरघा उद्योग		135.00	-	135.00
21	होटल एवं रेस्तरा		135.00	-	135.00
22	सिचाई कार्य		135.00	-	135.00
23	जूट पत्ती उद्योग		135.00	-	135.00
24	खादी, हस्तकरघा एवं गांव उद्योग		135.00	-	135.00
25	एल.पी.जी वितरण एवं संबंधित सेवा		135.00	-	135.00
26	स्थानीय प्राधिकारी		135.00	-	135.00
27	ठण्डा पेय, सोडा, संबंधित उत्पाद का निर्माण		135.00	-	135.00
28	विपणन तथा उपभोक्ता सहकारी समितियाँ		135.00	-	135.00
29	धातु ढलाईघर तथा सामान्य इंजीनियरिंग उद्योग		135.00	-	135.00
30	अन्नक कार्य (अन्नक खानों को छोड़कर)		135.00	-	135.00
31	गैर सरकारी संगठन		135.00	-	135.00
32	तेल मिलें		135.00	-	135.00
33	पापड़ उद्योग		उजरती दर	-	
34	कीटनाशक रसायन तथा औषधीय		135.00	-	135.00
35	पेट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवा		135.00	-	135.00
36	पावरलूम कारखाना		135.00	-	135.00
37	प्रिंटिंग प्रैस		135.00	-	135.00
38	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग		135.00	-	135.00
39	सार्वजनिक मोटर परिवहन		135.00	-	135.00
40	लोक निर्माण विभाग		135.00	-	135.00
41	निजी शिक्षा संस्थान		135.00	-	135.00
42	निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम		135.00	-	135.00
43	पंजीकृत कारखाने जो किसी सूचीबद्ध नियोजन के तहत शामिल नहीं है ।		135.00	-	135.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
44	चावल, आटा एवं दाल मिलें		135.00	-	135.00
45	ग्रामीण विकास विभाग प्रायोजित रोजगार सृजन योजना (जवाहर रोजगार योजना)		135.00	-	135.00
46	एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ एवं संबंधित सेवाएं		135.00	-	135.00
47	नमक उद्योग		81.00	71.35	152.35
48	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		135.00	-	135.00
49	लघु उद्योग		135.00	-	135.00
50	सेलखड़ी कारखाना		135.00	-	135.00
51	पत्थर तोड़ाई एवं पत्थर पिसाई		81.00	71.35	152.35
52	शूगर चैन उद्योग (मशीनी ऊर्जा के बिना)		135.00	-	135.00
53	सफाई कर्मचारी तथा सफाई कार्य (अन्य कहीं वर्गीकृत नहीं)		135.00	-	135.00
54	दूर्जोगिरी एवं वस्त्र उद्योग		135.00	-	135.00
55	टैक्स्टी, ऑटोरेटिवशा तथा पर्यटन एजेन्सी		135.00	-	135.00
56	टैक्सटाइल उद्योग इत्यादि		135.00	-	135.00
57	टाइल निर्माण एवं मिट्टी के बरतन का उद्योग		135.00	-	135.00
58	तम्बाकू		135.00		
	(i) बीड़ी		-	उजरती दर	-
	(ii) तम्बाकू		81.00	71.35	152.35
59	लकड़ी कार्य एवं फर्नीचर विनिर्माण		135.00	-	135.00
60	लकड़ी की सफाई एवं प्रैसिंग कारखाना		135.00	-	135.00
61	ऊनी कारपेट की बुनाई एवं शाल बुनाई प्रतिष्ठान		81.00	71.35	152.35
62	ऊनी कताई व बुनाई कारखाना		135.00	-	135.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
15. सिविकम्					
1	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कार्य		130.00	-	130.00
2	बेकरी तथा हलवाई की दुकान		130.00	-	130.00
3	सरकारी अर्धसरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र द्वारा नियोजित अनियत आकस्मिक कर्मचारी		130.00	-	130.00
4	सिनेमा एवं वीडियो हॉल, केबल ऑपरेटर		130.00	-	130.00
5	परियोजना निर्माण बांध, टनल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक या अन्य बहुप्रयोजन सहित		130.00	-	130.00
6	सड़क तथा भवन निर्माण तथा रखरखाव		130.00	-	130.00
7	दूध, कुक्कट तथा पशु पालन फार्मिंग		130.00	-	130.00
8	मद्य निर्माण शालाएं		130.00	-	130.00
9	बिजली उद्योग		130.00	-	130.00
10	इंजीनियरिंग उद्योग		130.00	-	130.00
11	लोह मिश्रित धातु उद्योग		130.00	-	130.00
12	वनविज्ञान एवं लकड़ी उद्योग		130.00	-	130.00
13	खिल उद्योग		130.00	-	130.00
14	हस्तकरण उद्योग		130.00	-	130.00
15	होटल, रेस्तरा एवं भोजनालय/चाय की दुकान		130.00	-	130.00
16	चमड़ा उद्योग		130.00	-	130.00
17	पेपर एवं लुगदी उद्योग		130.00	-	130.00
18	पिंटिंग प्रैस		130.00	-	130.00
19	निजी शिक्षा संस्थान		130.00	-	130.00
20	निजी परिवहन		130.00	-	130.00
21	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		130.00	-	130.00
22	पत्थर तोड़ाई एवं पिसाई		130.00	-	130.00
23	चाय बागान		130.00	-	130.00
24	यात्रा एवं ट्रेवल एंजेंसी		130.00	-	130.00
25	टायर एवं ट्रेडिंग उद्योग		130.00	-	130.00
26	लकड़ी कार्य, बढईगिरी तथा राजगीरी		130.00	-	130.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी		
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता
16. त्रिपुरा				
1	कृषि	100.00	-	100.00
2	ऑटो रिक्शा	57.70*	-	57.70
3	बीड़ी उद्योग (प्रति 1000 बीड़ी)		उजरती दर	
4	ईंट कारखाना		उजरती दर	
5	सड़क निर्माण तथा रखरखाव तथा भवन कार्य	130.00	-	130.00
6	मशीनी वर्कशॉप	98.08	-	98.08
7	पेट्रोल पम्प	81.54	-	81.54
8	सार्वजनिक मोटर परिवहन	70.85	-	70.85
9	निजी शिक्षण संस्थान	65.77	-	65.77
10	चावल की मिलें	98.08	-	98.08
11	रबड़ बागान	81.00	-	81.00
12	सफाई कर्मचारी	85.00	-	85.00
13	दुकानें एवं प्रतिष्ठान	96.15	-	96.15
14	पत्थर तोड़ाई एवं पिसाई		उजरती दर	
15	चाय बागान	46.00	-	46.00
	* + खाद्य भत्ते @ रु. 51.00 प्रतिदिन			

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
17. उत्तराखण्ड					
1	वातित पेय		92.50	44.15	136.65
2	कृषि		100.00	17.02	117.02
3	एलोपैथिक, यूनानी एवं आयुर्वेदिक फार्मेसी		90.19	44.15	134.34
4	एस्बेस्टास, सीमेंट कारखाना एवं अन्य सीमेंट उत्पाद		90.39	44.15	134.54
5	ऑटोमोबाइल मरम्मत वर्कशाप		93.27	44.15	137.42
6	जिल्दसाजी		90.39	44.15	134.54
7	ईंट भट्टा		67.50	44.15	111.65
8	बेकरी एवं बिस्टिकट		90.39	44.15	134.54
9	कारपेट विनिर्माण		48.08	101.15	149.23
10	चिकन कार्य विनिर्माण		90.39	44.15	134.54
11	सिनेमा उद्योग		90.39	44.15	134.54
12	क्लब		90.39	44.15	134.54
13	शीत भंडार		90.39	44.15	134.54
14	बांध निर्माण, सिंचाई, कुआ तथा तालाब खुदाई		92.50	44.15	136.65
15	सड़क निर्माण तथा रखरखाव तथा भवन कार्य		90.39	44.15	134.54
16	दुध एवं दूध के उत्पाद		92.50	44.15	136.65
17	धर्मशाला में नियोजन		92.50	44.15	136.65
18	किस्ती भी अन्य पंजीकृत कारखाने में नियोजन जो कहीं वर्गीकृत नहीं		92.50	44.15	136.65
19	50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योग		92.50	44.15	136.65
20	इंजीनियरिंग उद्योग (i) 50 से 500 श्रमिक नियोजित करने वाले		97.50	84.00	181.50
	(ii) 500 श्रमिकों से अधिक नियोजित करने वाले		102.31	64.12	166.43
21	वन विद्या		90.77	44.15	134.92
22	ढलाईघर		92.50	44.15	136.65
23	फलों का रस		92.50	44.15	136.65
24	हथकरघा/बिजलीकरघा उद्योग		25.00	106.58	131.58
25	हौजरी उद्योग		96.93	44.15	141.08
26	होटल एवं रेस्तरा		85.58	44.15	129.73
27	बर्फ का कारखाना		90.39	44.15	134.54
28	आईस कैंडी/आईस कीम का कारखाना		90.39	44.15	134.54
29	खाण्डसारी कारखाना		20.00	76.57	96.57
30	धोबीघर तथा धुलाई		90.39	44.15	134.54
31	पुस्तकालय		90.58	44.15	134.73
32	छोटे एवं लघु निर्माण				
	(i) बत्त		90.39	44.15	134.54
	(ii) कोंच उत्पाद		93.27	44.15	137.42
33	दियासलाई कारखाना		90.39	44.15	134.54
34	मशीनी परिवहन वर्कशाप		93.27	44.15	137.42
35	धातु उद्योग		92.50	44.15	136.65
36	तेल मिलें		90.39	44.15	134.54
37	पेट्रोल एवं डीजल पम्प		92.50	44.15	136.65
38	प्लाईवूड कारखाना		92.50	44.15	136.65
39	मिट्टी के बरतन, सिरामिक एवं रिफ़ैक्टरी		90.39	44.15	134.54
40	निजी क्लीनिक एवं चिकित्सा उपकरण दुकानें		92.50	44.15	136.65
41	निजी कोचिंग कक्षाएं और निजी स्कूल		90.39	44.15	134.54
42	निजी प्रिंटिंग प्रैस		93.27	44.15	137.42

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
43	प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद		92.50	44.15	136.65
44	सार्वजनिक मोटर परिवहन		93.27	44.15	137.42
45	तैयार वस्त्र		92.50	44.15	136.65
46	चावल आटा एवं दाल मिलें		90.39	44.15	134.54
47	रबड़ एवं रबड़ उत्पाद		92.50	44.15	136.65
48	दूकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		90.39	44.15	134.54
49	पत्थर तोड़ाई एवं पिसाई		90.39	44.15	134.54
50	मिठाई उद्योग		92.50	44.15	136.65
51	सिलाई उद्योग		90.39	44.15	134.54
52	चाय बागान		58.00	27.75	85.75
53	टैक्सटाइल प्रिंटिंग		90.39	44.15	134.54
54	टिन प्लेट शीपिंग तथा टिन प्रिंटिंग		92.50	44.15	136.65
55	तम्बाकू कारखाना		38.00	106.58	144.58
56	धुलाई साबुन, सिलिकेट आदि		20.00	76.57	96.57
57	लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी फर्नीचर तथा आरा मिलें		37.39	106.58	143.97
58	ऊनी कम्बल कारखाना		20.00	76.57	96.57

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
18.पश्चिम बंगाल					
1	कृषि		112.50	-	112.50
2	बेकरी		156.48	-	156.48
3	बीड़ी के पत्ते तोड़ना		113.92	-	113.92
4	बीड़ी कारखाना (प्रति 1000 बीड़ी लपेटने के लिए)	मजदूरी संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई			
5	कांसा तथा पीतल उद्योग		150.58	-	150.58
6	अस्थि मिल		113.92	-	113.92
7	ईंट कारखाना		123.96	-	123.96
8	सिरामिक उद्योग		108.50	-	108.50
9	चक्की मिलें		109.92	-	109.92
10	सिगरेट कारखाना	मजदूरी संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई			
11	कृनीन बागान		114.90	-	114.90
12	सिनेमा				
	वितरण इकाई		118.74	-	118.74
	उत्पादन इकाई		118.74	-	118.74
	प्रदर्शनी इकाई		117.78	-	117.78
13	क्लीनिकल नर्सिंग होम	मजदूरी संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई			
14	सड़क निर्माण तथा रखरखाव तथा भवन कार्य				
	क्षेत्र क		142.25	-	142.25
	क्षेत्र ख		141.21	-	141.21
15	दाल मिलें				
	शहरी		153.23	-	153.23
	ग्रामीण		118.12	-	118.12
16	सजावट		108.07	-	108.07
17	प्रतिष्ठान (दुकानों को छोड़कर)		152.81	-	152.81
18	मछली पालन		113.92	-	113.92
19	आटा मिल		149.15	-	149.15
20	चन विद्या या लकड़ी कार्य		113.92	-	113.92
21	कॉच उद्योग		152.92	-	152.92
22	गोदाम				
	क्षेत्र क		142.27	-	142.27
	क्षेत्र ख		141.23	-	141.23
23	हथकरघा		111.50	-	111.50
24	हौजरी				
	क्षेत्र क		158.46	-	158.46
	क्षेत्र ख		157.50	-	157.50
25	होटल एवं रेस्तरा	मजदूरी संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई			
26	लोहा ढलाईघर				
	क्षेत्र क		160.73	-	160.73
	क्षेत्र ख		125.81	-	125.81
27	लाख कारखाने		113.92	-	113.92
28	स्थानीय प्राधिकारी	मजदूरी संबंधी सूचना प्राप्त			
29	औषधीय पौधों के बागान		114.90	-	114.90
30	तेल मिलें				
	क्षेत्र क		160.69	-	160.69
	क्षेत्र ख		121.00	-	121.00
31	पेंट तथा रसायन कारखाना		152.00	-	152.00
32	पेपर बोर्ड तथा स्लू बोर्ड विनिर्माण (मशीन ड्राई प्रोसेस)		94.17	-	94.17
33	प्लास्टिक उत्पाद		108.50	-	108.50
34	प्लाईवुड उद्योग		142.27	-	142.27
35	पावरलूम उद्योग		110.35	-	110.35

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
36	प्रिंटिंग प्रैस		131.92	-	131.92
37	सार्वजनिक मोटर परिवहन		182.82	-	182.82
38	रिफ्रैक्टरी उद्योग		147.46	-	147.46
39	चावल मिल		118.54	-	118.54
40	रस्सी उद्योग		152.15	-	152.15
41	रबड़ एवं रबड़ उत्पाद कारखाना		108.92	-	108.92
42	क) रेशम उत्पादन नर्सरी तथा खेती		109.91	-	109.91
	ख) रेशम की कटाई एवं बुनाई (हथकरघा)		111.50	-	111.50
43	दवाईयों की बिक्री को बढ़ावा देना		178.62	-	178.62
44	नमक विनिर्माण उद्योग		114.35	-	114.35
45	आटा मिल		109.46	-	109.46
46	सुरक्षा सेवाएं		151.12	-	151.12
47	जूता बनाने का कारखाना		150.50	-	150.50
48	दुकानें		152.27	-	152.27
49	सिल्क प्रिंटिंग		106.62	-	106.62
50	पत्थर तोड़ाई एवं पत्थर पिसाई		113.92	-	113.92
51	तम्बाकू गोदाम		113.92	-	113.92
52	दजींगिरी		108.81	-	108.81
53	चर्मशोधनशालाएं एवं चमड़ा कारखाना				
	शहरी		154.62	-	154.62
	ग्रामीण		150.76	-	150.76
54	चाय बागान	मजदूरी संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई			

क्षेत्र क = शहरी

क्षेत्र ख = ग्रामीण

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
19. अण्डेमान एवं निकोबार द्वीपसमूह					
1	कृषि	ए	156.00	49.00	205.00
		एन	167.00	49.00	216.00
2	पत्थर तोड़ाई एवं पत्थर पिसाई सहित सड़क निर्माण तथा रखरखाव तथा भवन कार्य	ए	156.00	49.00	205.00
		एन	167.00	49.00	216.00
3	लोडिंग एवं अनलोडिंग क्षेत्र	ए	156.00	49.00	205.00
		एन	167.00	49.00	216.00
4	निजी शिक्षा संस्थान	ए	156.00	49.00	205.00
		एन	167.00	49.00	216.00
5	आवासीय होटल एवं रेस्तरां सहित दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	ए	173.00	49.00	222.00
		एन	186.00	49.00	235.00
6	लकड़ी आधारित उद्योग	ए	156.00	49.00	205.00
		एन	167.00	49.00	216.00

ए	अण्डेमान
एन	निकोबार

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी		
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता
20. चण्डीगढ़				
1	कृषि उपकरण मशीनी पुर्जे तथा सामान्य इंजीनियरिंग साइकिल के पुर्जे तथा बिजली की वस्तुओं के उद्योग सहित	201.46	-	201.46
2	कृषि	201.46	-	201.46
3	पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 2(1) (viii) के तहत परिभाषित कोई भी प्रतिष्ठान	201.46	-	201.46
4	रेसबेस्टॉस सीमेन्ट तथा कंक्रीट उत्पाद	201.46	-	201.46
5	ऑटोमोबाइल मरम्मत दुकानें तथा सर्विस स्टेशन	201.46	-	201.46
6	बेकरी तथा मिठाई प्रतिष्ठान	201.46	-	201.46
7	पुस्तक बिक्री प्रतिष्ठान	201.46	-	201.46
8	ईंट भट्ठा उद्योग	201.46	-	201.46
9	रसायन एवं मद्य निर्माण उद्योग	201.46	-	201.46
10	रसायन एवं दवाई की दुकान	201.46	-	201.46
11	सिनेमा उद्योग	201.46	-	201.46
12	सड़क निर्माण तथा रखरखाव तथा भवन कार्य	201.46	-	201.46
13	वन विभाग के ठेकाकारों के प्रतिष्ठान	201.46	-	201.46
14	कॉकरी व्यापार प्रतिष्ठान	201.46	-	201.46
15	दूध तथा दूध उत्पाद	201.46	-	201.46
16	बिजली की वस्तुओं के विनिर्माण तथा बिक्री प्रतिष्ठान	201.46	-	201.46
17	क्रोमियम निक्कल या अन्य कोई कम्पाउंड का साल्ट प्रयुक्त इलैक्ट्रोप्लेटिंग तथा संबद्ध बफिंग तथा पोलिशिंग उद्योग	201.46	-	201.46
18	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(क) के तहत दी गई परिभाषा अनुसार किसी भी प्रविष्टि के अन्तर्गत शामिल न किसे जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया	201.46	-	201.46
19	घास कटाई में नियोजन	201.46	-	201.46
20	तकनीकी संस्थान एवं नर्सरी स्कूलों सहित निजी कोचिंग कक्षाओं में नियोजन	201.46	-	201.46
21	लौह धातु रोलिंग तथा स्टी रोलिंग मिलें	201.46	-	201.46
22	संलग्न मशीन दुकानों के साथ या बिना ढलाई खानें	201.46	-	201.46
23	बाल कटाई सैलून एवं ब्यूटी पार्लर	201.46	-	201.46
24	हार्डवेयर एवं बिल्डिंग सामग्री शॉप	201.46	-	201.46
25	होटल, रेस्तरा, चाय एवं हलवाई की दुकान	201.46	-	201.46
26	घरेलू वस्तुओं का प्रतिष्ठान	201.46	-	201.46
27	बर्फ कारखाना एवं शीत भंडार	201.46	-	201.46
28	मीट बिक्री प्रतिष्ठान	201.46	-	201.46
29	तेल मिलें	201.46	-	201.46
30	पेपर बोर्ड एवं पैकिंग सामग्री विनिर्माण प्रतिष्ठान	201.46	-	201.46
31	पैट्रोल, डीजल एवं मिट्टी तेल के पम्प	201.46	-	201.46
32	प्लास्टिक एवं पीवीसी वस्तुओं का उद्योग	201.46	-	201.46
33	निजी अस्पताल सहित नर्सिंग होम औषधालय आदि या किसी प्रतिष्ठान में चिकित्सक या रसायनिक या पैथोलोजिकल प्रयोगशालाएं	201.46	-	201.46

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
34	निजी प्रैस		201.46	-	201.46
35	सार्वजनिक मोटर परिवहन उद्योग		201.46	-	201.46
36	चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिलें		201.46	-	201.46
37	रबड़ उद्योग		201.46	-	201.46
38	आटा मिलें		201.46	-	201.46
39	दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		201.46	-	201.46
40	साबून विनिर्माण उद्योग		201.46	-	201.46
41	मूदू पेय तथा वातित जल		201.46	-	201.46
42	पत्थर तोड़ाई एवं पत्थर पिसाई		201.46	-	201.46
43	सिलाई तथा कढ़ाई प्रतिष्ठान		201.46	-	201.46
44	चर्मशोधनशालाएं तथा चमड़ा कारखाना		201.46	-	201.46
45	टैण्ट व्यापारी प्रतिष्ठान		201.46	-	201.46
46	वस्त्र उद्योग		201.46	-	201.46
47	लकड़ी कार्य व्यापार		201.46	-	201.46
48	सब्जी एवं फल की दुकानें		201.46	-	201.46

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
21 दमन एवं दीव					
1	कृषि		47.00	85.60	132.60
2	ऑटोमोबाइल मरम्मत एवं वर्कशॉप तथा गैराज		47.00	85.60	132.60
3	बेकरी		47.00	85.60	132.60
4	छत की टाइलों की ईंट		47.00	85.60	132.60
5	भैंस या गाय के दूध का अहाता		47.00	85.60	132.60
6	इस अनुसूची के भाग-1 के तहत न आने वाली कैटीन तथा वलब		47.00	85.60	132.60
7	काजू संसाधन उद्योग		47.00	85.60	132.60
8	सीमेंट एवं सीमेंट आधारित उद्योग		47.00	85.60	132.60
9	लकड़ी के कोयले का भट्टा		47.00	85.60	132.60
10	रसायन एवं फटीलाइजर प्रतिष्ठान		47.00	85.60	132.60
11	सिनेमा		47.00	85.60	132.60
12	कपड़े की रंगाई तथा/या प्रिंटिंग		47.00	85.60	132.60
13	सड़क निर्माण तथा रखरखाव तथा भवन कार्य		47.00	85.60	132.60
14	कॉटन गिनिंग एवं कॉटन प्रैसिंग कारखाना		47.00	85.60	132.60
15	साइकिल मकैनिक वर्कशॉप		47.00	85.60	132.60
16	दूध उद्योग		47.00	85.60	132.60
17	औषधालय किसी अस्पताल में औषधालय के रूप में न होते हुए		47.00	85.60	132.60
18	दवाई एवं औषधीय		47.00	85.60	132.60
19	खाने का तम्बाकू		47.00	85.60	132.60
20	किसी भी प्रविष्टि द्वारा शामिल न किया गया कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का LXIII) की धारा एम या धारा 2 के तहत परिभाषित किसी भी कारखाने में नियोजन		47.00	85.60	132.60
21	इंजीनियरिंग उद्योग		47.00	85.60	132.60
22	अभ्यास पुस्तिका		47.00	85.60	132.60
23	फिल्म उत्पादन उद्योग		47.00	85.60	132.60
24	वन एवं/या वन विद्या		47.00	85.60	132.60
25	फाउन्टेन पैन आदि		47.00	85.60	132.60
26	कॉच के बल्ब का कारखाना		47.00	85.60	132.60
27	कॉच उद्योग		47.00	85.60	132.60
28	कॉच की कटाई		47.00	85.60	132.60
29	बाल कटाई मूल्य		47.00	85.60	132.60
30	हाथ का बना हुआ पेपर एवं पेपर बोर्ड का कारखाना		47.00	85.60	132.60
31	हथकरघा उद्योग		47.00	85.60	132.60
32	अस्पताल (इस अनुसूची में प्रविष्टि के तहत न आने वाले)		47.00	85.60	132.60
33	होटल, रेस्तरां या भोजनालय		47.00	85.60	132.60
34	बर्फ एवं ठण्डा पेय		47.00	85.60	132.60
35	जरी कार्य उद्योग		47.00	85.60	132.60
36	खाण्डसारी/चीनी कारखाना		47.00	85.60	132.60
37	लाख कारखाना		47.00	85.60	132.60
38	धुलाई उद्योग		47.00	85.60	132.60
39	स्थानीय प्राधिकारी		47.00	85.60	132.60
40	कन्टेनर एवं/पेपर बाक्स /या गत्ता या स्ट्र बोर्ड का निर्माता		47.00	85.60	132.60
41	अभ्रक कार्य		47.00	85.60	132.60

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
42	तेल मिलें		47.00	85.60	132.60
43	ऑप्टिकल फ्रेम		47.00	85.60	132.60
44	पेंट एवं वारनिशर		47.00	85.60	132.60
45	पेपर एवं पेपर बोर्ड कारखाना		47.00	85.60	132.60
46	बागान		47.00	85.60	132.60
47	पोहा, मुरमुरा, चुरमुरा इत्यादि		47.00	85.60	132.60
48	मिट्टी के बरतन		47.00	85.60	132.60
49	विद्युत करघा उद्योग		47.00	85.60	132.60
50	प्रिंटिंग प्रेस		47.00	85.60	132.60
51	सार्वजनिक मोटर परिवहन		47.00	85.60	132.60
52	तैयार वस्त्र		47.00	85.60	132.60
53	चावल, आटा एवं दाल मिल		47.00	85.60	132.60
54	रबड़ बैलून उद्योग		47.00	85.60	132.60
55	रबड़ कारखाना उद्योग		47.00	85.60	132.60
56	सात्त पैन उद्योग		47.00	85.60	132.60
57	आटा मिल		47.00	85.60	132.60
58	समुद्री भोजन उद्योग		47.00	85.60	132.60
59	दूकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		47.00	85.60	132.60
60	चांदी उद्योग		47.00	85.60	132.60
61	साबून तथा सौंदर्य प्रसाधन		47.00	85.60	132.60
62	स्टील फर्नीचर		47.00	85.60	132.60
63	स्टोन ब्रेकिंग या स्टोन कश्मिग		47.00	85.60	132.60
64	सफाईवाला एवं स्कैवेजर		47.00	85.60	132.60
65	चर्मशोधनशालाएं तथा चमड़ा कारखाना		47.00	85.60	132.60
66	तम्बाकू (बीडी बनाने सहित)		47.00	85.60	132.60
67	विभिन्न मूर्तरूपों में प्लास्टिक ढालना		47.00	85.60	132.60
68	बर्तन या अन्य घरेलू वस्तुएं		47.00	85.60	132.60
69	घड़ी के फीते का कारखाना		47.00	85.60	132.60
70	लकड़ी का फर्नीचर		47.00	85.60	132.60
71	लकड़ी का फोटो फ्रेम बनाना		47.00	85.60	132.60
72	लकड़ी, कारपेट बनाना एवं शाल की बुनाई		47.00	85.60	132.60

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
22. दिल्ली					
1	कृषि		203.00	-	203.00
2	ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग		203.00	-	203.00
3	ईंट भट्टा उद्योग		203.00	-	203.00
4	सीमेंट कार्य प्रतिष्ठान		203.00	-	203.00
5	रसायन		203.00	-	203.00
6	वलब		203.00	-	203.00
7	मिठाई तथा दूध उत्पाद खाद्य परिरक्षण आदि		203.00	-	203.00
8	सड़क निर्माण तथा रखरखाव तथा भवन कार्य		203.00	-	203.00
9	दाल एवं आटा मिल		203.00	-	203.00
10	दिल्ली परिवहन निगम		203.00	-	203.00
11	किसी भी अन्य पंजीकृत कारखाने में नियोजन जो कहीं वर्गीकृत नहीं		203.00	-	203.00
12	ढलाईघर		203.00	-	203.00
13	सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा न चलाए जाने वाले अस्पताल तथा नर्सिंग होम		203.00	-	203.00
14	बर्फ कारखाना/ शीत भंडार		203.00	-	203.00
15	धुलाई सेवारं तथा सफाई तथा रंगाई संयंत्र अर्थात् कारखाना दुकानें		203.00	-	203.00
16	स्थानीय प्राधिकारी		203.00	-	203.00
17	रेडियों सहित रेडियों के पुर्जों को आपस में जोड़ना		203.00	-	203.00
18	धातु कार्य प्रतिष्ठान		203.00	-	203.00
19	तेल मिलें		203.00	-	203.00
20	प्लास्टिक, रबड़, पीवीसी तार सहित		203.00	-	203.00
21	मिट्टी के बरतन का उद्योग		203.00	-	203.00
22	प्रिंटिंग प्रैस		203.00	-	203.00
23	गैर मान्यता प्राप्त निजी शिक्षा संस्थान		203.00	-	203.00
24	सार्वजनिक मोटर परिवहन		203.00	-	203.00
25	तैयार वस्त्र		203.00	-	203.00
26	दुकानें एवं प्रतिष्ठान		203.00	-	203.00
27	पत्थर तोड़ाई एवं पत्थर पिसाई		203.00	-	203.00
28	हौजरी, निवार, हथकरघा, लेस धागे के बॉल नाम लेबल, वस्त्रों की रंगाई एवं प्रिंटिंग सहित		203.00	-	203.00
29	आरा मिलों सहित लकड़ी कार्य प्रतिष्ठान		203.00	-	203.00

क्रम सं०	सूचीबद्ध नियोजनों का नाम	31.12.2010 के अनुसार ब्यूनतम मजदूरी			
		क्षेत्र	मूल	मंहगाई भत्ता	योग
23. लक्षद्वीप					
1	कृषि		115.00	41.55	156.55
2	पशु पालन		115.00	41.55	156.55
3	बिजली		115.00	41.55	156.55
4	मछली पालन		115.00	41.55	156.55
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान		115.00	41.55	156.55
6	लक्षद्वीप विकास निगम		115.00	41.55	156.55
7	लक्षद्वीप पत्तन कार्य		115.00	41.55	156.55
8	पंचायत		115.00	41.55	156.55
9	लोक निर्माण विभाग		115.00	41.55	156.55

तालिका 4

31.12.2010 के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/संघ शासित प्रदेशों में सूचीबद्ध नियोजनों की संख्या तथा न्यूनतम मजदूरी के वर्ग

क्रम सं.	केन्द्र सरकार/राज्य/संघ शासित प्रदेश	सूचीबद्ध नियोजनों की संख्या जिसमें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित की गई	प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी का वर्ग		वर्ग (अधिकतम-न्यूनतम)
			न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5	6
1	सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	45	125.14	234.00	108.86
2	आन्ध्र प्रदेश	71	69.00	248.00	179.00
3	असम	99	100.00	100.00	0.00
4	बिहार	88	115.00	120.00	5.00
5	छत्तीसगढ़	34	115.38	151.00	35.62
6	गोवा	20	150.00	150.00	0.00
7	गुजरात	53	100.00	180.40	80.40
8	हरियाणा	50	167.23	167.23	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	12	110.00	110.00	0.00
10	महाराष्ट्र	67	96.06	236.31	140.25
11	मेघालय	27	100.00	100.00	0.00
12	मिज़ोरम	1	170.00	170.00	0.00
13	नागालैंड	37	100.00	100.00	0.00
14	राजस्थान	62	135.00	155.00	20.00
15	सिक्किम	26	130.00	130.00	0.00
16	त्रिपुरा	15	46.00	130.00	84.00
17	उत्तराखण्ड	58	85.75	181.50	95.75
18	पश्चिम बंगाल	54	94.17	182.82	88.65
19	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6	205.00	235.00	30.00
20	चण्डीगढ़	48	201.46	201.46	0.00
21	दमन एवं दीव	72	132.60	132.60	0.00
22	दिल्ली	29	203.00	203.00	0.00
23	लक्षद्वीप	9	156.55	156.55	0.00

नोट: शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने वर्ष 2010 के लिए अपनी वार्षिक विवरणियों का प्रेषण नहीं किया है।

स्रोत: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत वार्षिक विवरणियों

31.12.2010 को केन्द्रीय क्षेत्र/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सूचीबद्ध नियोजनों में प्रचलित तुलनात्मक न्यूनतम मजदूरी दरें

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ संघ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
1	कृषि	1 अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	ए- 205.00 एन- 216.00
		2 आन्ध्र प्रदेश	112.00
		3 असम	100.00
		4 बिहार	120.00
		5 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	146.00
		6 चण्डीगढ़	201.46
		7 छत्तीसगढ़	115.38
		8 दमन एवं दीव	132.60
		9 दिल्ली	203.00
		10 गोवा	150.00
		11 हरियाणा	167.23
		12 हिमाचल प्रदेश	110.00
		13 लक्षद्वीप	156.55
		14 महाराष्ट्र	100.00
		15 मेघालय	100.00
		16 नागालैंड	100.00
		17 राजस्थान	135.00
		18 त्रिपुरा	100.00
		19 उत्तराखण्ड	117.02
		20 पश्चिम बंगाल	112.50
2	कृषि भू-संरक्षण (बागार, भूमि उद्धार में कार्यरत श्रमिक)	1 मेघालय	100.00
3	अधिवक्ताओं तथा न्यायवादियों, चार्टर्ड/लागत लेखाकारों, सम्पादकों, कर परामर्शदाताओं तथा क्लर्कों के साथ नियोजन	1 महाराष्ट्र	180.54
		2 आन्ध्र प्रदेश	216.00
4	कृषि उपकरण आदि	1 चण्डीगढ़	201.46
		2 हरियाणा	167.23
5	अगरबत्ती विनिर्माण	1 असम	100.00
		2 बिहार	120.00
		3 गुजरात	100.00
6	अगरवुड उद्योग	1 असम	100.00
7	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा	1 लक्षद्वीप	156.55
		2 मेघालय	100.00
		3 नागालैंड	100.00
		4 सिक्किम	130.00
8	एत्युमीनियम उद्योग	1 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 नागालैंड	100.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
9	एस्बैस्टॉस खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
10	एस्बैस्टॉस/सीमेंट कारखाना/सीमेन्ट उत्पाद	1 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 चण्डीगढ़	201.46
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 हरियाणा	167.23
		6 महाराष्ट्र	122.37
		7 नागालैंड	100.00
		8 उत्तराखण्ड	134.54
11	आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग/आटो बॉडी फ़ैब्रीकेशन/आटोमोबाइल मरम्मत	1 बिहार	119.00
		2 चण्डीगढ़	201.46
		आन्ध्र प्रदेश	224.00
		3 दमन एवं दीव	132.60
		4 दिल्ली	203.00
		5 गोवा	150.00
		6 गुजरात	159.90
		7 हरियाणा	167.23
		8 महाराष्ट्र	188.89
		9 नागालैंड	100.00
		10 राजस्थान	135.00
		11 सिक्किम	130.00
		12 उत्तराखण्ड	137.42
12	आयुर्वेदिक/एलोपैथिक तथा यूनानी फारमेसी	1 हरियाणा	167.23
		2 उत्तराखण्ड	134.34
13	आटोरेक्शा तथा टैक्सी	1 राजस्थान	135.00
		2 त्रिपुरा	57.70*
		* +खाद्य भत्ता @ Rs. 51.00 per diem	
14	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (के)/2(के)2(एम) के अन्तर्गत परिभाषा के अनुसार कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया	1 आन्ध्र प्रदेश	120.00
		2 चण्डीगढ़	201.46
		3 छत्तीसगढ़	145.00
		4 गुजरात	158.10
		5 हिमाचल प्रदेश	110.00
		6 महाराष्ट्र	203.62
15	बिस्कुट/मिठाई सहित बेकरी/बैकिंग प्रक्रिया	1 आन्ध्र प्रदेश	186.00
		2 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 चण्डीगढ़	201.46
		4 छत्तीसगढ़	145.00
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 दिल्ली	203.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
		7 गुजरात	160.20
		8 हरियाणा	167.23
		9 महाराष्ट्र	182.90
		10 मेघालय	100.00
		11 नागालैंड	100.00
		12 सिक्किम	130.00
		13 उत्तराखण्ड	134.54
		14 पश्चिम बंगाल	156.48
16	बीड़ी के पत्ते तोड़ना	पश्चिम बंगाल	113.92
17	पान, अंगूर की बेल	1 आन्ध्र प्रदेश	88.00
18	पुस्तकों/अभ्यास पुस्तकों की बिक्री तथा जिल्दसाजी	1 बिहार	119.00
		2 चण्डीगढ़	201.46
		3 दमन एवं दीव	132.60
		4 गुजरात	162.90
		5 महाराष्ट्र	149.00
		6 उत्तराखण्ड	134.54
19	बैराइटीज़ खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
20	बॉक्साइट खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
21	बोन कशिंग उद्योग	1 छत्तीसगढ़	145.00
		2 गुजरात	161.00
		3 पश्चिम बंगाल	113.92
22	भवन निर्माण सामग्री तथा हार्डवेयर	1 चण्डीगढ़	201.46
23	बैंक	1 अरुणाचल प्रदेश	80.00
24	शराब की भट्टियां तथा मद्य निर्माणशाला	1 गोआ	150.00
		2 सिक्किम	130.00
25	ईंट के भट्टे का उद्योग/काठ कोयला भट्टा	1 आन्ध्र प्रदेश	178.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 दिल्ली	203.00
		7 गोआ	150.00
		8 महाराष्ट्र	152.73
		9 नागालैंड	100.00
		10 राजस्थान	135.00
		11 उत्तराखण्ड	111.65
		12 पश्चिम बंगाल	123.96
26	ईंट/टाइलें/छत की टाइलें बनाना	1 छत्तीसगढ़	145.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 गोआ	150.00
		4 गुजरात	147.60

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
		5 महाराष्ट्र	152.73
27	लोहार	1 असम	100.00
28	बॉबिन उद्योग	1 गुजरात	161.40
29	बोट लीफ कारखाना	1 असम	100.00
30	भैंस तथा गाय के दूध संबंधी अहाता	1 असम	100.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
31	मोमबत्ती तथा मोम उद्योग	1 असम	100.00
		2 मेघालय	100.00
		3 नागालैंड	100.00
32	केवल ऑपरेटर तथा संबंधित सेवा	1 राजस्थान	135.00
		2 सिक्किम	130.00
33	कैन्वस उद्योग	1 नागालैंड	100.00
34	बढ़ईगिरी तथा राजगीरी	1 असम	100.00
35	काजू कारखाना तथा प्रतिष्ठान	1 आन्ध्र प्रदेश	218.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 गोआ	150.00
		4 महाराष्ट्र	134.60
36	काजू तथा नारियल के बाग	1 आन्ध्र प्रदेश	125.00
37	अनियत कर्मचारी/सरकारी कार्यालय आकस्मिक व्यय तथा कार्य	1 मेघालय	100.00
		2 राजस्थान	135.00
		3 सिक्किम	130.00
38	सीमेन्ट तथा ह्यूम पाइप/सीमेन्ट प्रेसट्रैस्ड उत्पाद/सीमेन्ट उत्पाद उद्योग	1 आन्ध्र प्रदेश	178.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 छत्तीसगढ़	145.00
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 गुजरात	165.40
		7 महाराष्ट्र	122.37
		8 नागालैंड	100.00
		9 राजस्थान	135.00
39	चक्की मिलें	1 असम	100.00
		2 पश्चिम बंगाल	109.92
40	रसायन, रसायनिक उत्पाद/ड्रग्स तथा औषधीय	1 आन्ध्र प्रदेश	204.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
		4 छत्तीसगढ़	145.00
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 दिल्ली	203.00
		7 गोआ	150.00
		8 गुजरात	162.20
		9 हिमाचल प्रदेश	110.00
		10 महाराष्ट्र	157.85
		11 नागालैंड	100.00
		12 राजस्थान	135.00
41	रसायन तथा खाद कारखाना	1 दमन एवं दीव	132.60
		2 महाराष्ट्र	161.70
42	सीमेन्ट उद्योग/सीमेन्ट कार्य प्रतिष्ठान	1 आन्ध्र प्रदेश	163.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 दिल्ली	203.00
		6 महाराष्ट्र	122.37
43	रसायन तथा शराब कारखाना उद्योग	1 चण्डीगढ़	201.46
		2 हरियाणा	167.23
		3 नागालैंड	100.00
44	रसायनज्ञ तथा औषध दुकानें	1 चण्डीगढ़	201.46
45	चीनी मिट्टी की खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
46	कोमाइट की खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
47	सिनेमा/थिएटर	1 आन्ध्र प्रदेश	210.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 गोआ	150.00
		7 हरियाणा	167.23
		8 महाराष्ट्र	154.74
		9 नागालैंड	100.00
		10 राजस्थान	135.00
		11 सिक्किम	130.00
		12 उत्तराखण्ड	134.54
		13 पश्चिम बंगाल	117.78
48	मिट्टी की खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
49	क्लीनर	1 असम	100.00
50	क्लब तथा कंटीन	1 आन्ध्र प्रदेश	162.00
		2 असम	100.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
		3 दमन एवं दीव	132.60
		4 दिल्ली	203.00
		5 महाराष्ट्र	157.47
		6 उत्तराखण्ड	134.54
51	भवनो/सड़कों का निर्माण/रख-रखाव	1 अण्डेमान एवं निकोबार	ए - 205.00
		द्वीप समूह	एन-216
		2 आन्ध्र प्रदेश	198.00
		3 असम	100.00
		4 बिहार	119.00
		5 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
		6 चण्डीगढ़	201.46
		7 छत्तीसगढ़	145.00
		8 दमन एवं दीव	132.60
		9 दिल्ली	203.00
		10 गोआ	150.00
		11 गुजरात	163.50
		12 हरियाणा	167.23
		13 हिमाचल प्रदेश	110.00
		14 महाराष्ट्र	220.93
		15 मेघालय	100.00
		16 नागालैंड	100.00
		17 राजस्थान	135.00
		18 सिक्किम	130.00
		19 त्रिपुरा	130.00
		20 उत्तराखण्ड	134.54
		21 पश्चिम बंगाल	141.21
52	मार्गों का निर्माण एवं रख-रखाव	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
53	वन विभाग के ठेकेदारों के प्रतिष्ठान	1 असम	100.00
		2 चण्डीगढ़	201.46
		3 हरियाणा	167.23
54	सूती वस्त्र उद्योग, सूत कताई, प्रैसिंग, सूती रेशा विनिर्माण, हस्तकरघा बुनाई सहित धागा कताई तथा बुनाई	1 असम	100.00
		2 गोआ	150.00
		3 महाराष्ट्र	149.16
55	कच्चे सूत कताई कारखाना	1 राजस्थान	135.00
56	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग तथा सेवाएं	1 राजस्थान	135.00
57	चिकन वर्क कारखाना	1 उत्तराखण्ड	134.54
58	कॉक (ईधन)/हार्ड कॉक उद्योग	1 उत्तराखण्ड	119.00
		2 छत्तीसगढ़	145.00
59	ताम्बे की खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ संघ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
60	बांध निर्माण, सिंचाई कार्य	1 आन्ध्र प्रदेश 2 बिहार 3 सिक्किम 4 उत्तराखण्ड	205.00 119.00 130.00 136.65
61	सूत ओटाई तथा प्रेसिंग	1 आन्ध्र प्रदेश 2 आन्ध्र प्रदेश 3 दमन एवं दीव 4 गुजरात 5 हरियाणा 6 महाराष्ट्र 7 राजस्थान	228.00 145.00 132.60 164.60 167.23 149.16 135.00
62	सहकारी ऋण संस्थाएं/विपणन संस्थाएं	1 आन्ध्र प्रदेश 2 असम 3 बिहार 4 हरियाणा 5 राजस्थान	189.00 100.00 119.00 167.23 135.00
63	शीतागार	1 बिहार 2 राजस्थान 3 उत्तराखण्ड	119.00 135.00 134.54
64	कोयला ब्रिकेट उद्योग	1 बिहार	119.00
65	सूत रंगाई, प्रिंटिंग तथा धुलाई कारखाने/सूती कपड़ा रंगाई तथा प्रिंटिंग	1 दमन एवं दीव 2 महाराष्ट्र 3 राजस्थान	132.60 182.90 135.00
66	सूती कालीन	1 आन्ध्र प्रदेश	201.00
67	कोरियर सेवा	1 बिहार	119.00
68	कोकरी/टेंट/घरेलु वस्तु व्यापार प्रतिष्ठान	1 चण्डीगढ़	201.46
69	साइकिल मरम्मत/मैकेनिक वर्कशॉप	1 दमन एवं दीव 2 महाराष्ट्र	132.60 175.46
70	डेरी तथा डेरी उत्पाद/दूध प्रापण, संसाधन तथा वितरण	1 आन्ध्र प्रदेश 2 असम 3 बिहार 4 बिहार 5 दमन एवं दीव 6 दिल्ली 7 हरियाणा 8 महाराष्ट्र 9 सिक्किम 10 उत्तराखण्ड	69.00 100.00 119.00 201.46 132.60 203.00 167.23 125.93 130.00 136.65

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.) 31.12.2010 के अनुसार
71	दाल/आटा/चावल मिलें	1 उत्तराखण्ड	197.00
		2 असम	100.00
		3 असम	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 छत्तीसगढ़	145.00
		6 दमन एवं दीव	132.60
		7 दिल्ली	203.00
		8 गुजरात	162.40
		9 हरियाणा	167.23
		10 महाराष्ट्र	175.21
		11 नागालैंड	100.00
		12 राजस्थान	135.00
		13 त्रिपुरा	98.08
		14 उत्तराखण्ड	134.54
		15 पश्चिम बंगाल	दाल -118.12 आटा - 149.15 चावल - 118.54
72	दवाइयों तथा रसायनों के व्यापारी	1 गोआ	150.00
73	सजावट	1 पश्चिम बंगाल	108.07
74	डिस्पैन्सरी	1 असम	100.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 गोआ	150.00
		4 गुजरात	162.90
		5 महाराष्ट्र	190.54
75	मद्य-निर्माणशालाएं	1 आन्ध्र प्रदेश	228.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
76	डोलोमाइट खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
77	घरेलु श्रमिक	1 आन्ध्र प्रदेश	100.00
		2 बिहार	115.00
		3 राजस्थान	155.00
78	डाई तथा रसायन	1 महाराष्ट्र	165.00
		2 पश्चिम बंगाल	152.00
79	सूखा सहायता कार्यों में रोजगार	1 पश्चिम बंगाल	135.00
80	भू-कटाई कार्य	1 पश्चिम बंगाल	100.00
		2 बिहार	119.00
81	शैक्षणिक शोध तथा सांस्कृतिक संस्थान	1 बिहार	119.00
82	इलैक्ट्रॉनिक/इलैक्ट्रिक उद्योग, बिक्री तथा वितरण	1 आन्ध्र प्रदेश	202.00
		2 बिहार	119.00
		3 चण्डीगढ़	201.46

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ संघ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
		4 गोआ	150.00
		5 गुजरात	164.60
		6 हरियाणा	167.23
		7 सिक्किम	130.00
83	विद्युत सृजन तथा वितरण	1 असम	100.00
		2 लक्षद्वीप	156.55
		3 मेघालय	100.00
		4 राजस्थान	135.00
84	इलैक्ट्रोप्लेटिंग/बफिंग/पोलिशिंग	1 चण्डीगढ़	201.46
		2 हरियाणा	167.23
85	नाविकों के रोजगार	1 बिहार	120.00
86	भूमिगत इलैक्ट्रिक लाइनें, जल आपूर्ति लाइनें तथा मल-जल पाइप लाइनें बिछाने में रोजगार	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
87	धर्मशालाओं में रोजगार	1 उत्तराखण्ड	136.65
88	अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किए गए पंजीकृत कारखानों में नियोजन	1 दमन एवं दीव	132.60
		2 दिल्ली	203.00
		3 मेघालय	100.00
		4 राजस्थान	135.00
		5 उत्तराखण्ड	136.65
89	गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों में नॉन टीचिंग स्टाफ का नियोजन	1 गुजरात	180.40
		2 सिक्किम	130.00
90	50 से 500 श्रमिकों को नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योग	1 उत्तराखण्ड	181.5
91	500 से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योग	1 उत्तराखण्ड	166.43
92	इलैक्ट्रो कारस्टिंग उद्योग	1 बिहार	119.00
93	दुकानों के अलावा प्रतिष्ठान	1 पश्चिम बंगाल	152.81
94	दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 2 (i) (viii) के अन्तर्गत परिभाषित प्रतिष्ठान	1 चण्डीगढ़	201.46
95	फैक्सपर खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
96	फिल्म उत्पादन/चलचित्र/स्टूडियो, वितरण तथा प्रचार	1 आन्ध्र प्रदेश	178.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 गुजरात	160.70
		4 महाराष्ट्र	197.77

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
97	अग्निरसह मिट्टी की खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
98	बाढ़ नियंत्रण	1 असम	100.00
99	खाद्य संसाधन/खाद्य संरक्षण/खाद्य उत्पादन	1 असम	100.00
		2 गोआ	150.00
		3 हरियाणा	167.23
100	मत्स्य पालन/मछली पकड़ना/समुद्री भोजन	1 आन्ध्र प्रदेश	190.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 गोआ	150.00
		6 गुजरात	162.10
		7 लक्षद्वीप	156.55
		8 पश्चिम बंगाल	113.92
101	वन-विद्या/लकड़ी के कार्य तथा सामाजिक वन-विद्या/वन उत्पाद	1 आन्ध्र प्रदेश	69.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 छत्तीसगढ़	145.00
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 गुजरात	160.40
		7 हरियाणा	167.23
		8 हिमाचल प्रदेश	110.00
		9 महाराष्ट्र	188.60
		10 मेघालय	100.00
		11 नागालैंड	100.00
		12 सिक्किम	130.00
		13 उत्तराखण्ड	134.92
		14 पश्चिम बंगाल	113.92
102	ढलाईखाना	1 आन्ध्र प्रदेश	192.00
		2 बिहार	119.00
		3 चण्डीगढ़	201.46
		4 दिल्ली	203.00
		5 हरियाणा	167.23
		6 राजस्थान	135.00
		7 उत्तराखण्ड	136.65
103	फाउन्टेन पेन	1 दमन एवं दीव	132.60
		2 महाराष्ट्र	214.30
104	फल संरक्षण/फलों का रस	1 मेघालय	100.00
		2 उत्तराखण्ड	136.65
105	फलोरेसेन्ट द्यूब तथा इलैक्ट्रिक बल्ब उद्योग	1 बिहार	119.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 महाराष्ट्र	163.24
		4 उत्तराखण्ड	134.54

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
106	ढुकड़ा चावल	1 बिहार	119.00
107	सामान्य इंजीनियरिंग	1 आन्ध्र प्रदेश	192.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 छत्तीसगढ़	145.00
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 गुजरात	162.00
		7 हिमाचल प्रदेश	110.00
		8 महाराष्ट्र	174.00
		9 मेघालय	100.00
		10 राजस्थान	135.00
		11 सिक्किम	130.00
		12 उत्तराखण्ड	136.65
108	कांच/चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग	1 आन्ध्र प्रदेश	197.00
		2 बिहार	119.00
		3 दमन एवं दीव	132.60
		4 हरियाणा	167.23
		5 महाराष्ट्र	168.24
		6 राजस्थान	152.35
		7 उत्तराखण्ड	137.42
		8 पश्चिम बंगाल	152.92
109	गोदाम	1 पश्चिम बंगाल	111.50
110	घास कटाई	1 असम	100.00
		2 चण्डीगढ़	201.46
		3 दमन एवं दीव	132.60
111	ग्रेनाइट खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
112	ग्रेनाइट खाने तथा ग्रेनाइट उद्योग	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
113	ग़िल उद्योग	1 सिक्किम	130.00
114	सोने व चांदी के आभूषण तथा गोल्ड कोटिंग/कवरिंग	1 आन्ध्र प्रदेश	198.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 महाराष्ट्र	188.01
115	सुनार	1 असम	100.00
116	गुटका तथा मसाला	1 असम	100.00
117	गोटा किनारी उद्योग	1 राजस्थान	135.00
118	ज़िप्सम खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
119	ग्रेवल खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अध शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
120	बंदूक कारखाने/शस्त्र तथा गोला बारूद	1 बिहार	119.00
121	बाल कटाई सैलून	1 बिहार	119.00
		2 असम	100.00
		3 चण्डीगढ़	201.46
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 महाराष्ट्र	166.31
		6 नागालैंड	100.00
122	हेमाटाइट खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
123	बागवानी	1 आन्ध्र प्रदेश	89.00
		असम	100.00
124	होजरी	1 बिहार	119.00
		2 दिल्ली	203.00
		3 गुजरात	162.40
		4 उत्तराखण्ड	141.08
		5 पश्चिम बंगाल	157.50
125	अस्पताल तथा नर्सिंग होम तथा प्राइवेट क्लीनिक	1 आन्ध्र प्रदेश	215.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 दिल्ली	203.00
		7 गोआ	150.00
		8 गुजरात	163.50
		9 हरियाणा	167.23
		10 महाराष्ट्र	171.31
		11 राजस्थान	135.00
		12 उत्तराखण्ड	136.65
126	सभी कॉलेजों तथा अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों के होस्टल	1 आन्ध्र प्रदेश	225.00
127	होटल तथा रेस्तरां या ईटिंग हाउस	1 आन्ध्र प्रदेश	201.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 गोआ	150.00
		7 गुजरात	162.40
		8 हिमाचल प्रदेश	110.00
		9 महाराष्ट्र	157.47
		10 मेघालय	100.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
		11 नागालैंड	100.00
		12 राजस्थान	135.00
		13 सिक्किम	130.00
		14 उत्तराखण्ड	129.73
128	हस्तशिल्प	1 असम	100.00
129	हस्तकरघा बुनाई	1 आन्ध्र प्रदेश	147.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 छत्तीसगढ़	145.00
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 महाराष्ट्र	174.61
		7 नागालैंड	100.00
		8 राजस्थान	135.00
		9 सिक्किम	130.00
		10 उत्तराखण्ड	131.58
		11 पश्चिम बंगाल	111.50
130	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना	1 असम	100.00
131	बर्फ कारखाना कोल्डड्रिक्स तथा शीत भण्डार	1 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 चण्डीगढ़	201.46
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 दिल्ली	203.00
		6 महाराष्ट्र	154.77
		7 नागालैंड	100.00
		8 उत्तराखण्ड	134.54
132	आईसकीम/आईस कैंडी आईस उत्पाद	1 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 नागालैंड	100.00
		4 उत्तराखण्ड	134.54
133	सिंचाई कार्य	1 असम	100.00
		2 छत्तीसगढ़	145.00
		3 राजस्थान	135.00
134	लोह अयस्क खान	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
135	लोह ढलाईखाना	1 पश्चिम बंगाल	125.81
136	औद्योगिक प्रतिष्ठान	1 लक्षद्वीप	156.55
137	सूचना प्रौद्योगिकी	1 बिहार	119.00
138	जरी उद्योग	1 दमन एवं दीव	132.60
		2 गुजरात	161.30
139	जूट बेल्डिंग उद्योग	1 आन्ध्र प्रदेश	216.00
		2 असम	100.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
140	जूट तथा कार्पेट उद्योग	1 आन्ध्र प्रदेश	216.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
141	जूट पट्टी उद्योग	1 राजस्थान	135.00
142	कम्बल उद्योग	1 छत्तीसगढ़	145.00
143	कत्था उद्योग	1 छत्तीसगढ़	145.00
144	खादी तथा गाँव उद्योग	1 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 राजस्थान	135.00
145	खाण्डसारी/चीनी कारखाना	1 आन्ध्र प्रदेश	205.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 छत्तीसगढ़	145.00
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 गुजरात	चीनी - 163.50
			खाण्डसारी- 161.70
		7 हरियाणा	167.23
		8 नागालैंड	100.00
		9 उत्तराखण्ड	96.57
146	कोसा उद्योग	1 छत्तीसगढ़	145.00
147	क्यानाइट खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
148	लाख विनिर्माण	1 बिहार	119.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 पश्चिम बंगाल	113.92
149	लक्षद्वीप विकास निगम	1 लक्षद्वीप	156.55
150	लक्षद्वीप बन्दरगाह कार्य	1 लक्षद्वीप	156.55
151	लेटराइट खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
152	धुलाई खाना/झाई वाशिंग/डाईंग प्लांट	1 बिहार	119.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 दिल्ली	203.00
		4 महाराष्ट्र	170.16
		5 नागालैंड	100.00
		6 उत्तराखण्ड	134.54
153	एलपीजी वितरण/निर्माणशाला	1 असम	100.00
		2 राजस्थान	135.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
154	शराब कारखाना	1 महाराष्ट्र	180.93
155	लोडिंग तथा अनलोडिंग	1 अण्डेमान एवं निकोबार	ए - 205.00
		द्वीप समूह	एन - 216.00
		2 बिहार	119.00
		3 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
156	पुस्तकालय	1 उत्तराखण्ड	134.73
157	लिंगनाइट खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
158	लाइम स्टोन (चूना पत्थर)	1 आन्ध्र प्रदेश	150.00
		2 छत्तीसगढ़	145.00
159	स्थानीय प्राधिकारी/नगरपालिका/नगर निगम/ग्राम पंचायत	1 असम	100.00
		2 छत्तीसगढ़	145.00
		3 दमन एवं दीव	132.60
		4 दिल्ली	203.00
		5 गुजरात	162.40
		6 हरियाणा	167.23
		7 लक्षद्वीप	156.55
		8 महाराष्ट्र	103.46
		9 मेघालय	100.00
		10 राजस्थान	135.00
160	मार्बल तथा कैल्साइट खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
161	दीयासलाई, गोलाबारी तथा विस्फोटक	1 आन्ध्र प्रदेश	164.00
		2 असम	100.00
		3 नागालैंड	100.00
		4 उत्तराखण्ड	134.54
162	गुड़िया तथा खिलौने बनाना और ताम्बा तथा कांसा	1 पश्चिम बंगाल	150.58
163	पेपर तथा/या गत्ते तथा/या गत्ता/दफ्ती से कन्टेनर तथा /या डिब्बों का विनिर्माण	1 बिहार	119.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 महाराष्ट्र	118.79
164	मेस्टा प्रयुक्त टवाइन मिलें	1 आन्ध्र प्रदेश	99.00
165	अभ्रक कार्य	1 आन्ध्र प्रदेश	199.00
		2 बिहार	119.00
		3 दमन एवं दीव	132.60
		4 राजस्थान	135.00
166	अभ्रक खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
167	लघु इंजीनियरिंग उद्योग	1 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 गुजरात	162.00
		4 राजस्थान	135.00
		5 उत्तराखण्ड	135.00
168	धातु बेलनी/टी-रोलिंग (अलोह)	1 असम	100.00
		2 हरियाणा	167.23
		3 नागालैंड	100.00
		4 सिक्किम	130.00
169	धातु बेलनी(रोलिंग)/टी-रोलिंग (लोह)	1 चण्डीगढ़	201.46
		2 हरियाणा	167.23
		3 सिक्किम	130.00
170	धातु उद्योग	1 बिहार	119.00
		2 दिल्ली	203.00
		3 उत्तराखण्ड	136.65
171	मीट स्लैलिंग	1 चण्डीगढ़	201.46
172	मोटर बॉडी बिल्डर्स/मशीनरी/स्थानीय परिवहन कार्यशालाएं/ऑटोमोबाइल मरम्मत कार्यशालाएं तथा गैरेज	1 असम	100.00
		2 गुजरात	159.90
		3 मेघालय	100.00
		4 नागालैंड	100.00
		5 त्रिपुरा	98.08
		6 उत्तराखण्ड	137.42
173	खानें तथा खनिज	1 मेघालय	100.00
174	खनिज पिसाई उद्योग	1 बिहार	119.00
175	पुर्जे जोड़कर रेडियो का निर्माण	1 दिल्ली	203.00
176	मैग्नेटाइट खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
177	मैग्नेसाइट खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
178	मैगनीज़ खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
179	इमारतों का रख-रखाव	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
180	मैडीकल प्लॉट लगाना	1 पश्चिम बंगाल	114.90

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
181	मुरा,पोहा, चुरमुरा आदि	1 छत्तीसगढ़	145.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 महाराष्ट्र	175.21
182	गैर सरकारी संगठन	1 राजस्थान	135.00
183	तेल मिले	1 आन्ध्र प्रदेश	223.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 छत्तीसगढ़	145.00
		6 दमन एवं दीव	132.60
		7 दिल्ली	203.00
		8 गुजरात	164.40
		9 हरियाणा	167.23
		10 महाराष्ट्र	190.60
		11 राजस्थान	135.00
		12 उत्तराखण्ड	134.54
		13 पश्चिम बंगाल	121.00
184	तेल तथा गैस ड्रिलिंग वर्कस	1 असम	100.00
185	प्याज छंटाई तथा सफाई	1 महाराष्ट्र	120.00
186	ऑप्टिकल फेम	1 दमन एवं दीव	132.60
		2 महाराष्ट्र	183.76
187	गेरू खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
188	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा (2k) के अन्तर्गत शामिल अन्य विनिर्माण प्रक्रिया	1 दमन एवं दीव	201.46
		2 हरियाणा	167.23
		3 हिमाचल प्रदेश	110.00
189	रोग विज्ञान संबंधी प्रयोगशालाएं	1 असम	100.00
		2 गोआ	150.00
190	पेट तथा वारनिश	1 दमन एवं दीव	132.60
		2 महाराष्ट्र	182.08
		3 पश्चिम बंगाल	152.00
191	पापड़ उद्योग	1 बिहार	120.00
192	सार्वजनिक कार्य विभाग	1 हरियाणा	167.23
		2 लक्षद्वीप	156.55
		3 राजस्थान	135.00
193	सार्वजनिक मोटर परिवहन	1 आन्ध्र प्रदेश	155.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
		5 छत्तीसगढ़	145.00
		6 दमन एवं दीव	132.60
		7 दिल्ली	203.00
		8 गोआ	150.00
		9 गुजरात	168.90
		10 हरियाणा	167.23
		11 हिमाचल प्रदेश	110.00
		12 लक्षद्वीप	156.55
		13 महाराष्ट्र	190.60
		14 मेघालय	100.00
		15 नागालैंड	100.00
		16 राजस्थान	135.00
		17 त्रिपुरा	70.85
		18 उत्तराखण्ड	137.42
		19 पश्चिम बंगाल	182.82
194	निजी मोटर परिवहन	1 आन्ध्र प्रदेश	189.00
		2 असम	100.00
		3 गोआ	150.00
		4 सिक्किम	130.00
195	प्रिंटिंग प्रेस/लिथोग्राफी, फोटोग्राफी या अन्य समान कार्य	1 आन्ध्र प्रदेश	196.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 छत्तीसगढ़	151.00
		6 दमन एवं दीव	132.60
		7 दिल्ली	203.00
		8 गोआ	150.00
		9 गुजरात	162.90
		10 हरियाणा	167.23
		11 महाराष्ट्र	188.24
		12 मेघालय	100.00
		13 नागालैंड	100.00
		14 राजस्थान	135.00
		15 उत्तराखण्ड	137.42
		16 पश्चिम बंगाल	131.92
196	फीडिंग यूनिट सहित कुक्कुट पालन	1 आन्ध्र प्रदेश	112.00
		2 असम	100.00
197	बिजली करघा उद्योग	1 आन्ध्र प्रदेश	198.00
		2 बिहार	119.00
		3 छत्तीसगढ़	145.00
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 गुजरात	163.40
		6 महाराष्ट्र	120.47
		7 राजस्थान	135.00
		8 उत्तराखण्ड	131.58
		9 पश्चिम बंगाल	110.35

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ संघ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
198	पैट्रोल बंक्स/पैट्रोल, डीजल तेल पम्प	1 आन्ध्र प्रदेश	204.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 गुजरात	163.60
		6 हरियाणा	167.23
		7 मेघालय	100.00
		8 नागालैंड	100.00
		9 राजस्थान	135.00
		10 त्रिपुरा	81.54
		11 उत्तराखण्ड	136.65
199	मिट्टी के बरतनों का कारखाना/सिरामिक/ अग्निरोह ईंटें	1 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 छत्तीसगढ़	145.00
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 दिल्ली	203.00
		6 गुजरात	162.70
		7 हरियाणा	167.23
		8 महाराष्ट्र	144.57
		9 उत्तराखण्ड	134.54
		10 पश्चिम बंगाल	108.50
200	प्लास्टिक उद्योग	1 बिहार	119.00
		2 चण्डीगढ़	201.46
		3 छत्तीसगढ़	145.00
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 दिल्ली	203.00
		6 गुजरात	161.00
		7 हरियाणा	167.23
		8 महाराष्ट्र	175.46
		9 उत्तराखण्ड	136.65
		10 पश्चिम बंगाल	108.50
201	तेन्दु के पत्ते तोड़ना तथा संग्रहण	1 बिहार	119.00
202	पेपर तथा पेपर बोर्ड	1 आन्ध्र प्रदेश	218.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 महाराष्ट्र	188.95
		7 सिक्किम	130.00
		8 पश्चिम बंगाल	94.17
203	हाथ से बना पेपर तथा पेपर बोर्ड	1 आन्ध्र प्रदेश	218.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
204	सार्वजनिक निर्माण कार्य	1 असम	100.00
		2 हरियाणा	167.23
		3 राजस्थान	135.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
205	पैकिंग उद्योग	1 चण्डीगढ़	201.46
		2 हरियाणा	167.23
206	बागान (चाय, कॉफी, रबड़, इलायची, कुनीन आदि)	1 असम	कॉफी - 100.00 रबड़ - 100.00
		2 आन्ध्र प्रदेश	कॉफी - 144.00
		3 बिहार	चाय - 119.00
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 हिमाचल प्रदेश	चाय - 110.00
		6 नागालैंड	चाय - 100.00
			कॉफी - 100.00
		7 सिक्किम	130.00
		8 त्रिपुरा	रबड़ - 81.00 चाय - 46.00
		9 उत्तराखण्ड	चाय - 85.75
		10 पश्चिम बंगाल	कुनीन - 114.90
207	फ्लाइवुड उद्योग	1 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 मेघालय	100.00
		4 नागालैंड	100.00
		5 उत्तराखण्ड	136.65
		6 पश्चिम बंगाल	142.27
208	सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (सिंचाई)	1 हरियाणा	167.23
209	लुगदी तथा पेपर, पेपर बोर्ड तथा कार्डबोर्ड कारखाना	1 आन्ध्र प्रदेश	218.00
		2 बिहार	119.00
		3 गुजरात	162.00
		4 हरियाणा	167.23
		5 महाराष्ट्र	118.79
		6 नागालैंड	100.00
		7 सिक्किम	130.00
210	निजी नाव/जहाज तथा एल.टी.सी	1 बिहार	119.00
211	क्वार्टर खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
212	क्वार्टरजाइट खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
213	रेडियोलोजी लैब	1 गोआ	150.00
214	रामराज गेरु	1 छत्तीसगढ़	145.00
215	रैड ऑक्साइड खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
216	रॉक फोस्फेट खाने	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
217	तैयार वस्त्र	1 आन्ध्र प्रदेश	114.00
		2 असम	100.00
		3 दमन एवं दीव	132.60
		4 दिल्ली	203.00
		5 गोआ	150.00
		6 गुजरात	161.40
		7 हरियाणा	167.23
		8 महाराष्ट्र	190.54
		9 उत्तराखण्ड	136.65
218	उच्चतापसह उद्योग	1 पश्चिम बंगाल	147.46
219	धार्मिक तथा सामाजिक संस्थान	1 बिहार	119.00
220	आयरन रॉड की रोलिंग, प्लेट तथा रेंगल आदि	1 बिहार	119.00
221	रस्सा उद्योग	1 पश्चिम बंगाल	152.15
222	रुबड़/रुबड़ उत्पाद	1 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 चण्डीगढ़	201.46
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 दिल्ली	203.00
		6 गुजरात	161.70
		7 हरियाणा	167.23
		8 महाराष्ट्र	151.67
		9 उत्तराखण्ड	136.65
		10 पश्चिम बंगाल	108.92
223	रुबड़ बैलून विनिर्माण	1 दमन एवं दीव	132.60
		2 महाराष्ट्र	175.19
224	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रायोजित रोजगार सृजन स्कीम (जवाहर रोजगार योजना)	1 राजस्थान	135.00
225	रैग सफाई तथा बीनना	1 हरियाणा	167.23
226	दवाइयों की बिक्री	1 बिहार	115.00
		2 गोआ	150.00
		3 पश्चिम बंगाल	178.62
227	नमक उद्योग	1 आन्ध्र प्रदेश	147.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 महाराष्ट्र	142.69
		4 राजस्थान	152.35
		5 पश्चिम बंगाल	114.35
228	एनएमईपी का मौसमी स्प्रे सक्वेड	1 असम	100.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
229	ठण्डा पेय/गैसीय जल/मादक पेय/जूस	1 आन्ध्र प्रदेश	149.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 छत्तीसगढ़	145.00
		6 गोआ	150.00
		7 राजस्थान	135.00
		8 उत्तराखण्ड	136.65
230	विलायक द्रव्य प्लांट तथा रिफाइनरी	1 छत्तीसगढ़	145.00
231	स्टोन ब्रेकिंग तथा स्टोन कशिंग	1 अण्डेमान एवं निकोबार	ए - 205.00
		द्वीप समूह	एन - 216.00
		2 आन्ध्र प्रदेश	178.00
		3 असम	100.00
		4 बिहार	119.00
		5 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	125.14
		6 चण्डीगढ़	201.46
		7 छत्तीसगढ़	145.00
		8 दमन एवं दीव	132.60
		9 दिल्ली	203.00
		10 गोआ	150.00
		11 गुजरात	159.50
		12 हरियाणा	167.23
		13 हिमाचल प्रदेश	110.00
		14 महाराष्ट्र	178.36
		15 मेघालय	100.00
		16 नागालैंड	100.00
		17 राजस्थान	152.35
		18 सिक्किम	130.00
		19 उत्तराखण्ड	134.54
		20 पश्चिम बंगाल	113.92
232	नमक पैन	1 गुजरात	169.00
233	बीज संसाधन इकाइयाँ	1 आन्ध्र प्रदेश	192.00
234	सीपज़ (इलेक्ट्रॉनिक)	1 महाराष्ट्र	96.06
235	पत्थर की खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
236	दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	1 अण्डेमान एवं निकोबार	ए - 222.00
		द्वीप समूह	एन - 235.00
		2 आन्ध्र प्रदेश	189.00
		3 असम	100.00
		4 बिहार	119.00
		5 चण्डीगढ़	201.46
		6 छत्तीसगढ़	145.00
		7 दमन एवं दीव	132.60
		8 दिल्ली	203.00
		9 गोआ	150.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
		10 गुजरात	162.80
		11 हरियाणा	167.23
		12 हिमाचल प्रदेश	110.00
		13 महाराष्ट्र	176.91
		14 मेघालय	100.00
		15 नागालैंड	100.00
		16 राजस्थान	135.00
		17 सिक्किम	130.00
		18 त्रिपुरा	96.15
		19 उत्तराखण्ड	134.54
		20 पश्चिम बंगाल	152.27
237	अनुसूची में किसी भी प्रविष्टि के अन्तर्गत शामिल को छोड़कर कोई भी दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	1 हरियाणा	167.23
238	पका हुआ फूड स्टफ बेचने वाली दुकान	1 असम 2 बिहार	100.00 119.00
239	चांदी उद्योग	1 दमन एवं दीव	132.60
240	लघु उद्योग	1 असम 2 राजस्थान	100.00 135.00
241	रेशम उत्पादन	1 आन्ध्र प्रदेश 2 असम 3 मेघालय 4 पश्चिम बंगाल	173.00 100.00 100.00 109.91
242	आरा मिलें	1 असम 2 चण्डीगढ़ 3 छत्तीसगढ़ 4 दमन एवं दीव 5 दिल्ली 6 गोआ 7 हरियाणा 8 महाराष्ट्र 9 मेघालय 10 नागालैंड 11 उत्तराखण्ड 12 पश्चिम बंगाल	100.00 201.46 145.00 132.60 203.00 150.00 167.23 175.46 100.00 100.00 143.97 109.46
243	जूता उद्योग	1 पश्चिम बंगाल	150.50
244	साबुन/डिटर्जेंट बनाना/कॉस्मेटिक्स	1 असम 2 बिहार 3 चण्डीगढ़ 4 दमन एवं दीव 5 गुजरात 6 हरियाणा	100.00 119.00 201.46 132.60 162.70 167.23

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
		7 महाराष्ट्र	174.39
		8 नागालैंड	100.00
		9 उत्तराखण्ड	96.57
245	सेलखड़ी कारखाना	1 राजस्थान	135.00
246	शूगर पैन उद्योग	1 राजस्थान	135.00
247	वैज्ञानिक उद्योग	1 हरियाणा	167.23
248	सुरक्षा एजेन्सी (निजी)/पहरा और निगरानी	1 आन्ध्र प्रदेश	199.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
		5 गोआ	150.00
		6 गुजरात	141.40
		7 पश्चिम बंगाल	151.12
249	देशम प्रिटिंग	1 पश्चिम बंगाल	106.62
250	देशम अनन्नास फाइबर की कटाई, बुनाई, मुद्रण, रंगाई, तैयारी, ब्लीचिंग/देशम उद्योग	1 बिहार	119.00
		2 असम	100.00
		3 पश्चिम बंगाल	111.50
251	एसटीडी,आईएसडी, पीसीओ तथा संबंधित सेवाएं	1 राजस्थान	135.00
252	स्टीरैटाइट (सेलखड़ी) खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
253	सिलिका खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
254	सिंदूर तथा रंग विनिर्माण	1 बिहार	119.00
255	अस्तबल	1 महाराष्ट्र	161.39
256	मिष्ठान उद्योग	1 उत्तराखण्ड	136.65
257	सफाई तथा स्वास्थ्य रक्षा कार्य/सफाई कर्मचारी	1 बिहार	100.00
		2 आन्ध्र प्रदेश	248.00
		3 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 महाराष्ट्र	191.02
		6 मेघालय	100.00
		7 राजस्थान	135.00
		8 त्रिपुरा	85.00
258	स्लेट खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
259	स्लेट कारखानें	1 आन्ध्र प्रदेश	179.00
260	स्लेट पेंसिल	1 छत्तीसगढ़	145.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
261	स्टील मिलें तथा स्टील पी-टोलिंग मिलें	1 आन्ध्र प्रदेश	179.00
262	स्पंज आयरन	1 छत्तीसगढ़	145.00
263	स्टील फैब्रीकेशन तथा कंकीट उत्पाद	1 मेघालय	100.00
264	स्टील अलमारी, मेज, कुर्सी तथा स्टील फर्नीचर	1 दमन एवं दीव	132.60
		2 महाराष्ट्र	178.24
265	स्ट्रीमरघाट	1 असम	100.00
266	बढ़िया मिट्टी का तेल आदि	1 चण्डीगढ़	201.46
267	टैन्ट डीलर प्रतिष्ठान	1 चण्डीगढ़	201.46
268	चर्मशोधनालय तथा चमड़ा विनिर्माण	1 आन्ध्र प्रदेश	200.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 चण्डीगढ़	201.46
		5 दमन एवं दीव	132.60
		6 गुजरात	164.70
		7 हरियाणा	167.23
		8 महाराष्ट्र	161.31
		9 सिक्किम	130.00
		10 पश्चिम बंगाल	150.76
269	शिक्षण संस्थान (निजी)	1 अण्डमान एवं निकोबार	ए - 205.00
		द्वीप समूह	एन - 216.00
		2 असम	100.00
		3 चण्डीगढ़	201.46
		4 दिल्ली	203.00
		5 हरियाणा	167.23
		6 हिमाचल प्रदेश	110.00
		7 राजस्थान	135.00
		8 त्रिपुरा	65.77
		9 उत्तराखण्ड	134.54
270	वस्त्र संसाधन	1 गुजरात	164.60
271	तम्बाकू (बीड़ी बनाने सहित)	1 आन्ध्र प्रदेश	92.00
		2 असम	100.00
		3 बिहार	119.00
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 गुजरात	160.00
272	तम्बाकू गोदाम	1 पश्चिम बंगाल	113.92
273	यात्रा एवं पर्यटन	1 सिक्किम	130.00
274	टाइलें तथा मिट्टी के बर्तन	1 आन्ध्र प्रदेश	179.00
		2 असम	100.00
		3 छत्तीसगढ़	145.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
		4 गोआ	150.00
		5 गुजरात	161.00
		6 राजस्थान	135.00
275	टायर/टायर के तले लगाना तथा मरम्मत करने संबंधी उद्योग	1 नागालैंड	100.00
		2 सिक्किम	130.00
276	वस्त्र उद्योग	1 चण्डीगढ़	201.46
		2 दिल्ली	203.00
		3 हरियाणा	167.23
		4 राजस्थान	135.00
277	वस्त्र प्रिंटिंग/सूत रंगाई	1 आन्ध्र प्रदेश	196.00
		2 असम	100.00
		3 उत्तराखण्ड	134.54
278	द्यूबवेल ड्रिलिंग कार्य	1 असम	100.00
		2 गुजरात	164.60
		3 हरियाणा	167.23
279	सिलाई, टांका लगाना तथा कढ़ाई करना	1 असम	100.00
		2 बिहार	119.00
		3 चण्डीगढ़	201.46
		4 गुजरात	161.40
		5 हरियाणा	167.23
		6 मेघालय	100.00
		7 नागालैंड	100.00
		8 राजस्थान	135.00
		9 उत्तराखण्ड	134.54
		10 पश्चिम बंगाल	108.81
280	इमारती लकड़ी व्यापार उद्योग (पेड़ काटने तथा चिराई के बिना/सहित)	1 असम	100.00
		2 चण्डीगढ़	201.46
		3 हरियाणा	167.23
		4 नागालैंड	100.00
		5 सिक्किम	130.00
281	ट्रंक/बाल्टी/सूटकेस विनिर्माण/टीन के प्लेट को आकार देना तथा उनकी प्रिंटिंग आदि	1 असम	100.00
		2 उत्तराखण्ड	136.65
282	तम्बाकू विनिर्माण/खाने वाला तम्बाकू	1 आन्ध्र प्रदेश	163.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 गुजरात	162.00
		4 महाराष्ट्र	146.88
		5 राजस्थान	152.35
		6 उत्तराखण्ड	144.58
283	बिक्री तथा वाहन उद्योग सहित टॉडी टैपिंग	1 आन्ध्र प्रदेश	159.00

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ अथ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
284	पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई, विपणन तथा वितरण	1 असम	100.00
285	टाइपराइटर रिबन उद्योग	1 हरियाणा	167.23
286	यूरेनियम खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
287	बर्तन विनिर्माण	1 दमन एवं दीव	132.60
		2 महाराष्ट्र	203.62
288	सखियों तथा फलों की दुकानें	1 चण्डीगढ़	201.46
289	वनस्पति घी विनिर्माण तथा वनस्पति तेल पट्टिकरण प्रतिष्ठान	1	130.71
290	सफेद मिट्टी की खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
291	वुल्फ्रेम खानें	1 सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	156.00
292	ऊनी कताई, बुनाई तथा बुनाई कारखानें या सूत कताई	राजस्थान	135.00
293	ऊनी/सूती गलीचा बनाना/शॉल बुनाई उद्योग	1 आन्ध्र प्रदेश	147.00
		2 बिहार	119.00
		3 दमन एवं दीव	132.60
		4 गुजरात	166.20
		5 हरियाणा	167.23
		6 राजस्थान	152.35
		7 उत्तराखण्ड	149.23
294	ऊनी कम्बल कारखाना	1 उत्तराखण्ड	96.57
295	ऊन क्लीनिंग तथा प्रैसिंग कारखाना	1 राजस्थान	135.00
296	लकड़ी के फोरो फेम	1 असम	100.00
		2 दमन एवं दीव	132.60
		3 महाराष्ट्र	151.31

तालिका 5

क्र. सं.	सूचीबद्ध नियोजन का नाम	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/ संघ शासित प्रदेश	प्रति दिन न्यूनतम मजदूरी दर (रु.)
			31.12.2010 के अनुसार
297	लकड़ी कार्य प्रतिष्ठान/लकड़ी का फर्नीचर, बांस तथा केन फर्नीचर, फिक्सचर	1 अण्डेमान एवं निकोबार द्वीप समूह	ए - 205.00 एन- 216.00
		2 आन्ध्र प्रदेश	187.00
		3 बिहार	119.00
		4 दमन एवं दीव	132.60
		5 दिल्ली	203.00
		6 महाराष्ट्र	177.08
		7 नागालैंड	100.00
		8 राजस्थान	135.00
		9 उत्तराखण्ड	143.97
298	लकड़ी कार्य, बढईगिरी तथा राजगीरी	1 सिक्किम	130.00
299	लकड़ी उत्कीर्णन कला	1 उत्तराखण्ड	143.97
300	अब तक कोई सूचीबद्ध रोजगार नहीं है। श्रमिकों के सभी वर्गों को एक ही प्रपत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।	1 मिजोरम	170.00

ए = अण्डेमान

एन = निकोबार

तालिका-6

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या तथा वर्ष 2010 के दौरान नियोजित व्यक्तियों की औसत दैनिक संख्या

क्रम सं०	केन्द्र सरकार/राज्य/संघ शामिल प्रदेश	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या	विवरणियों प्रेषित करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या	प्रतिशत प्रत्युत्तर दर	नियोजित व्यक्तियों की औसत दैनिक संख्या
1	सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	एनआर	एनआर	-	एनआर
2	आन्ध्र प्रदेश	192284	885	0.46	3084614
3	असम	52817	11948	22.62	459504
4	बिहार	एनआर	एनआर	-	एनआर
5	छत्तीसगढ़	16122	857	5.32	154315
6	गोवा	47246	563	1.19	76909.2
7	गुजरात	296704	106531	35.90	351735
8	हरियाणा	96554	1445	1.50	120802
9	हिमाचल प्रदेश	69118	871	1.26	62371
10	महाराष्ट्र	3129984	NR	-	2979912
11	मेघालय	एनआर	एनआर	-	एनआर
12	मिज़ोरम	5	शून्य	0.00	एनआर
13	नगालैंड	37	20	54.05	10
14	राजस्थान	248109	1723	0.69	982650
15	सिक्किम	67	55	82.09	188
16	त्रिपुरा	6525	6032	92.44	62
17	उत्तराखंड	20211	50	0.25	75888
18	पश्चिम बंगाल	एनआर	110	-	105
19	अण्डेमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2615	855	32.70	5326
20	चण्डीगढ़	22243* 441**	226	1.00	8186
21	दमन एवं दीव	2600	346	13.31	19719
22	दिल्ली	8110	1446	17.83	66594
23	लक्षद्वीप	9	एनआर	-	एनआर

नोट: शेष राज्यों के लिए वार्षिक विवरणियों/रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

* = कारखानों तथा दुकानों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से संबंधित सूचना

** = कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों से संबंधित सूचना

एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया

तालिका-7

वर्ष 2010 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रों/राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों में किए गए निरीक्षणों में पाई गई अनियमितताओं, चलाए गए अभियोगों तथा प्रस्तुत किए गए दावों की संख्या

क्रम सं०	केन्द्र सरकार/राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या	वर्ष के दौरान पाई गई अनियमितताओं की संख्या	वर्ष के दौरान चलाए गए अभियोगों की संख्या	वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए दावों की संख्या
1	सी.एल.सी.(केन्द्रीय)	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
2	आन्ध्र प्रदेश	40823	2663	634	13524
3	असम	73580	33402	399	18
4	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
5	छत्तीसगढ़	5061	1981	1890	83
6	गोवा	1180	8068	27	22
7	गुजरात	126980	82266	2508	-
8	हरियाणा	1404	210	268	184
9	हिमाचल प्रदेश	6346	6346	779	उपलब्ध नहीं
10	महाराष्ट्र	56859	42897	310	4
11	मेघालय	543	शून्य	शून्य	शून्य
12	मिज़ोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	नगालैंड	12	4	4	4
14	राजस्थान	7644	134	103	166
15	सिक्किम	150	शून्य	शून्य	शून्य
16	त्रिपुरा	6329	840	शून्य	शून्य
17	उत्तराखण्ड	2570	1040	431	121
18	पश्चिम बंगाल	6773	1907	262	शून्य
19	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	525	1968	एनआर	शून्य
20	चण्डीगढ़	294	72	37	8
21	दमन एवं दीव	346	शून्य	शून्य	शून्य
22	दिल्ली	6472	4726	766	414
23	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट : शेष राज्यों के लिए वार्षिक विवरणियाँ/रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

स्रोत: वर्ष 2010 के लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ/रिपोर्टें

एनआर: रिपोर्ट नहीं किया गया

परिशिष्ट- I

ब्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रपत्र में शामिल वास्तविक नियोजनों की सूची

सूचीबद्ध नियोजन

भाग- I

1. किसी भी ऊनी गलीचा बनाने या शॉल बुनाई प्रतिष्ठान में नियोजन
2. किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
3. किसी तम्बाकू कारखाने (बीड़ी निर्माण सहित) में नियोजन
4. किसी भी बागान अर्थात् किसी निजी उद्यान में नियोजन जिसे कुनीन, रबड़, चाय या कॉफी उगाने के लिए रखा गया है ।
5. किसी भी तेल मिल में नियोजन
6. किसी स्थानीय प्राधिकारी के तहत नियोजन
7. सड़क निर्माण या रखरखाव में या निर्माण कार्यों में नियोजन
8. पत्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन
9. लाख कारखानों में नियोजन
10. अन्नक कार्यों में नियोजन
11. सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
12. चर्मशोधनशालाओं तथा चमड़ा कारखाने में नियोजन

- (i) जिप्सम खानों में नियोजन
- (ii) बेराइड्स खानों में नियोजन
- (iii) बॉक्साइट खानों में नियोजन
- (iv) मैंगनीज खानों में नियोजन
- (v) भवनों के रख-रखाव में नियोजन तथा मार्ग निर्माण तथा रखरखाव में नियोजन
- (vi) चीनी मिट्टी की खानों में नियोजन
- (vii) क्यानाइट खानों में नियोजन
- (viii) तांबा खानों में नियोजन
- (ix) खनन अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के अन्तर्गत शामिल मिट्टी की खानों में नियोजन
- (x) खनन अधिनियम 1952 (1952 का 35)के अन्तर्गत शामिल मैंगनेसाइट खानों में नियोजन
- (xi) सफेद मिट्टी की खानों में नियोजन
- (xii) पत्थर की खानों में नियोजन

भाग- II

13. कृषि में नियोजन का अर्थ है खेती का कोई भी रूप जिसमें शामिल है भूमि को तैयार करना तथा जोतना, दूध उद्योग, कृषि या बागवानी संबंधी किसी वस्तु की पैदावार या खेती पशुधन, मधु मक्खी या कुक्कुट पालन तथा किसान द्वारा खेत पर खेती कार्य में संबंधित या उससे जुड़ा किया गया कोई भी कार्य (वन विद्या या लकड़ी कार्यों तथा खेत के तैयार माल को उसके बाजार तक पहुंचाने के लिए बाजार के लिए तैयारी तथा भंडार गृह या बाजार तक माल पहुंचाने या परिवहन का प्रबन्ध करने सहित)

परिशिष्ट II

वर्ष 2010 के दौरान केन्द्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंध में न्यूनतम मजूदूरी अधिनियम,
1948 के प्रवर्तन हेतु तन्त्र की जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश	निरीक्षण कर्मचारियों के पद	अधिकारियों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	1. श्रम आयुक्त 2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त 3. संयुक्त श्रम आयुक्त 4. उप श्रम आयुक्त 5. सहायक श्रम आयुक्त 6. सहायक श्रम अधिकारी	1 1 9 25 55 292
2	असम	1 सहायक श्रम आयुक्त 2. श्रम अधिकारी 3. श्रम निरीक्षक	74
3	छत्तीसगढ़	1. श्रम आयुक्त 2. उप श्रम आयुक्त 3. सहायक श्रम आयुक्त 4. . श्रम अधिकारी 5 श्रम निरीक्षक	82
4	गोवा	1. . श्रम आयुक्त 2. उप श्रम आयुक्त 3. सहायक श्रम आयुक्त 4. श्रम कल्याण अधिकारी 5 श्रम निरीक्षक	1 2 5 1 19
5	गुजरात	1. . श्रम आयुक्त 2. ग्रामीण श्रम आयुक्त 3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त 4. . उप श्रम आयुक्त 5. सहायक श्रम आयुक्त 6. श्रम अधिकारी	1 1 1 7 42 191
6	हरियाणा	1. . श्रम आयुक्त 2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त 3. संयुक्त श्रम आयुक्त 4. उप श्रम आयुक्त 5. श्रम अधिकारी तथा मध्यस्थ अधिकारी 6. सम्पादक 7. श्रम निरीक्षक 8. कल्याण अधिकारी (महिला) 9. सांख्यिकी अधिकारी 10. श्रम कल्याण अधिकारी	1 1 2 9 31 1 88 2 1 1
7	हिमाचल प्रदेश	1. श्रम आयुक्त 2. संयुक्त श्रम आयुक्त 3. उप श्रम आयुक्त 4. श्रम अधिकारी 5. सांख्यिकी अधिकारी 6. श्रम निरीक्षक	1 1 1 12 1 26

क्रम सं०	केन्द्रीय क्षेत्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश	निरीक्षण कर्मचारियों के पद	अधिकारियों की संख्या
8	महाराष्ट्र	1. श्रम आयुक्त 2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त 3. उप श्रम आयुक्त 4. सहायक श्रम आयुक्त 5. श्रम अधिकारी 6. श्रम निरीक्षक	1 3 16 69 144 372
9	मेघालय	1. श्रम आयुक्त 2. संयुक्त श्रम आयुक्त 3. श्रम निरीक्षक	1 1 10
10	मिज़ोरम	1. श्रम आयुक्त 2. उप श्रम आयुक्त 3. संयुक्त निदेशक 4. उप निदेशक 5. डी.ई.ओ 6. श्रम अधिकारी	8
11	नगालैंड	1. श्रम निरीक्षक	11
12	राजस्थान	1. श्रम निरीक्षक	94
13	सिक्किम	1. संयुक्त श्रम आयुक्त 2. उप श्रम आयुक्त 3. श्रम निरीक्षक	2 4 12
14	त्रिपुरा	1. श्रम आयुक्त 2. उप श्रम आयुक्त 3. मुख्य श्रम अधिकारी 4. श्रम अधिकारी 5. श्रम निरीक्षक	1 1 2 3 24
15	उत्तराखंड	श्रम प्रवर्तन अधिकारी	13
16	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1. सहायक श्रम आयुक्त 2. श्रम निरीक्षक	3 3
17	चण्डीगढ़	1. श्रम आयुक्त 2. सहायक श्रम आयुक्त 3. श्रम निरीक्षक	1 1 3
18	दमन एवं दीव	1. श्रम आयुक्त 2. मुख्य निरीक्षक, कारखाना तथा बॉयलर 3. श्रम निरीक्षक	1 1 2
19	दिल्ली	1. श्रम आयुक्त 2. संयुक्त श्रम आयुक्त 3. उप श्रम आयुक्त 4. सहायक श्रम आयुक्त 5. श्रम अधिकारी 6. निरीक्षण अधिकारी 7. श्रम निरीक्षक	1 3 4 7 9 8 37
20	लक्षद्वीप	1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी	1

नोट : शेष राज्यों के लिए वार्षिक विवरणियाँ/रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

स्रोत: वर्ष 2010 के लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ/रिपोर्टें

परिशिष्ट III

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

प्रपत्र 'क'

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का XI) के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट भेजने हेतु प्रपत्र

राज्य का नाम _____

रिपोर्ट की अवधि _____

I. सूचीबद्ध नियोजन

1. सूचीबद्ध नियोजन जिनके संबंध में अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं तथा वर्ष के अंतिम दिन के अनुसार प्रतिष्ठानों की संख्या तथा ऐसे प्रत्येक नियोजन में नियोजित श्रमिकों की संख्या
2. अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुसूची में यदि कोई नियोजन जोड़े गये हों तथा ऐसे प्रत्येक नियोजन में नियोजित व्यक्तियों की संख्या
3. अधिनियम की धारा 26 के तहत दी गई छूट तथा अपवाद कारणों सहित तथा अन्य विवरण जैसे उसकी अवधि

II. समितियों आदि

1. अधिनियम की धारा 5(1)(क) तथा 6 के तहत नियुक्त विभिन्न समितियों, सलाहकार समितियों आदि का गठन तथा अधिनियम की धारा 7 के तहत नियुक्त सलाहकार मण्डल.
2. राज्य सरकार द्वारा की गई किसी भी जाँच या धारा 5(1)(क) के तहत नियुक्त की गई किसी समिति का विवरण
3. रिपोर्ट की अवधि के दौरान समितियों सलाहकार समितियों, तथा सलाहकार मण्डलों की महत्वपूर्ण सिफारिशों तथा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई । रिपोर्टों की प्रतियाँ परिशिष्ट के रूप में अग्रेषित की जाएं ।

III. न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण/संशोधन

1. प्रत्येक सूचीबद्ध नियोजन जिसके लिए पहली बार न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं, के संबंध में अधिनियम की धारा 5 के तहत अपनाई गई प्रक्रिया
2. रिपोर्ट की अवधि के दौरान पहली बार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें नीचे दी जाएं :-

उद्योग या नियोजन	क्षेत्र या स्थान	नियोजन वर्ग	शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	मजदूरी अवधि	मजदूरी दरें (रु०)								
						पुरुष			महिला			बच्चे		
						मूल मजदूरी	निर्वाह लागत भत्ता	संयुक्त मजदूरी	मूल मजदूरी	निर्वाह लागत भत्ता	संयुक्त मजदूरी	मूल मजदूरी	निर्वाह लागत भत्ता	संयुक्त मजदूरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3. कथा अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है ? यदि हों तो निम्नलिखित सूचना दी जाए:

उद्योग या नियोजन	क्षेत्र या स्थान	नियोजन वर्ग	शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	मजदूरी अवधि	मजदूरियों की पुरानी दरें (रु०)								
						पुरुष			महिला			बच्चे		
						मूल मजदूरी	निर्वाह लागत भत्ता	संयुक्त मजदूरी	मूल मजदूरी	निर्वाह लागत भत्ता	संयुक्त मजदूरी	मूल मजदूरी	निर्वाह लागत भत्ता	संयुक्त मजदूरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

संशोधित दरें (रु०)								
पुरुष			महिला			बच्चे		
मूल मजदूरी	निर्वाह लागत भत्ता	संयुक्त मजदूरी	मूल मजदूरी	निर्वाह लागत भत्ता	संयुक्त मजदूरी	मूल मजदूरी	निर्वाह लागत भत्ता	संयुक्त मजदूरी
16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. कारण सहित वह सीमा जहाँ तक न्यूनतम मजदूरी दरों को पूर्णतः या आंशिक रूप से वस्तु में भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।
5. निर्वाह लागत भत्ते तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में रियायतों के नगद मूल्य के परिकलन हेतु अधिनियम की धारा 2(सी) के तहत सक्षम प्राधिकारी का पद तथा ऐसे परिकलन हेतु अधिनियम की धारा 4(2) के तहत नियुक्त राज्य सरकार द्वारा जारी निदेश

IV – मजदूरी भुगतान तथा उसमें से कटौतियाँ

न्यूनतम मजदूरी नियम 1950 के प्रपत्र-III में नियोक्ता से प्राप्त विवरणियों के आधार पर भुगतान की गई कुल मजदूरी तथा की गई कटौतियाँ आदि नीचे दी जाए :-

उद्योग या नियोजन	अधिनियम के अधीन शामिल प्रतिष्ठानों की संख्या	प्रपत्र III में विवरणियाँ प्रस्तुत करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या	नियोजित व्यक्तियों की औसत दैनिक संख्या			वर्ष के दौरान कार्य किए गए दिनों की संख्या	वर्ष के दौरान कार्य किए गए दिनों की संख्या	कुल मजदूरी		
			वयस्क	बच्चे	कुल			नकद भुगतान(₹0)	वस्तु में भुगतान मजदूरी का नगद मूल्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मामलों की संख्या तथा निम्नलिखित कारणों से की गई कटौतियाँ								जुर्माना कोष से भुगतान		वर्ष के अन्त में जुर्माना कोष का शेष
जुर्माना		क्षति या हानि		सविदा भंग		कुल		उद्देश्य (रु०)	राशि (रु०)	
क	ख	क	ख	क	ख	क	ख			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

क - मामलों की संख्या

ख - की गई कटौतियों की राशि (रु०)

V. प्रवर्तन

1. केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निरीक्षणों के कार्यान्वयन, किए गए निरीक्षणों की संख्या, अपनाई गई कार्य प्रणाली तथा अधिनियम के कार्यान्वयन पर निरीक्षकों के अनुभवों से संबंधित बनाए गए कानूनों, विनियमों आदि सहित निरीक्षण मशीनरी के संबंध में ब्यौरा
2. अधिनियम तथा उसके तहत ऐसे सूचीबद्ध नियोजन के संबंध में बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नीचे दिया जाए :-

उद्योग या नियोजन	विगत वर्ष से अपराधों की संख्या जिनके संबंध में अभियोजन लंबित थे	वर्ष के दौरान चलाए गए अभियोगों की संख्या जहां विशेष रूप से केवल एक अपराध को शामिल किया गया							वर्ष के अन्त में अपराधों की संख्या जिनके संबंध में अभियोजन लंबित थे	दोषसिद्धियों	
		मजदूरी भुगतान	कठौतियों	समयोपट्टि कार्य घण्टे	सूचना पट्ट, रजिस्टर का रख रखाव तथा विवरणी का प्रेषण	अन्य (विवरण दें)	कुल (कॉलम 3-7)	जहाँ एक अभियोजन में एक से अधिक अपराध शामिल किए गए		मामलों की कुल संख्या जिनमें जुर्माना लगाया गया	जुर्माने की कुल राशि (₹0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट:- कॉलम 9 के अन्तर्गत सूचना देते समय यह अनुरोध किया जाता है कि कॉलम 3-7 के तहत ब्रेकेट के अन्दर अपराधों के अनुसार इसका ब्रेकअप भी दर्शाया जाए ।

VI. दावे

1. धारा 20 के तहत नियुक्त प्राधिकारी/प्राधिकारियों का नाम तथा अधिकार क्षेत्र.
2. दावों तथा की गई शिकायतों की संख्या तथा प्रकृति नीचे दी जाए :-

विगत वर्ष से लंबित दावों आदि की संख्या	वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए दावों आदि की संख्या	वर्ष के दौरान निर्णीत दावों आदि की संख्या	वर्ष के अन्त में लंबित दावों आदि की संख्या	किए गए दावों के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को भुगतान करने हेतु प्राधिकारियों द्वारा निर्देशित कुल राशि (रु०)	प्राधिकारियों द्वारा कर्मचारियों पर लगाए गए जुर्माने की कुल राशि (रु०)	कर्मचारियों को भुगतान करने हेतु प्राधिकारियों द्वारा दिए गए मुआवजे की कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7

VII. नियम, अधिसूचनाएं आदि

1. अधिनियम की धारा 30 के तहत बनाए गए नियम तथा/या उसमें किए गए किसी संशोधन को संलग्न किया जाना चाहिए ।
2. महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं आदि की प्रतियाँ संलग्न की जाएं ।

VIII सामान्य

1. एक ही स्थान में अनुरूप/तुलनात्मक नियोजनों में निर्धारित न्यूनतम दरों बनाम मजदूरी दरों की विवेचनात्मक समीक्षा
2. अधिनियम को लागू करने में आने वाली समस्याओं तथा कठिनाईयों तथा इन कठिनाईयों को दूर करने हेतु किए गए उपायों का विवरण.
3. अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु सुझाव तथा अधिनियम तथा/या उसके तहत बनाए गए नियमों के संशोधन हेतु प्रस्ताव
4. निम्नलिखित शीर्षकों के तहत न्यूनतम मजदूरी के प्रभावों का मूल्यांकन

- (i) सूचीबद्ध नियोजनों में व्यवसायों पर प्रभाव ;
- (ii) समान उद्योग में व्यवसायों पर प्रभाव ;
- (iii) अन्य उद्योगों में अन्य व्यवसायों पर प्रभाव ;
- (iv) अन्तः क्षेत्रीय प्रभाव ; तथा
- (v) सामान्य मूल्यांकन ।

नोट:- यह विवरणी श्रम ब्यूरो को अनुवर्ती वर्ष की 31 मई तक प्रेषित की जानी चाहिए ।

परिशिष्ट – V

रिपोर्ट की तैयारी से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

श्री हरबिन्दर सिंह
उप महानिदेशक

श्री वीरेन्द्र सिंह
सहायक निदेशक

मोह.आलम अब्सादी
आर्थिक अधिकारी

श्री एस.पी.धवन
श्री चरन दास

अन्वेषक ग्रेड-II
अन्वेषक ग्रेड-II

प्रिंटिंग यूनिट

श्री जगमाल सिंह
श्री छज्जु राम
श्री सोहन लाल
श्री प्रकाश चन्द

अन्वेषक ग्रेड-II
वरि.गेस्टेटनर ऑपरेटर
कनि.गेस्टेटनर ऑपरेटर
दफ्तर

भारत सरकार
प्रकाशन नियंत्रक

पीडीएलबी.16-2010
90-2012(डीएसके-11)

मूल्य ₹0.173.00

प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 के लिए श्रम ब्यूरो,
एस.सी.ओ.28-31, सैक्टर-17ए, चण्डीगढ़-160017 द्वारा मुद्रित